प्रतिवेद्य

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय सिविल अपीलीय अधिकारिता सिविल अपील संख्या 2463 वर्ष 2015

सहायक महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक और अन्य

...अपीलार्थीगण

बनाम

राधेश्याम पाण्डेय

... प्रत्यर्थीगण

सह

सिविल अपील सं. 2287 – 2288 वर्ष 2010 सिविल अपील सं. 5035 – 5037 वर्ष 2012 सिविल अपील सं. 10813 वर्ष 2013

<u>निर्णय</u>

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा,

<u> उद्घोषणा</u>

- 1. अन्तर्निहित प्रश्न यह है कि क्या प्रत्यर्थी कर्मचारीगण 15 वर्ष की सेवा पूरी करने पर भारतीय स्टेट बैंक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (संक्षेप में, "वर्ष 2000 में बनाई गई वीआरएस") के अनुसार पेंशन के हकदार हैं।
- 2. वीआरएस के तहत पेंशन की अनुज्ञप्ति को लेकर न्यायाधीशों के बीच मत विरोध होने के कारण मामले को वृहद पीठ को संदर्भित किया गया है।
- 3. भारत सरकार की स्वीकृति से इंडियन बैंक एसोसिएशन (आईबीए) ने एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना बनाई। भारतीय स्टेट बैंक (संक्षेप में 'एसबीआई') के केंद्रीय निदेशक मंडल ने 27.12.2000 को आयोजित अपनी बैठक में इस योजना को अंगीकृत किया और 15 वर्ष की सेवा पूरी करने पर योजना में उपबंधित लाभों के साथ बैंक के कर्मचारियों को सेवानिवृत्त कर वीआरएस योजना लागू करने का अनुमोदन किया । यह योजना आईबीए द्वारा जारी किए गये दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई थी। उप प्रबंध निदेशक और कारपोरेट विकास अधिकारी द्वारा 26.12.2000 दिनांकित ज्ञापन इसमें अंतर्निहित प्रस्तावों को मंजूरी देने और ज्ञापन के संलग्नक 'ख' के रूप में लगी योजना को अंगीकृत करने के लिए दिया गया था।

<u> उद्घोषणा</u>

4. 26.12.2000 दिनांकित ज्ञापन का आधार आईबीए द्वारा 31.8.2000 दिनांकित पत्रांक के माध्यम से दी गई सलाह थी जिसमें यह कहा गया था कि उन्होंने 13.6.2000 को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (बैंकिंग प्रभाग) की सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ हुई बैठक में वित्त मंत्री के साथ विचार -विमर्श किया था । सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में मानव संसाधन और जनशक्ति नियोजन की समीक्षा की गयी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से संबंधित समस्याओं की जांच करने और उपयुक्त उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिए एक समिति का गठन किया गया। समिति ने वर्ष 1990 में शुरू किये गये आर्थिक सुधारों तथा उच्च स्थापना लागत और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कम उत्पादकता पर विचार किया। यह महसूस किया गया कि बैंक अपने मानव संसाधन को विभिन्न उपायों के माध्यम से व्यापार रणनीति के अनुरूप परिसंपत्तियों में परिवर्तित करते हैं। उपलब्ध आंकड़ों से संकेत मिलता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 43% कर्मचारी 46 + आयु वर्ग में थे, और केवल 12% ही 25-35 आयु वर्ग में थे। यह महसूस किया गया कि इस पैटर्न का बैंकों की गतिशीलता, प्रशिक्षण, कौशल विकास और उच्च स्तरीय पदों के लिए उत्तराधिकार योजनाओं के लिए गंभीर निहितार्थ है। कर्मचारियों की बहुतायत थी। इस स्थिति को सुधारने के लिए समिति ने सरकार के सामने दो योजनाएं रखीं, जो थी -अध्ययन अवकाश और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। 13. 7. 2000 दिनांकित पत्र के माध्यम से आईबीए ने योजनाओं पर बैंकों के बोर्डों द्वारा विचार किये जाने और अंगीकृत करने हेतु प्रसारित करने के लिए सरकार से अनापत्ति मांगी।

<u> उद्घोषणा</u>

[&]quot;क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

सरकार ने 29. 8. 2000 को बताया कि उसे संबंधित निदेशक मंडल द्वारा योजना को अपनाने और लागू करने पर कोई आपत्ति नहीं है। उसने सलाह दिया कि बैंक पत्र के संलग्नक में दी गई योजनाओं की मूल विशेषताओं के आधार पर अध्ययन अवकाश और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की इन योजनाओं को अपना सकते हैं। योजना में सभी स्थायी कर्मचारियों के लिए 15 वर्ष की सेवा की पात्रता का उपबंध था। इसमें भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अनुग्रह राशि और अन्य लाभों का उपबंध किया गया था जो प्रदान की जानी थी, (i) यथास्थिति, ग्रेच्युटी अधिनियम/सेवा ग्रेच्युटी के अनुसार ग्रेच्युटी के रूप में (ii) पेंशन (पेंशन का संराशीकृत मूल्य) /भविष्य निधि में बैंक के अंशदान के रूप में; और (iii) नियमों के अनुसार अवकाश नकदीकरण के रूप में।

5. दिनांक 27.12.2000 को ज्ञापन में निहित प्रस्तावों को एसबीआई द्वारा मंजूरी दिये जाने के बाद, 29.12.2000 को एक परिपत्र जारी किया गया था जिसमें यह उल्लेख था कि आईबीए ने सलाह दिया है कि चूंकि वित्त मंत्रालय द्वारा गठित समिति ने जनशक्ति को युक्तिसंगत बनाने के लिए वीआरएस शुरू करने की सिफारिश की थी, भारत सरकार को वीआरएस को अपनाने और लागू करने में कोई आपत्ति नहीं है। 29.12.2000 दिनांकित परिपत्र में यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि केंद्रीय निदेशक मंडल ने "आईबीए के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखकर बनाई गयी" एसबीआई की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को अपनाने और और कार्यान्वित करने का अनुमोदन

<u> उद्घोषणा</u>

किया था। योजना की कॉपी संलग्नक ख के रूप में लगाई गयी थी। यह योजना 15.1.2001 से 31.1.2001 तक खुली थी। नकल आवेदन और साथ ही पेंशन के लिए अन्य संबंधित फॉर्म भी प्रसारित किये गये जो परिपत्र का हिस्सा थे। परिपत्र में यह भी स्पष्ट किया गया था कि अनुग्रह राशि के अतिरिक्त ग्रेच्युटी, भविष्य निधि नियमों के अनुसार भविष्य निधि योगदान, एसबीआई कर्मचारी पेंशन निधि नियमों के तहत पेंशन और अवकाश नकदीकरण प्रदान किए जाएंगे।

- 6. योजना की मुख्य बात लाभों का 15 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर दिया जाना था। लाभों के लिए पात्रता उन लोगों को प्रदान की गई थी जिन्होंने 31.12.2000 को 15 वर्ष की सेवा पूरी कर ली थी।
- 7. एसबीआई ने कहा है कि इसने योजना के अन्तर्गत योजना या इसके किसी भी खंड को रूपांतरित करने, संशोधित करने या रद्व करने और इसे किसी भी उपयुक्त तिथि से प्रभावी करने का अधिकार आरक्षित रखा था। उप प्रबंध निदेशक सह सीडीओ इस उद्देश्य के लिए सक्षम प्राधिकारी थे। चूंकि विनिर्दिष्ट प्रश्न उठाए गए थे, इसलिए उप प्रबंध निदेशक द्वारा 15.1.2001 को एक स्पष्टीकरण जारी किया गया था, जिसमें एक प्रश्न कि सेवानिवृत्ति की प्रासंगिक तिथि को पेंशनयोग्य सेवा के 15 वर्ष पूर्ण करने वाला कोई कर्मचारी पेंशन लाभ का हकदार होगा के जवाब में, योजना के पैरा 6 (सी) को दोहराया गया था, और यह भी उल्लेख किया गया था कि

<u> उद्घोषणा</u>

मौजूदा नियमों के अनुसार, जिन कर्मचारियों ने 20 साल की पेंशन योग्य सेवा पूरी नहीं की थी, वे पेंशन के लिए अर्ह नहीं थे।

- 8. उप महाप्रबंधक द्वारा जारी स्पष्टीकरण योजना के रूपांतरण या संशोधन के रूप में नहीं था। स्पष्टीकरण में उप महाप्रबंधक ने प्रावधानों को उद्धृत किया और केवल एक नियम की स्थिति बताई कि पेंशन योग्य सेवा 20 वर्ष थी। यह संसूचन स्पष्टक था और यथा अनुमोदित और अंगीकृत एसबीआई वीआरएस योजना पर इसका रूपांतरणकारी प्रभाव नहीं था।
- 9.(a). राधेश्याम पांडे ने 26.9.2006 दिनांकित पत्र व्यवहार के द्वारा उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दायर रिट आवेदन में बैंक द्वारा पेंशन का भुगतान अस्वीकृत किए जाने का विरोध किया । वह एसबीआई वीआरएस योजना के तहत 31.03.2001 को सेवानिवृत्त हुए। 18.03.2001 को बैंक ने कर्मचारी के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के प्रस्ताव को स्वीकार किया। वह 59 वर्ष 3 महीने की उम्र के थे और सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त होने में 9 महीने शेष थे। 31.3.2001 को जब वीआरएस प्रभावी हुआ वह 19 वर्ष 9 महीने और 18 दिन पेंशन योग्य सेवा दे चुके थे। उन्हें 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त होना था जिससे 20 वर्ष से कुछ अधिक की पेंशन योग्य सेवा हो जाती।

<u> उद्घोषणा</u>

- (b). उच्च न्यायालय में धारित किया कि कर्मचारी का मामला नियम 22(i) (a) के द्वितीय भाग के अंतर्गत आता था वह 11.11.1993 को और उसके पश्चात बैंक की सेवा में संलग्न थे और 10 वर्ष की पेंशन योग्य सेवा पूरी हो चुकी थी और आगे सेवानिवृत्त होने की तिथि के पूर्व 58 वर्ष के हो गए थे। उच्च न्यायालय ने कहा कि स्पष्टीकरण वीआरएस योजना का हिस्सा नहीं था। कर्मचारी नियम से परे अनुबंधात्मक सेवानिवृत्ति के अनुसार सेवानिवृत्त हुआ। अनुबंध को माना जाना था। भविष्य निधि नियम के नियम 22(i) में खंड (a) कर्मचारियों को 10 साल की पेंशन योग्य सेवा के पश्चात पेंशन का लाभ देने के लिए अंतर्विष्ट किया गया था चाहे भले ही उन्होंने देर से सेवा शुरू की हो। उच्च न्यायालय ने पाया कि मामला नियम 22(i)(a) के अंतर्गत आता था। अनुज्ञप्त लाभ अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। यदि कोई संविद पक्ष किसी अनुमन्य खंड का लाभ लेने का हकदार है तो उसे नकारा नहीं जा सकता।
- (c). अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक एवं अन्य बनाम मिहिर कुमार नंदी एवं अन्य (C.A. Nos. 5035-5037/2012) के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अंतः न्यायालयीय अपील को निरस्त करते हुए विद्वत एकल न्यायाधीश के आदेश की अभिपृष्टि की और पेंशन के भुगतान का निर्देश दिया। कर्मचारी की नियुक्ति 21.5.1988 को हुई थी उसने 15.1.2001 को वीआरएस का चयन किया। स्वीकृति 17.3.2001 को प्रदान की गई जिसके द्वारा उसे सूचित किया गया कि उसे 31.3.2001 को उसकी सेवाओं से मुक्त कर दिया जाएगा। 2.8.2001 दिनांकित पत्र के द्वारा कर्मचारी को रू.

<u> उद्घोषणा</u>

1024/- प्रतिमाह की पेंशन प्रदान की गई। लेकिन 30.8.2001 दिनांकित पत्र व्यवहार के द्वारा पेंशन निधि नियम के नियम 22 में संशोधन के दृष्टिगत पेंशन भुगतान आदेश और साथ ही सारांशीकृत मूल्य का भुगतान रोक दिया गया। यद्यपि पेंशन निधि नियम में संशोधनों को 31.3.2001 से प्रभावी किया गया, और सेवानिवृत्ति की आयु को 22.5.1998 से 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी गई थी इससे पेंशन निधि हेतु प्रवेश की आयु को नियम 22(i)(a) में विनिर्दिष्ट आयु बढ़ाकर 58 वर्ष करने की आवश्यकता उत्पन्न हो गई थी ताकि वे कर्मचारी जो 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 22.5.1998 को या उसके पश्चात 10 वर्ष की पेंशन योग्य सेवा पूरी कर सेवानिवृत्त हुए हैं या सेवानिवृत्त हो रहे है, पेंशन के लिए अई हो सकें।

- (d). एसबीआई के केंद्रीय बोर्ड ने 30.1.2001 को आयोजित बैठक में संलग्नक एक में दिए गए नियमों 8 और 22(i)(a) में संशोधन को स्वीकृत प्रदान की। एसबीआई कर्मचारी पेंशन निधि के न्यासियों ने 30.10.2001 को अपनी बैठक में संशोधित नियमों को अंगीकृत किया। परिणामस्वरुप 8.11.2001 को एक परिपत्र जारी किया गया। संशोधन को 31.3.2001 से प्रभावी किया गया, जिस तिथि को इसे अधिसूचित किया गया, यद्यपि इसे एसबीआई न्यास पेंशन फंड के न्यासियों द्वारा अक्टूबर 2001 में अंगीकृत किया गया।
- (e). उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने धारित किया कि प्रत्यर्थी कर्मचारी 17.3.2001 को, जिस तिथि को उसका प्रस्ताव स्वीकार किया गया, नियमानुसार पेंशन पाने का पात्र था। 31.3.2001 को संशोधित नियम

<u> उद्घोषणा</u>

प्रकाशित किए गए जिससे पेंशन पाने का मौजूदा हक छिन गया। वीआरएस योजना में इस बात का उल्लेख था कि पेंशन 31.3.2001 को विद्यमान नियमों के अनुसार देय होगी। कर्मचारियों के पास पेंशन नियमों में भविष्य में होने वाले ऐसे संशोधनों को जानने का कोई साधन नहीं था जो उनके हितों के विरुद्ध होते। यदि वह तथ्य को जानता तो उसने योजना का चयन न किया होता। नियोक्ता द्वारा ऐसी स्थिति में बरता गया मौन उसकी ओर से धोखा करने के तुल्य था। उच्च न्यायालय ने संविदा अधिनियम की धारा 17 और संविदा अधिनियम की धारा 19 के दृष्टांत (d) का अवलंब लिया। उच्च न्यायालय ने आंग यह धारित किया कि इस बात का खुलासा करना नियोक्ता का दायित्व था कि भविष्य में उनकी सेवा के अंतिम तिथि पर संशोधन होगा जिससे उनका पेंशन का अधिकार छिन जाएगा। इसे मनमाना और गलत होने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार उच्च न्यायालय ने धारित किया कि यह कार्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। कर्मचारी ब्याज के साथ पेंशन के अनुतोष का हकदार है।

10. रमेश प्रसाद निगम (उपरोक्त) ने 1984 में लिपिक श्रेणी में सेवा प्रारंभ की थी और 2.3.1985 को स्थाई हुए थे उन्होंने 15 वर्ष की सेवा पूर्ण कर 57 वर्ष की आयु होने पर वीआरएस के लिए आवेदन किया था। स्पष्टीकरण आंतरिक परिपत्र था। यह कर्मचारी की जानकारी में नहीं था, ऐसे में वह पेंशन का हकदार था।

स**दघोष**णा

- 11.(a). C.A. Nos. 2287-88/2010 में एमपी हल्लान ने क्रुर्क के रूप में 18.5.1981 से सेवाएं शुरू की। वीआरएस के अंतर्गत स्वीकृति 17.3.2001 को दी गई। 27.3.2001 को उन्होंने वीआरएस आवेदन को वापस लेने का आवेदन किया क्योंकि सेवानिवृत्ति 31.3.2001 से प्रभावी होनी थी। बैंक ने 18.4.2001 को आवेदन इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया कि आवेदन वापस लेने की अंतिम तिथि 15.2.2001 थी। कर्मचारी ने एसबीआई कर्मचारी पेंशन निधि नियम (एतस्मिन्पश्चात 'पेंशन नियम' से संदर्भित) के तहत पेंशन निधि नियम के अंतर्गत पेंशन का दावा किया। 12.4.2001 को पत्र लिखकर कर्मचारी का स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को वापस लेने का आवेदन, पेंशन और अवकाश में नगदीकरण का दावा 4.7.2001 को पुनः अस्वीकृत कर दिया गया। तत्पश्चात उन्होंने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की।
- (b). उच्च न्यायालय ने वीआरएस से वापसी संबंधी दावे को निरस्त कर दिया। जैसा कि वापस लेने की आखिरी तिथि बीत चुकी थी और स्वीकृति प्रदान की जा चुकी थी। लेकिन पेंशन नियमों की नियम संख्या 22 को ध्यान में रखकर उच्च न्यायालय ने मत व्यक्त किया कि, कर्मचारी ने 31.3.2001 को 19 वर्ष 10 महीने से ज्यादा की सेवाएं पूर्ण कर ली थी। इसलिए नियम 22 के खंड 1 का प्रथम भाग प्रयोज्य नहीं है। आगे खंड (a) का तीसरा भाग इसलिए प्रयोज्य नहीं है, कि उसने 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली थी। लेकिन 60 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की थी। कर्मचारी का मामला नियम 22 के खंड (a) के दूसरे हिस्से के अंतर्गत आता था, जो किसी सदस्य को पेंशन

<u> उद्घोषणा</u>

प्राप्त करने योग्य बनाता था, यदि किसी कर्मचारी ने 1.11.1993 को बैंक की सेवा को 10 वर्ष की पेंशन योग्य सेवा को पूर्ण कर लिया है और 58 वर्ष की आयु का हो गया है। कर्मचारी ने जनवरी 2001 में विद्यमान पेंशन नियमों के तहत आवेदन किया था। वैकल्पिक रूप से यदि कोई कर्मचारी 1.11.1993 को या उसके पश्चात बैंक की सेवा में है, 10 वर्ष की पेंशन योग्य सेवा पूर्ण करने पर और 58 वर्ष की आयु प्राप्त होने पर पेंशन का हकदार होगा। इस प्रकार उसने नियम 22 के खंड 1 के विभाग के द्वितीय भाग के शर्त को पूरा किया, क्योंकि वह 11.11.1993 को बैंक की सेवा में था और 58 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका था और 10 वर्ष की पेंशन योग्य सेवा दे चुका था। इसलिए नियम 22 के तहत वह पेंशन और अवकाश के वार्षिक नगरीकरण बकाया का 9% ब्याज के साथ बकाया का हकदार था।

12. बैंक की ओर से यह कहा गया कि वीआरएस 2000 में उपबंध था कि प्रासंगिक तिथि अर्थात 31.3.2001 पर एसबीआई पेंशन निधि नियमों के तहत पेंशन प्रदान की जानी थी। दूसरे शब्दों में, यदि कर्मचारी पेंशन नियमों के तहत पेंशन का हकदार था ना कि अन्यथा। वर्ष 1986 में पेंशन नियम के नियम 22 (1)में उपबंध जोड़ा गया था तद्नुरूप स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित सभी मामलों में 20 वर्ष की सेवा अविध पूर्ण करने पर पेंशन प्रदान की जानी थी। एसबीआई वीआरएस का चयन करने वाले कर्मचारी नियम 22 (i)(c) से शासित होंगे क्योंकि यह स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के अंतर्गत आता है। नियम 22(iii) के अंतर्गत कोई सदस्य जिसे खंड 22 (i)(c) के

<u> उद्घोषणा</u>

अंतर्गत सेवानिवृत्त होने की अनुमित दी गई है, आनुपातिक पेंशन का हकदार होगा जोकि 20 वर्ष की पेंशन योग्य सेवा के पूर्ण होने पर होगी। अर्हता खंड 3 का पेंशन की अनुज्ञित से कोई लेना—देना नहीं है। आगे यह माना गया कि वे कर्मचारी जो 10 वर्ष की पेंशन योग्य सेवा पूर्ण कर चुके हैं और 60 वर्ष की आयु के हैं, पेंशन के हकदार हैं जबिक वीआरएस के अंतर्गत कर्मचारी 15 वर्ष की अविध पूर्ण होने पर पेंशन नहीं पाएंगे और उसके लिए 20 वर्षों की सेवा आवश्यक थी, कर्मचारियों का तर्क कि यह विभेदकारी होगा, गलत आधार पर निर्भर है। एसबीआई पेंशन नियमों या एसबीआई वीआरएस को कोई चुनौती नहीं दी गई है। बैंक ने आरक्षण नीति के तहत 60 वर्ष की आयु प्राप्त होने पर पेंशन योग्य सेवा अविध 10 वर्ष होने का उपबंध किया। बैंक देर से आने वाले जैसे भूतपूर्व सैनिकों, जो सशस्त्र बलों में कार्य करने के बाद बैंक में सेवा प्रारंभ करते हैं, को नियुक्त करता है जिनकी सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने के पूर्व मात्र 10 वर्ष की सेवा बची होती है। ऐसे विशिष्ट श्रेणी के कर्मचारियों को ही लाभ देने के लिए ही 60 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु प्राप्त होने पर 10 वर्ष की सेवा अविध का उपबंध नियम 22(i)(a) में किया गया।

13. अपीलार्थीगण ने आगे कहा है कि 20 वर्ष की अवधि का प्रावधान स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामलों में किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे कर्मचारी जिनके प्रशिक्षण में बैंक ने काफी धन खर्च किया है, वे सेवानिवृत्ति लेने से पहले पर्याप्त अवधि तक कार्य करें। यह बैंक द्वारा अपनाए जाने वाली एक समान नीति है । वर्ष 2002 में विनियमन 28

<u> उद्घोषणा</u>

संशोधित किया गया जिससे 15 वर्ष की सेवा अवधि का प्रावधान किया गया। यह उन कर्मचारियों पर लागू होता है जो बैंक कर्मचारी पेंशन विनियमन, 1995 से शासित होते हैं। ये विनियमन एसबीआई कर्मचारियों पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि एसबीआई पेंशन नियम उन्हें शासित करता है। एसबीआई कर्मचारी भविष्य निधि, ग्रेच्युटी और नियमों के तहत 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर पेंशन के हकदार होते हैं। इस प्रकार एसबीआई कं कर्मचारियों की अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों के साथ तुलना नहीं हो सकती। बैंक द्वारा 11.01.2000 दिनांकित स्पष्टीकरण का भी अवलंब लिया गया है। अब 19 वर्ष से अधिक बीत चुके हैं और उन सभी लोगों, जो 1.4.2001 की तिथि से सेवानिवृत्त हुए, को पेंशन देना बैंक पर भारी वित्तीय भार डालेगा।

14. कर्मचारीगण की ओर से यह कहा गया है कि उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय उपयुक्त है अपीलों में हस्तक्षेप के लिए कोई मामला नहीं बनता। वीआरएस का सार 15 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर पेंशन की अनुज्ञप्ति और अन्य लाभ थे। एक बार एसबीआई के केंद्रीय बोर्ड द्वारा योजना के अनुमोदित और अंगीकृत हो जाने के पश्चात कर्मचारियों के विरुद्ध स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सकता। स्पष्टीकरण का अर्थ संशोधन रूपांतरण या बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित और अंगीकृत वीआरएस योजना का निरस्तीकरण नहीं था। 1995 के पेंशन विनियमन में संशोधन सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य बैंकों द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से 2002 में किया गया था। हालांकि योजना 2000-

<u> उद्घोषणा</u>

2001 में चलायी और कार्यान्वित की गयी थी। हालांकि 1995 के विनियमन को संशोधित करने से पहले वीआरएस योजना के लिए लाभ को विस्तारित कर दिया गया था । एसबीआई ने योजना को पूरी तरीके से अंगीकृत किया और 20 वर्ष की अर्हता का उपबंध करने वाला पेंशन नियम 22 केवल उन्हीं मामलों में लागू होता है जहां कर्मचारी सामान्य तौर पर यथास्थिति 10 वर्ष या 20 वर्ष पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त लेते हैं। 15 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर अर्हता और लाभ का उपबंध करने वाली विनिर्दिष्ट योजना में वीआरएस लिया गया था जो कि संपन्न अनुबंध का हिस्सा था। बैंक इसकी शर्ते बदलने के लिए स्वतंत्र नहीं था। यदि बैंक के तर्क को स्वीकार किया जाता है तो एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि वे कर्मचारी जो सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर चुके हैं वीआरएस लेने के सक्षम वीआरएस लेने के हकदार होते। बैंक ने कर्मचारियों को धोखा दिया है और यह कार्य उचित नहीं कहा जा सकता। एक बार कोई प्रस्ताव स्वीकृत हो गया और उसके बाद नियमों को संशोधित करना या 31. 3. 2000 तक नियमों को संशोधित न करना एसबीआई द्वारा शक्ति के प्रयोग पर निर्भर था जिसका प्रभाव पेंशन से वंचित करना हो सकता था जबकि प्रस्ताव को वापस लेने का विकल्प भी उपलब्ध नहीं था क्योंकि यह सेवा का अन्तिम दिन था। नियम 22 संशोधित किया गया था वह भी भूतलक्षी प्रभाव से। इस प्रकार वह कर्मचारी जो अन्य सेवाओं से सेवानिवृत्त होने के पश्चात कार्य आरंभ किए हैं, 58 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, और 1. 11. 1993 को रोजगार में थे, पेंशन के हकदार थे। उन्हें पेंशन के लाभ से भी वंचित कर दिया गया है जो

<u> उद्घोषणा</u>

[&]quot;क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

अन्यथा उन्हें उपलब्ध होता। यदि पेंशन नहीं दी जानी थी तो मात्र अनुग्रह राशि पाने के लिए पेंशन छोड़ देना उनके लिए लाभ का सौदा नहीं था। नियम को संशोधित करना, यदि ऐसा करना आवश्यक था तो, एसबीआई का दायित्व था। अन्यथा भी नियम के अनुसार दी जाने वाली 'पेंशन' पद का अर्थ था कि 15 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले कर्मचारियों, जो सर्कुलर और वीआरएस योजना में विनिर्दिष्ट लाभों को दिए जाने के लिए अर्ह थे , आनुपातिक पेंशन दी जाए। 11. 1. 2000 को जारी किया गया स्पष्टीकरण केवल वीआरएस योजना के प्रावधान और नियम की विद्यमान स्थिति को दर्शित करता था। इसका प्रभाव किसी भी रूप में लाभों से वंचित करना नहीं हो सकता था जो कि 15 वर्ष की स्थाई पेंशन योग्य सेवा अवधि पूर्ण करने पर कर्मचारियों को मिला था। एक ओर, जिन कर्मचारियों ने दस साल तक सेवा की और सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त की, वे पेंशन के हकदार थे और 15 साल तक सेवा प्रदान करने वाले एक स्थायी कर्मचारी को उसी से वंचित करने के लिए, प्रति भेदभावपूर्ण, अनुचित और मनमाना होगा। एक बार जब यह योजना जारी हुई और अनुमोदित हो गई, तो बैंक भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के दायरे में राज्य होने के नाते, इसके लिए भेदभाव करने और गलत तरीके से कार्य करने की अनुमित नहीं होगी। वीआरएस ने एक स्वतंत्र अनुबंध का गठन किया और बैंक पर बाध्यकारी था। यह लाभ पात्र कर्मचारियों से नहीं लिया जा सकता था जिन्होंने नए कौशल को शामिल करने के साथ-साथ कार्यबल को युक्तिसंगत बनाने के लिए बैंक द्वारा

<u> उद्घोषणा</u>

[&]quot;क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

वीआरएस स्वीकार किया था। इस प्रकार, योग्यता से परे होने वाली अपील, बर्खास्तगी के लायक है।

15. मुख्य प्रश्न यह है कि क्या एसबीआई के केंद्रीय बोर्ड द्वारा अनुमोदित और अपनाई गई योजना के तहत, स्थायी सेवा के 15 साल पूरे होने पर कर्मचारियों के लिए पेंशन स्वीकार्य है। संबंधित सवाल यह है कि क्या कर्मचारियों को योजना की आवश्यक शर्तों के विपरीत गलत और मनमाने ढंग से पेंशन के लाभ से वंचित किया गया है।

16. सबसे पहले, पैकेज की प्रकृति पर विचार करना आवश्यक है, जिसे एसबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 27.12.2000 की अपनी बैठक में प्रस्ताव में स्वीकार कर लिया था। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, कार्यबल को युक्तिसंगत बनाने के लिए अभ्यास किया गया था क्योंकि यह महसूस किया गया था कि क्योंकि यह महसूस किया गया था कि बैंक आवश्यकता से अधिक कर्मचारियों से युक्त थे। आईबीए ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का सामना करने वाले मुद्दों के बारे में एसबीआई को सलाह दी। एसबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल को सींपे गए ज्ञापन में, निम्नलिखित तथ्यों का उल्लेख किया गया था कि योजना को सही तरीके से अपनाये जाने और जनशक्ति योजना की आवश्यकता है:

"आईबीए के पास उपलब्ध आँकड़े बताते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 43% कर्मचारीगण 46+ आयुवर्ग में हैं, और केवल 12% 25-35 आयुवर्ग

<u> उद्घोषणा</u>

में हैं। इस पैटर्न के बैंकों के लिए गतिशीलता, प्रशिक्षण, कौशल के विकास और उच्च स्तर के पदों के लिए पदारोहण की योजनाओं के संदर्भ में गंभीर निहितार्थ हैं। यह, जहां भी मौजूद है, अधिक जनशक्ति के साथ मिलकर नए कौशल को शामिल करने और उचित कैरियर की प्रगति के रास्ते में आएगा।

समिति ने एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना शुरू करने की सिफारिश की है जो बैंकों को अपने मानव संसाधनों को अनुकूलित करने और अपनी व्यावसायिक रणनीति को ध्यान में रखते हुए एक संतुलित आयु और कौशल प्रोफ़ाइल प्राप्त करने के अपने प्रयास में सहायता करेगी। आईबीए ने सलाह दी है कि भारत सरकार ने इस बात से अवगत कराया है कि उन्हें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को अपनाने और लागू करने के लिए निदेशक के प्रस्तावों के अपने संबंधित बोर्डों के समक्ष रखने पर कोई आपत्ति नहीं है। यह सलाह दी गई है कि बैंक बोर्ड की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद योजना को अपना सकते हैं और इसे सही तरीक से लागू कर सकते हैं. "(प्रभाव वर्धित)

- " a) विदेशी बैंकों और नए निजी क्षेत्र के बैंकों के सापेक्ष बैंक की उच स्थापना लागत चिंता का विषय है। बैंक में कुल खर्चों के लिए कर्मचारियों के खर्चों का प्रतिशत क्रमशः विदेशी बैंकों और नए निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए 7.66 और 3.04 के प्रतिशत के मुकाबले 21.85 है। यहाँ तक कि यदि हम इसे अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ तुलना करें, तो भी हमारा अनुपात प्रतिकूल है।
- d) बड़ी संख्या में शाखाओं, जनशक्ति के लेखाकरण और अन्य कार्यों के कम्प्यूटरीकरण के साथ, जो पुस्तकों के संतुलन के लिए आवश्यक थे, अब अधिशेष प्रदान किया जाता है। यह इन शाखाओं में जनशक्ति को युक्तिसंगत बनाने की अत्यावश्यकता को इंगित करता है। जहां हमने इन शाखाओं में कर्मचारियों के उपयोगी पुनर्विकास के लिए शिफ्ट बैंकिंग और सप्तदिवसीय बैंकिंग के माध्यम से कदम उठाए हैं वहीं अभी भी इस क्षेत्र में सुधार की गुंजाइश है। इनमें से अधिकांश शाखाएँ महानगरीय और शहरी केंद्र में स्थित हैं। संयोग से, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाओं के संबंध में अन्य बैंकों के अनुभव से पता चलता है कि इन केंद्रों से अधिकतम संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं।
- f) 46+ आयु वर्ग के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 43% प्रतिशत कर्मचारियों के औसत के निमित्त इस आयु वर्ग के 47% कर्मचारी हैं। इसमें से 1/5 वां 56 और उससे अधिक आयु वर्ग में हैं। इसे सीधे शब्दों में कहें, तो

<u> उद्घोषणा</u>

21,824 कर्मचारी सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंचेंगे और मार्च 2005 तक सेवानिवृत्त होंगे।

उपर्युक्त कारकों के प्रकाश में, यह देखा जाएगा कि बैंक की जनशक्ति संख्या और तैनाती में आगामी वर्षों में प्रमुख परिवर्तन से गुजरना होगा। इसके अतिरिक्त, बैंक के विभिन्न प्रकार के व्यवसाय और बैंकिंग क्षेत्र में इसकी विशेष भूमिका को देखते हुए, मात्रात्मक मापदंडों पर अत्यधिक जोर देना अनुचित होगा। जनशक्ति आयोजना पर एक दृष्टिकोण पेपर अनुलग्नक 'ए' में रखा गया है।

जनशक्ति नियोजन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करते हुए, हमारे दृष्टिकोण में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को भारतीय स्टेट बैंक में जनशक्ति को अधिकार देने के लिए एक मध्यम उपकरण के रूप में नियोजित किया जाना चाहिए। "

पूर्वोक्त के प्रकाश में, यह स्पष्ट है कि वीआरएस योजना को आवश्यकता से अधिक कर्मचारियों को कम करने के लिए एक उपकरण के रूप में तैयार किया गया था। केंद्रीय बोर्ड को सौंपे गए ज्ञापन में निम्नलिखित महत्वपूर्ण पहलू शामिल थे:

"उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, आईबीए के दिशानिर्देश और अन्य बैंकों से प्राप्त प्रतिपुष्टि, 'एसबीआई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (एसबीआई वीआरएस)' का प्रारूप तैयार किया जाता है और अनुलग्नक-'बी' में अनुमोदन के लिए रखा जाता है.

यह उन कर्मचारियों के लिए एसबीआई वीआरएस शुरू करने का प्रस्ताव है, जिन्होंने दिनांक 31–12–2000 तक 40 वर्ष की आयु पूरी कर ली है अथवा 15 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, जो कि आईबीए द्वारा अवगत और भारत सरकार अनुमोदित की गई है। आईबीए योजना के संदर्भ में, बैंक की समिति किसी अन्य श्रेणी को अयोग्य के रूप में निर्दिष्ट कर सकते हैं। हम निगरानी और संरक्षण कर्मचारी–वर्ग को बाहर करने का प्रस्ताव रखते हैं क्योंकि इन पदों को कम नहीं किया जा सकता है। हम योजना से अत्यधिक कुशल और योग्य कर्मचारियों को बाहर करने का भी प्रस्ताव रखते हैं।

<u> उद्घोषणा</u>

एसबीआई वीआरएस प्रकृति में स्वैच्छिक होगा। योजना के तहत सेवानिवृत्ति लेने का निर्णय केवल कर्मचारी के पास है। प्रबंधन योजना के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के अनुरोध को स्वीकार करने या न करने के लिए विवेक को बनाए रखेगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि एक ओर, हमारे बैंक को कर्मचारियों की शक्ति के अधिकारों द्वारा लाभान्वित किया जाए, दूसरी ओर, बहुत बड़ी संख्या में कर्मचारियों का कोई भी अचानक पलायन बैंक के सामान्य संचालन को अस्थिर नहीं करता है। योजना की आकर्षक विशेषताओं पर विचार करते हुए, अनुग्रह राशि, इत्यादि के संदर्भ में, बड़ी संख्या में आवेदन अपेक्षित हैं। हालांकि, बैंक को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार बहिर्वाह को नियंत्रित करना होगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह आवश्यक होगा कि बैंक के प्रबंध में यह विवेकाधिकार बनाए रखा जाए कि प्रत्येक प्रवर्ग के कर्मचारियों को एसबीआई वीआरएस के अधीन सेवानिवृत्त होने की अनुज्ञा दी जाए और हम ऐसे विवेकाधिकार को बनाए रखने का प्रस्ताव करते हैं।" (प्रभाव वर्धित)

यह उन कर्मचारियों के लिए वीआरएस प्रस्तुत करने का प्रस्ताव था, जिन्होंने 31.12.2000 को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित और आईबीए द्वारा अवगत कराया गया था 15 साल की सेवा पूरी कर ली थी। इसलिए, यह इस बात को महत्व देता है कि आईबीए योजना के संदर्भ में जिसे अनुमोदित और संप्रेषित किया गया था, बैंकों की समिति को किसी अन्य श्रेणी को अपात्र के रूप में निर्दिष्ट करने की अनुमति थी। एसबीआई निगरानी और संरक्षण कर्मचारी–वर्ग को बाहर करने के लिए प्रस्तावित अपनी आवश्यकता पर विचार करता है क्योंकि इन पदों को कम नहीं किया जा सकता है। योजना से अत्यधिक कुशल और योग्य कर्मचारियों को बाहर करने का भी प्रस्ताव किया गया था। केंद्रीय बोर्ड को सौंपे गए ज्ञापन में निधि परिव्यय का भी प्रस्ताव निम्नानुसार है:

"निधि परिव्यय

<u> उद्घोषणा</u>

बैंक के बीमांकक से प्राप्त अनुमान के अनुसार, यदि 10% कर्मचारी सेवानिवृत्ति के लिए चुनते हैं तो एसबीआई वीआरएस के कार्यान्वयन के लिए लगभग 2100 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। विश्लेषित विवरण निम्नानुसार है:

अनुग्रह-राशि 1300.00 करोड़ रु.

अवकाश नकदीकरण 180.00 करोड़ रु.

उपदान के लिए अतिरिक्त प्रावधान 140.00 करोड़ रु.

पंशन के लिए अतिरिक्त प्रावधान 480.00 करोड़ रु.

(ये अनुमान भारत सरकार से स्पष्टीकरण प्राप्त करने पर अनुग्रह-राशि के प्रयोजन के लिए 'वेतन' के घटकों के रूप में परिवर्तन कर सकता है) "

पेंशन के लिए एक प्रावधान किया गया था। बैंक ने किसी भी या सभी खंडों को परिवर्तित करने, संशोधित करने या रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखा। उप प्रबंध निदेशक और सीडीओ सक्षम प्राधिकारी होंगे। योजना के संशोधन के संबंध में प्रासंगिक खंड निम्नलिखित है:

"<u>योजना की तब्दीली</u>

बैंक को योजना के किसी भी या सभी खंडों को परिवर्तित करने, संशोधित करने या रद्द करने और किसी भी तारीख से प्रभावी प्रभाव देने का अधिकार सुरक्षित है। उप प्रबंध निदेशक और सीडीओ इस उद्देश्य के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे। "

सेवानिवृत्ति की प्रभावी तिथि 31.3.2001 थी। प्रासंगिक खंड यहां निकाला गया है:

"सेवानिवृत्ति का प्रभावी तिथि

<u> उद्घोषणा</u>

जबिक एसबीआई वीआरएस कर्मचारियों के लिए 15 जनवरी 2001 से 31 जनवरी 2001 (दोनों दिन शामिल) खुला रहेगा, एसबीआईवीआरएस के तहत सेवानिवृत्ति 31 मार्च 2001 से प्रभावी करने का प्रस्ताव है। "

17. दिनांक 31.8.2000 को एसबीआई के केंद्रीय बोर्ड को प्रस्तुत ज्ञापन में पत्र को संलग्न किया गया, यह समझने के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है कि केंद्रीय बोर्ड ने क्या स्वीकार किया था। आईबीए के 31.8.2000 दिनांकित के पत्र का प्रासंगिक भाग यहां अवतरित किया गया है:

"भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (बैंकिंग डिवीजन) द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को संबोधित पत्र DO सं. 11/1 / 99-IR दिनांक 22.05.2000 को आमंत्रित किया गया है, जिसमें बैंकों को सूचित किया गया है कि वे विभिन्न स्तरों पर सर्वोत्कृष्ट मानव संसाधन अपनाने के लिए विस्तृत जनशक्ति योजना बनाएं ताकि प्रत्येक बैंक की व्यावसायिक रणनीति और आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जा सके।

इस बैठक में वित्त मंत्री के पास 13 जून, 2000 को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में मानव संसाधन और जनशक्ति योजना की समीक्षा की गई और इस संबंध में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से जुड़े मुद्दों की जांच करने और उपयुक्त उपचारात्मक उपायों का सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किया गया। "

"इस स्थिति को परिस्थितियों की मांग को इस तात्कालिकता के साथ उपचारित किया है कि, सिमित ने सरकार के समक्ष दो योजनाएं, नामतः, विश्रामावकाश और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना रखी हैं, जो मानव संसाधन को अनुकूलित करने और प्राप्त करने के लिए उनकी संतुलित आयु और कौशल के साथ व्यावसायिक रणनीतियों को ध्यान में रखते हुए बैंकों की सहायता करेगी। दोनों योजनाओं की मुख्य विशेषताएं अनुबंध में दी गई हैं।

आईबीए ने अपने पत्र दिनांक 13 जुलाई 2000 के माध्यम से, अपने समितियों द्वारा विचार और अंगीकार करने के लिए योजनाओं को बैंकों को

<u> उद्घोषणा</u>

प्रसारित करने के लिए सरकार से कोई आपत्ति नहीं मांगी है। सरकार ने हमें अवगत कराया है कि उन्हें उपरोक्त योजनाओं को अपनाने और लागू करने के लिए अपने संबंधित निदेशक मंडल के समक्ष दो योजनाओं को रखने से कोई आपत्ति नहीं है। यह सलाह दी गई है कि बैंक अपने समिति की स्वीकृति प्राप्त करने और उन्हें सही तरीके से लागू करने के बाद अनुलग्नक में दी गई योजनाओं की आवश्यक विशेषताओं के आधार पर विश्राम और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए इन योजनाओं को अपना सकते हैं। " (प्रभाव वर्धित)

"बैंकों से निम्नलिखित का विशेष नोट लेने का भी अनुरोध किया जाता है:

- 1. आयकर अधिनियम की धारा 10 (10 सी) नियम 2BA के साथ पढ़ी जाती है।
- 2. वित्त अधिनियम 2000 द्वारा लाए गए संशोधनों के अनुसार, जब तक बैंक धारा 10 (10 सी) के तहत बनाए गए नियमों का अनुपालन करता है, तब तक मुख्य आयुक्त या आयकर के महानिदेशक से पूर्व अनुमोदन, जैसा भी मामला हो, वीआरएस के लिए आवश्यक नहीं है।
- 3. अनुग्रह राशि के 5 लाख या ऐसी सीमा जो आयकर अधि के अंतर्गत विहित हो, से अधिक होने पर आयकर स्रोत पर ही काटा जायेगा।
- 4. न्यूनतम पात्र सेवा पर पहुंचने के लिए केवल पूर्ण वर्षों की सेवा की गणना की जाएगी। इसके अधीन, छह महीने और उससे अधिक की सेवा के अंश को अनुग्रह राशि की गणना के उद्देश्य से एक वर्ष के रूप में माना जाएगा।
- 5. वीआरएस के लिए आवेदन को अस्वीकार करने या वीआरएस के लिए अयोग्य के रूप में वर्गीकृत कर्मचारियों के मामले में अपवाद बनाने के लिए समझदारी का प्रयोग करते समय, निर्णय उन कर्मचारियों के बीच भेदभावपूर्ण नहीं होना चाहिए जिन्हें समान रूप से रखा गया है और इसके कारणों को दर्ज किया जाना चाहिए।
- 6. विभिन्न श्रेणियों / वर्ग के कर्मचारी के लिए वीआरएस स्वीकार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को निदेशक मंडल द्वारा स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया जाना चाहिए।
- 7. योजना को प्रभावी करने से पहले बैंकों को श्रम कानूनों के तहत जरूरतों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए. "

<u> उद्घोषणा</u>

18. आईबीए के पत्र दिनांकित 31.8.2000 में वीआरएस योजना की मुख्य विशेषताओं को स्पष्ट किया गया है कि 15 साल की सेवा वाले सभी स्थायी कर्मचारी सेवानिवृत्त होने के पात्र थे। पात्र व्यक्तियों को भी निर्दिष्ट किया गया है। अयोग्य शर्तों में, अनुबंध में यह उल्लेख किया गया था कि ऐसे कर्मचारी सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 60 दिनों के वेतन की अनुग्रह –राशि के हकदार होंगे अथवा महीनों की सेवा की संख्या, जो भी कम हो, के लिए वेतन छोड़ दिया गया है। ग्रेच्युटी, पेंशन के रूपांतरित मूल्य सहित पेंशन, भविष्य निधि की ओर बैंकों का योगदान, और छुट्टी नकदीकरण नियमानुसार अन्य लाभ स्वीकार्य थे। इस प्रकार, योजना ऐसे सभी कर्मचारियों को पेंशन अनुदान करने की थी, जिन्होंने योजना में निर्दिष्ट 15 साल की सेवा और अन्य लाभों को पूरा करने पर वीआरएस का विकल्प चुना था। भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामलों के विभाग, (बैंकिंग प्रभाग), कि इसने आईबीए को दिनांक 29.8.2000 के अनुमोदन पत्र की सूचना दी, इसे एसबीआई को भी भेजा गया था, उसी का अवतरण यहां किया गया है:

"F. No. 11/1/99-IR (Vol.II)
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
(बैंकिंग प्रभाग)
नई दिल्ली, दिनांक 29 अगस्त 2000

सेवा में, अध्यक्ष भारतीय बैंक संघ मुंबई,

<u> उद्घोषणा</u>

विषय: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में मानव संसाधन प्रबंधन और जनशक्ति योजना – स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना / विश्रामावकाश योजना का निर्माण। महोदय.

मुझे को आईबीए के पत्र क्रमांक PD/ACAP/GOVI/521 दिनांकित 13 जुलाई 2000 को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में मानव संसाधन प्रबंधन पर समिति की अंतरिम रिपोर्ट की एक प्रति प्रेषित करने और सरकार से प्रसारित करने के लिए कोई आपत्ति न करने का अनुरोध करने के लिए निर्देशित किया गया है। बैंकों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना और उनकी समितियों द्वारा विचार और अंगीकरण करने के लिए विश्रामावकाश देने की योजना, और यह कहने के लिए कि सरकार को इसमें निहित प्रस्तावों पर कोई आपत्ति नहीं है।

- 2. आईबीए द्वारा भेजा गया मसौदा प्रारूप परिपत्र थोड़ा संशोधित कर दिया गया है। संशोधित मसौदे की प्रति इसके साथ संलग्न है।
- 3. यह अनुरोध किया जाता है कि बैंकों को जारी परिपत्र की एक प्रति अभिलेख के लिए बैंकिंग प्रभाग को भेजी जाए।

भवदीय

हस्ताक्षरित/- (यू.पी. सिंह)

निदेशक (आईआर) "

19. दिनांक 27.12.2000 को विचार के लिए प्रस्तुत कार्यक्रम संकल्प के साथ केंद्रीय एसबीआई बोर्ड को निम्नानुसार अवतरित किये जाते हैं:

"कार्यक्रम सं. 3

जन-शक्ति योजना और एसबीआई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (एसबीआई वीआरएस)

दिनांक 26 दिसंबर 2000 को उप प्रबंध निदेशक और कॉर्पोरेट विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन की सिफारिश की, जिसमें कहा गया था कि

<u> उद्घोषणा</u>

उसमें बताए गए कारणों के लिए, <u>ज्ञापन में निहित प्रस्तावों के लिए भी अनुमोदन किया जाना चाहिए</u>। ज्ञापन के अनुलग्नक 'बी' में योजना में निहित प्रावधानों के संदर्भ में जनशक्ति नियोजन और एसबीआईवीआरएस की शुरुआत के लिए घोषित दृष्टिकोण को अपनाना।

ज्ञापन की प्रतियां बैठक में उपस्थित निदेशकों के समक्ष रखी गई थीं।

"अनुमोदित"

(सील)

20. ज्ञापन के अनुलग्नक 'बी' में वीआरएस शामिल था। आईबीए के दिशानिर्देशों को देखते हुए वीआरएस तैयार किया गया था। योजना के खंड 5/6 के तहत योजना में निर्दिष्ट भूतपूर्व और अन्य लाभों की अनुग्रह राशि यहां प्रस्तुत की गई है:

"५. अनुग्रहात्मक राशि:

एसबीआई वीआरएस के तहत सेवानिवृत्ति के लिए अनुरोध करने वाले स्टाफ सदस्यों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, उन्हें सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 60 दिनों के वेतन (वेतन प्लस स्थाई वेतन वृद्धि प्लस महंगाई भत्ता) की अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाएगा (इस प्रयोजन के लिए छह महीने और उससे अधिक की सेवा के अंश को एक वर्ष के रूप में लिया जाएगा और तदनुसार छह महीने से कम की सेवा को नहीं गिना जाएगा) या महीने की सेवा की संख्या, जो भी कम हो, के लिए वेतन छोड़ दिया जाता है। एक महीने के अंश, यदि कोई हो, को नजरअंदाज कर दिया जाएगा।

'प्रासंगिक तिथि' का अर्थ है वह तारीख जिस पर कर्मचारी योजना के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए अनुरोध की स्वीकृति के परिणामस्वरूप बैंक की सेवा में रहना बंद कर देता है. अनुग्रह राशि की गणना के लिए, 60 दिनों की योजना में उल्लिखित वेतन को 2 महीने के वेतन (उस महीने के लिए वेतन के संदर्भ में जिसमें कर्मचारी को

<u> उद्घोषणा</u>

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर सेवा से मुक्त किया जाता है) के बराबर लिया जाना है।

आयकर 5.00 लाख रुपये से अधिक की अनुग्रह-राशि के स्रोत पर काटा जाएगा अथवा इस तरह की अन्य उच्चतम संबंधित तिथि को जैसा आयकर अधिनियम के तहत निर्धारित हो।

लाभ निम्नानुसार थे:

- "6. अन्य लाभ
- (क) सुसंगत तारीख को विद्यमान अनुदेशों के अधीन संदेय उपदान।
- (ख) सुसंगत तिथि को भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी भविष्य निधि नियम के अनुसार भविष्य निधि अभिदाय।
- (ग) <u>भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी पेंशन निधि नियम के अनुसार सुसंगत</u> तारीख को पेंशन (पेंशन के परिवर्तित मूल्य सहित)।
- (घ) सुसंगत तिथि पर, लागू होने पर, विशेषाधिकार अवकाश के संतुलन का नकदीकरण।
- (ड़) अधिकारियों/अन्य को दी गई अनुकूल सुविधाओं जैसे आवास, टेलीफोन, कार, आवास ऋण की निरंतरता आदि को अधिकारियों के लिए विस्तारित किया जाएगा। सक्षम प्राधिकारी के विवेक से, वर्तमान वितरण के अनुसार एसबीआई वीआरएस के तहत अन्य सेवानिवृत्त होने वाले। हालांकि, भौतिक सुविधाओं के अवधारण के ऐसे मामलों में, कर्मचारी द्वारा सुविधा के समर्पण के बाद ही देय राशि का 50% जारी किया जाएगा। हालांकि, इस राशि के लिए कोई ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा। एसबीआई वीआरएस के तहत सेवानिवृत्ति की तिथि से पूर्व अन्य सभी बकाया ऋणों /अग्रिमों को चुकाया जाना होगा, जिसमें विफल रहने पर कर्मचारी को देय अनुग्रह –राशि और अन्य सावधि लाभों की राशि बकाया ऋणों /अग्रिमों के लिए विनियोजित की जाएगी; और शेष केवल कर्मचारी को देय होगा।"
- 21. सबसे महत्वपूर्ण रूप से, आईबीए की योजना 15 साल की सेवा पूरी होने पर पेंशन प्रदान करने के लिए थी, जो कि दिनांक 27.12.2000 को

<u> उद्घोषणा</u>

समिति द्वारा स्वीकार की गई। योजना के खंड 6 में निर्दिष्ट पेंशन को पेंशन निधि नियमों के संदर्भ में काम किया जाना था, जिसमें पेंशन का परिवर्तित मूल्य भी शामिल था। एसबीआई द्वारा अपनाए गए वीआरएस में यह उल्लेख नहीं किया गया था कि 15 वर्ष पूरे होने पर व्यक्ति पेंशन के लाभ का हकदार नहीं होगा। दूसरी ओर, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित आईबीए के प्रस्ताव को एसबीआई द्वारा पूर्णतः स्वीकार किया गया था। जब आईबीए के प्रस्तावों के मानदंड में, आवश्यक विशेषता यह थी कि एक कर्मचारी 15 साल की सेवा पूरी होने पर पेंशन पाने का हकदार था। नियमों के संदर्भ में "पेंशन" पद का अर्थ पेंशन नियमों के नियम 23 में प्रदान की गई गणना की शतों के अनुसार 15 वर्ष की सेवा पूरी करने पर आनुपातिक पेंशन होगी। वीआरएस एक स्वतंत्र अनुबंध है और जिस पृष्ठभूमि में इसे चलाई गई थी, 15 साल की सेवा पूरी होने पर पेंशन वीआरएस 2000 की योजना का एक अनिवार्य हिस्सा थी, जैसा कि सरकार द्वारा अनुमोदित और आईबीए द्वारा चलाई गई थी और सभी बैंकों द्वारा अपनाया गया था, और पेंशन नियम तदनुसार संशोधित किए जाने थे।

22. भारत सरकार ने आईबीए को 1995 के विनियमों के विनियमन 29 में संशोधन करने का सुझाव दिया ताकि कर्मचारी पेंशन का लाभ न खो सकें, आईबीए तौर-तरीकों पर काम कर सकता है और पेंशन विनियमों में किए जाने के लिए आवश्यक संशोधनों का सुझाव दे सकता है। यह सुनिश्चित

<u> उद्घोषणा</u>

करने के लिए कि कर्मचारियों को पेंशन का लाभ मिलता है। भारत सरकार के दिनांक 5.9.2000 के पत्र को यहां अवतरित किया गया है:

"F. No. 4/8/4/2000-IR भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग) नई दिल्ली, 5-9-2000

सेवा में, कार्मिक सलाहकार, भारतीय बैंक संघ, मुंबई,

विषय – पेंशन विनियमों के विनियम 29 का संशोधन।

महोदय,

मुझे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के प्रचलन के लिए सरकार की कोई आपत्ति से अवगत कराते हुए, इस प्रभाग के पत्र क्रमांक 11/1/99 IR 29-8-2000 दिनांकित का उल्लेख करने के लिए निर्देशित किया गया है। जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के संचालन के लिए सरकार की कोई आपत्ति नहीं है। योजना, अन्य बातों के साथ, यह प्रदान करती है कि 15 वर्ष की सेवा या 40 वर्ष की आयु वाले कर्मचारी योजना के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के लिए पात्र होंगे। पेंशन विनियमों के विनियमन 29 में निहित प्रावधानों के अनुसार, एक कर्मचारी 20 साल की अर्हकारी सेवा के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले सकता है और उसके बाद पेंशन के लिए पात्र हो जाता है। इस प्रकार, 15 वर्ष की सेवा प्रदान करने वाले या 40 वर्ष की आयु पूरी करने वाले कर्मचारी, परन्तु 20 वर्ष की सेवा पूरी नहीं करने पर योजना के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने पर पेंशन लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसे कर्मचारी पेंशन का लाभ नहीं खोते हैं, आईबीए तौर-तरीकों पर काम कर सकते हैं और यदि कोई हो, तो

<u> उद्घोषणा</u>

संशोधन का सुझाव दे सकते हैं, पेंशन विनियमों में यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि इन कर्मचारियों को भी पेंशन का लाभ मिले।

> भवदीय, हस्ताक्षरित/– (यू.पी. सिंह) निदेशक (आईआर)"

23. एसबीआई ने योजना के तहत प्रस्तुत आवेदन को वापस लेने के संबंध में दिनांक 10.1.2001 को एक परिपत्र जारी किया। यह निर्णय लिया गया कि कर्मचारी लिखित अनुरोध करके दिनांक 15.2.2001 को या उससे पहले आवेदन वापस ले सकता है।

24. दिनांक 15.1.2001 को स्पष्टीकरण जारी किया गया था, जो कि 15 वर्ष की पेंशन योग्य सेवा पूरी करने पर कर्मचारी पेंशन लाभ के हकदार होंगे अथवा नहीं। निम्नलिखित एक प्रासंगिक हिस्सा है:

"3. क्या कर्मचारी, प्रासंगिक तिथि (एसबीआई वीआरएस के तहत सेवानिवृत्ति की तारीख) के अनुसार पेंशनभोगी सेवा के 15 वर्ष पूरे करने वाले कर्मचारी पेंशन लाभ के हकदार होंगे या नहीं?

इस संबंध में, हम एक स्टाफ परिपत्र पत्र संख्या CDO/81 दिनांक 30/12/2000 के आवरण के तहत अग्रेषित योजना के प्रस्तर 6(सी) के संदर्भ में आमंत्रित करते हैं। एसबीआई वीआरएस के तहत सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को पेंशन का भुगतान संबंधित तिथि (पेंशन के परिवर्तित मूल्य सिहत) पर भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी पेंशन निधि नियमों द्वारा शासित होगा। हालांकि, मौजूदा नियमों के अनुसार, जिन कर्मचारियों ने पेंशन सेवा के 20 साल पूरे नहीं किए हैं, वे पेंशन के लिए पात्र नहीं हैं। "

<u> उद्घोषणा</u>

उत्तर से यह स्पष्ट है कि स्टाफ परिपत्र दिनांक 30.12.2000 को दोहराया गया था। वीआरएस के तहत सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को पेंशन का भुगतान प्रासंगिक तिथि, यानी दिनांक 31.3.2001 पर नियमों द्वारा शासित किया जाएगा। उसी समय, मौजूदा नियम की स्थिति से संकेत दिया गया था कि जिन कर्मचारियों ने 20 साल की पेंशन सेवा पूरी नहीं की थी, वे पेंशन के लिए पात्र नहीं थे। यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि योजना के प्रस्तर 6(सी) का अर्थ और उद्देश्य क्या था। यह उल्लेख नहीं किया गया था कि कर्मचारी भारत सरकार द्वारा अनुमोदित और आईबीए द्वारा चलाई गई और एसबीआई के केंद्रीय बोर्ड द्वारा अपनायी गई योजना के अनुसार 15 वर्षों की सेवा पर पेंशन का हकदार नहीं होगा। मत के रूप में उपरोक्त स्पष्टीकरण, बोर्ड द्वारा पारित वीआरएस या प्रस्ताव के किसी भी खंड में परिवर्तन, संशोधन अथवा रद्व करने का कारण नहीं कहा जा सकता है, न तो ऐसा कहा ही गया था। यह बताना आवश्यक था कि 15 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर, कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान नहीं किया जाएगा। मौजूदा नियम की स्थिति सभी को ज्ञात थी, जबकि योजना को 15 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर पेंशन प्रदान करने के लिए तैयार किया गया था।

25. एसबीआई के पेंशन नियमों के नियम 22 के रूप में यह दिनांक 09.03.2001 तक मौजूद है और इसमें संशोधित अवतरण इस प्रकार हैं:

<u>मौजूदा नियम</u>

<u> उद्घोषणा</u>

- "22 (i) एक सदस्य बैंक की सेवा से सेवानिवृत्त होने पर इन नियमों के तहत पेंशन का हकदार होगा –
- (क) 20 वर्ष की पेंशनभोगी सेवा पूर्ण करने के पश्चात बशर्ते उन्होंने 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है अथवा यदि वह दिनांक 01.11.93 को या उसके बाद बैंक की सेवा में है, तो दस वर्ष की पेंशनभोगी सेवा पूर्ण करने के पश्चात बशर्ते कि उसने 58 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो।
- (ख) उस आयु के निरपेक्ष बीस वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् यदि वह अनुमोदित चिकित्सा प्रमाणपत्र द्वारा अपनी सेवानिवृत्ति मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को संतुष्ट करेगा या अन्यथा कि वह आगे सक्रिय सेवा के लिए असमर्थ है;
- (ग) बीस वर्ष की पेंशनभोगी सेवा पूर्ण करने के पश्चात्, उस आयु के निरपेक्ष जो वह लिखित रूप में अपने अनुरोध पर प्राप्त कर चुका है;
- (घ) पचीस वर्ष की पेंशन योग्य सेवा के बाद।

संशोधित नियम

- "22 (i) एक सदस्य बैंक की सेवा से सेवानिवृत्त होने पर इन नियमों के तहत पेंशन का हकदार होगा–
- (क) 20 वर्ष की पेंशनभोगी सेवा पूर्ण करने के पश्चात बशर्ते उन्होंने 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है अथवा यदि वह दिनांक 01.11.93 को या उसके बाद बैंक की सेवा में है, तो दस वर्ष की पेंशनभोगी सेवा पूर्ण करने के पश्चात बशर्ते कि उसने 58 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो अथवा यदि वह 22. 05. 1998 को या उसके बाद बैंक की सेवा में है। दस वर्ष पूर्ण होने के पश्चात, पेंशनभोगी सेवा प्रदान करने के लिए वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है।
- (ख) बीस वर्ष की पेंशनभोगी सेवा पूर्ण करने के पश्चात्, उस आयु के निरपेक्ष जो वह प्राप्त कर चुका है, यदि वह अनुमोदित चिकित्सा प्रमाणपत्र द्वारा अपनी सेवानिवृत्ति मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को संतुष्ट करेगा या अन्यथा कि वह आगे सक्रिय सेवा के लिए असमर्थ है:
- (ग) बीस वर्ष की पेंशनभोगी सेवा पूर्ण करने के पश्चात, भले ही वह लिखित रूप में अपने अनुरोध पर प्राप्त की गई हो;

<u> उद्घोषणा</u>

- (घ) पचीस वर्ष की पेंशनभोगी सेवा के पशचात."
- 26. नियम 22 से यह स्पष्ट है कि पेंशन एक कर्मचारी के लिए इस प्रकार स्वीकार्य है
 - 1) 20 वर्ष की पेंशनभोगी सेवा पूर्ण करने के पश्चात बशर्ते कि वह 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो; या
 - 2) यदि वह दिनांक 01.11.1993 को बैंक की सेवा में है, 10 वर्ष की पेंशनभोगी सेवा प्रदान की है, उसके पश्चात् बशर्ते कि उसने 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो; या
 - 3) यदि वह दिनांक 22.05.1998 को या उसके बाद 10 साल की पेंशनभोगी सेवा पूर्ण करने के पश्चात बैंक की सेवा में है, बशर्ते कि वह 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो।
- 27. नियम 22 (1) (सी) को पेंशन फंड नियमों में शामिल किया गया जिसमें सेवा के 20 साल पूरे होने पर बैंक ने वीआरएस शुरू करने के लिए अन्य बातों के साथ निर्णय लिया था जो 20.09.1986 से प्रभाव में आया। असंशोधित नियम 22 (i) (ए) में सेवानिवृत्ति की सामान्य आयु 58 वर्ष निर्धारित की गई थी। इसके बाद, 22. 5. 1998 को सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार, सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी गई। तदनुसार, नियम 22 (i) (ए) को 30. 1. 2001 को संशोधित करने का प्रस्ताव किया गया था, और 58 वर्षों के बजाय, 60 वर्ष की सेवानिवृत्ति की आयु को शामिल किया जाना था। 28. 5. 1998 को, एसबीआई के केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारी समिति ने संबंधित सेवा नियमों के

<u> उद्घोषणा</u>

लंबित संशोधन में 60 वर्ष की आयु को अपनाया। संशोधन को 31. 3. 2001 को अधिसूचित किया गया और 30.10.2001 को एसबीआई कर्मचारी पेंशन फंड के ट्रस्टियों द्वारा अनुमोदित किया गया।

- 28. भारत सरकार के निर्णय के द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों से संबंधित वीआरएस की इस तरह की योजना को लागू कर दिया था। पंजाब और सिंध बैंक में, इसे 12.01.2000 से 31.12.2000 तक; पंजाब नेशनल बैंक 1.11.2000 से 30.11.2000 तक; बैंक ऑफ इंडिया: 15.11.2000 से 14.12.2000 तक; यूनियन बैंक ऑफ इंडिया: 01.12.2000 से 31.12.2000 तक; यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया: 01.01.2001 से 31.01.2001 तक जारी रहना था। एसबीआई में, उक्त योजना को केंद्रीय बोर्ड ने 27.12.2000 को अपनाया था।
- 29. भारतीय स्टेट बैंक का गठन एसबीआई अधिनियम, 1955 के तहत किया गया था। राष्ट्रीयकृत बैंकों को बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत ले लिया गया था। अधिनियम 1970 के तहत, पंजाब नेशनल बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 को बनाया गया। विनियमन 28, सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर पेंशन प्रदान करता है, और विनियमन 29 द्वारा 20 साल की अर्हकारी सेवा पूरी करने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर पेंशन प्रदान करता है। उपर्युक्त बैंकों के लिए विनियमन 29 (5) लागू होता है, बशर्ते कि विनियमन के तहत स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी की अर्हकारी सेवा को पांच साल से अधिक

<u> उद्घोषणा</u>

की अवधि तक नहीं बढ़ाया जाएगा, इस शर्त के अधीन कि ऐसे कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई कुल अर्हकारी सेवा 33 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

- 30. वी.आर.एस. 2000, बैंक ऑफ इंडिया और अन्य बनाम ओ. पी. स्वर्णकार और अन्य, (2003) 2 एस. सी. सी. 721 के वाद में विनियम, 1995 के विनियम 29 (5) के संदर्भ में इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया था। न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि यह स्कीम संविदात्मक है और 15 वर्ष की सेवा पूरी होने पर पेंशन संबंधी लाभ के लिए उपबंध की गई है। एच.ई.सी. स्वैच्छिक सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण सोसाइटी बनाम हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, (2006) 3 एस. सी. 708 वाद के निर्णय का अनुसरण किया गया
- 31. योजना की प्रस्तावना के कारण, विनियम 1995 के विनियम 28 में संशोधन करने का प्रस्ताव दिया गया था। इसे 1.9.2000 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ वर्ष 2002 में संशोधित किया गया था। संशोधन के माध्यम से, विनियमन 28 में इस प्रकार एक परन्तुक डाला गया है:
 - "28. सेवानिवृत्ति पेंशन सेवानिवृत्ति पेंशन एक कर्मचारी को दी जाएगी जो सेवा विनियमों या व्यवस्थापन में निर्दिष्ट सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हो गया है।
 - " परंतु यह कि पेंशन ऐसे कर्मचारी को भी प्रदान की जाएगी जो सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने से पूर्व सेवानिवृत्त होने का चुनाव करता है, किन्तु ऐसी किसी स्कीम के संबंध में, जो सरकार की सहमति से बैंक बोर्ड द्वारा इस

<u> उद्घोषणा</u>

प्रयोजन के लिए विरचित की जाए, न्यूनतम 15 वर्ष की अवधि की तामील करने के पश्चात् दी जाएगी। " (प्रभाव वर्धित)

32. जिन कर्मचारियों ने 2000/2001 में निर्दिष्ट अवधि के भीतर 15 साल की सेवा पूरी करने पर वी.आर.एस. का विकल्प चुना था, उन्हें पेंशन का लाभ दिया गया था। 2002 में पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ विनियमों में संशोधन किया गया। हालांकि, विनियमन 29 (5) के तहत लाभ को उन लोगों/कर्मचारियों तक नहीं बढ़ाया गया था जिन्होंने 5 साल की अर्हकारी सेवा जोड़कर 20 साल की सेवा पूरी की थी। उक्त बैंकों के लिए लागू विनियम 29 (1) और 29 (5) यहां दिए गए हैं:

"29. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर पेंशन— (1) किसी भी समय 1 नवंबर, 1993 को या उसके पश्चात्, किसी कर्मचारी द्वारा अर्हकारी सेवा के बीस वर्ष पूरे किए जाने के पश्चात् वह सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित रूप में कम से कम तीन मास की अविध से पहले सूचना देकर:

बशर्ते कि यह उप –विनियमन उस कर्मचारी पर लागू नहीं होगा जो प्रतिनियुक्ति पर है या विदेश में अध्ययन अवकाश पर है जब तक कि उसे स्थानांतरित नहीं किया जाता है या भारत में वापस नहीं किया जाता है, उसने भारत में पद का प्रभार फिर से शुरू कर दिया है और कम से कम एक वर्ष की अवधि की सेवा की है:

आगे कहा गया है कि यह उप-विनियमन उस कर्मचारी पर लागू नहीं होगा जो एक स्वायत्त निकाय या एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या कंपनी या संस्था या निकाय में स्थायी रूप से अवशोषित होने के लिए सेवा से सेवानिवृत्ति चाहता है, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिस समय वह प्रतिनियुक्ति पर है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग करता है:

<u> उद्घोषणा</u>

बशर्ते कि यह उप –विनियमन उस कर्मचारी पर लागू नहीं होगा, जिसे विनियमन 2 के खंड (1) के अनुसार सेवानिवृत्त माना जाता है।

X X X

- (5) इस विनियम के अधीन स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी की अर्हक सेवा में, पांच वर्ष से अनिधक की अविध तक, इस शर्त के अधीन वृद्धि की जाएगी कि ऐसे कर्मचारी द्वारा दी गई कुल अर्हक सेवा किसी भी दशा में 33 वर्ष से अधिक नहीं होगी और वह उसे सेवानिवृत्ति की तारीख से आगे नहीं ले जाएगी।
- विचाराधीन योजना ओ.पी. स्वर्णकार और अन्य(उपरोक्त) में विचार 33. के लिए आई थी। जिसमें एसबीआई CA सं. 356165/2002 में अपीलकर्ताओं में से एक था, इस न्यायालय द्वारा एक सामान्य निर्णय द्वारा अपील का फैसला किया गया था। यह अंकित किया गया कि पेंशन की गणना के लिए नियमों के अनुसार पेंशन का संदर्भ दिया गया था, और जिन कर्मचारियों ने 15 साल की सेवा पूरी की थी, उन्हें पेंशन और अन्य लाभों के साथ वीआरएस 2000 का लाभ दिया जाना था। आईबीए ने पेंशन विनियमों. 1995 में संशोधन के लिए सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 11.12.2000 को एक पत्र लिखा। आईबीए ने उल्लेख किया कि कर्मचारियों को वीआरएस 2000 के अनुसार पेंशन का भुगतान किया जाना था। वे उसी के अनुपात के अनुसार पेशंन के पात्र होंगे, जैसे की विनियमन 28 में संशोधन किया गया हो। सरकार और निदेशक मंडल की विशिष्ट मंजूरी के साथ बनाई गई विशेष/तदर्थ योजना के तहत 15 वर्ष की सेवा प्रदान करने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन करने वाले कर्मचारी प्रदान की गई सेवा की अवधि के लिए उसी के अनुपात पेंशन के लिए पात्र होंगे, जैसे कि वे उस तिथि को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होने

<u> उद्घोषणा</u>

[&]quot;क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

वाले थे। पत्र ने स्पष्ट कर दिया कि भारत सरकार ने सेवा के 15 साल पूरे होने पर नियमों के अनुसार पेंशन को मंजूरी दी।

योजना स्थायी सेवा के 15 साल पूरे होने पर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को पेंशन का लाभ देने के लिए थी, और भारत सरकार यह भी चाहती थी कि आईबीए ने बैंकों को उनके पेंशन नियमों में आवश्यक संशोधन करने की सलाह दे। जैसा कि परिशिष्ट में उल्लिखित है। इस प्रकार, वीआरएस योजना का सार पेंशनभोगी सेवा के 15 साल पूरे होने पर नियमों के अनुसार अनुपातिक पेंशन का लाभ दिया गया था।

34. यह स्पष्ट है कि इस योजना का आधार नए कार्यबल को शामिल करने की जरूरत थी, जिनमें आधुनिक प्रौद्योगिकी, विदेशी मुद्रा, उद्यम पूंजी, ई-कॉमर्स, धन प्रबंधन, आदि जैसे नए कौशल का पर्याप्त ज्ञान हो।, वित्त मंत्रालय ने अपने दिनांकित 22. 5. 2000 पत्र में बताया। बैंकों को ओवरस्टॉफ़ किया गया था और प्रभावी प्रबंधन और जनशक्ति योजना के लिए, कार्यबल और कौशल को तर्कसंगत बनाने के लिए वीआरएस शुरू करने की वांछनीयता महसूस की गई थी। इसलिए केंद्र सरकार द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। समिति की रिपोर्ट के अनुसरण में , वीआरएस को फ्रेम करने के लिए एक नीतिगत निर्णय लिया गया। योजना उन कर्मचारियों पर लागू होती है, जिन्होंने आवेदन की तारीख को 15 साल की सेवा पूरी की। उसमें निर्दिष्ट कर्मचारी अन्यथा नियमों /विनियमों के तहत 15 साल पूरे होने पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के लिए पात्र नहीं थे। अन्य

<u> उद्घोषणा</u>

बैंकों द्वारा जारी योजना के तहत, एसबीआई वीआरएस के रूप में समान राहत स्वीकार्य था। पंजाब नेशनल बैंक की योजना यहां प्रस्तुत की गई है:

"7. XXX " अनुग्रहात्मक राशि

योजना के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग करने वाला कर्मचारी प्रस्तर (ए) या (बी) में नीचे उल्लिखित अनुग्रह राशि का हकदार होगा, जो भी कम हो:

(क) सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 60 दिन का वेतन (वेतन जमा ठहराव वेतन और विशेष वेतन और महंगाई राहत);

अथवा

(ख) शेष सेवा के महीनों की सं. के लिए वेतन; अन्य लाभ

अथवा

योजना के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पाने वाले कर्मचारी इस योजना के ऊपर प्रस्तर 6 में उल्लिखित भूतपूर्व राशि के अलावा निम्नलिखित लाभों के लिए पात्र होंगे:

- (i) यथास्थिति, उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के अनसुार उपदान या सेवा नियमों के अधीन संदेय उपदान के अनुसार उपदान या जैसी स्थिती हो उसी के अनुसार या वर्तमान विनियमों के अनुसार।
- (ii)(ए) पीएनबी (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 के अनुसार पेंशन (पेंशन का निर्धारित मूल्य सहित)।

अथवा

- (बी) मौजूदा नियमों के अनुसार पीएफ के प्रति बैंक का योगदान।
- (iii) मौजूदा नियमों के अनुसार छुट्टी लेना.

(प्रभाव वर्धित)

तदघोषणा

35. एस.बी.आई. वी.आर.एस. सहित सभी योजनाओं में पात्रता मानदंड, स्पष्ट रूप से प्रदान करता है कि 15 वर्ष की सेवा और विशेष आयु पूरी करने वाले कर्मचारी आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। जिन लाभों के वे हकदार थे, उन्हें समाप्त कर दिया गया था। अन्य बैंकों में, पेंशन, पेंशन विनियमन, 1995 के अनुसार थी। इस प्रकार, एक कर्मचारी की पात्रता पर, योजना में उपलब्ध राहत की स्वीकार्यता अर्थात्, अनुग्रह की राशि और पेंशन सहित अन्य लाभों का भुगतान योजना के अनुसार किया जाना था. अन्यथा, 15 साल की सेवा के साथ एक कर्मचारी को सेवानिवृत्त करने का कोई उद्देश्य नहीं था क्योंकि वे सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों और एसबीआई में 20 साल की सेवा समाप्त होने से पहले नियमों के अनुसार सेवानिवृत्ति के लिए पात्र नहीं थे। सभी वीआरएस में नियमों /विनियमों के अनुसार पेंशन की स्वीकार्यता का संदर्भ दिया गया था, जिसका अर्थ है कि आनुपातिक पेंशन प्रदान किए नियमों के अनुसार स्वीकार्य होगी, इस न्यायालय ने इसे ओपी स्वर्णकार (उपरोक्त) के वाद में अंकित किया है, इस प्रकार।

"49. निर्विवाद रूप से एक प्रस्ताव व्यक्तियों के एक समूह को सामूहिक रूप से बनाया जा सकता है जो व्यक्तिगत रूप से स्वीकार करने में सक्षम है, लेकिन जिस प्रश्न को प्रस्तुत किया जाना है और उत्तर दिया जाना है वह यह है कि क्या सेवा न्यायशास्त्र के संबंध में है; तत्काल मामले में भारतीय संविदा अधिनियम के सिद्धांत लागू होंगे। यह " बैंकों " का विशिष्ट मामला है कि ये योजनाएं संविदा के जिए चलाई गई थीं। इसमें कोई वैधानिक आकार नहीं है। विनियमों के तहत बनाए गए पेंशन योजना का संदर्भ पेंशन की गणना के लिए बनाया गया था। "

(प्रभाव वर्धित)

<u> उद्घोषणा</u>

36. ओ.पी. स्वर्णकार (उपरोक्त), इस न्यायालय ने यह देखा कि कर्मचारियों ने वीआरएस के लिए आवेदन करने के लिए कार्यवाही की होगी, भले ही उन्होंने केवल 15 साल की सेवा पूरी कर ली हो, जो कि एक अर्हकारी सेवा नहीं थी, बैंक के पेंशन विनियमों के तहत, वे वीआरएस योजना के संदर्भ में लाभ के हकदार होंगे। न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया है:-

"89. इसके अलावा, बडी सं. में कर्मचारियों ने अपना प्रस्ताव केवल तभी वापस ले लिया है जब उपर्युक्त विनियम 28 में एक परंतुक जोड़ने की मांग की गई हो। इस योजना के संदर्भ में, विनियम 29 के उपविनियमन (4) का लाभ प्राप्त करने के लिए अपेक्षित कर्मचारी उससे वंचित हो जाएंगे। इस विवाद में यह नहीं है कि पेंशन प्राप्त करने की अर्हक अवधि 20 वर्ष थी। विनियमन २९ में निहित कानूनी विनियमन के संदर्भ में केवल २० वर्ष पूरा होने पर, कोई कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चून सकता है और उसके संदर्भ में, वह उसमें विनिर्दिष्ट लाभों का हकदार होगा। उक्त विनियमों का विनिर्दिष्टतः संगणना के प्रयोजन के लिए उल्लेख किया गया है जिसमें अर्हक अवधि की ओर 5 वर्ष की छूट का उपबंध करते हुए विनियम 29 के उपविनियमन (4) का आह्वान सम्मिलित होगा। कर्मचारी इस आधार पर आगे बढ़े होंगे कि इस तथ्य के बावजूद कि उन्होंने केवल 15 वर्ष की सेवा प्रदान की है, जो विनियमों के अधीन अर्हक सेवा नहीं है, वे स्कीम के निबंधनानुसार पेंशन संबंधी लाभों के हुकदार होंगे। विनियम 28 पेंशन के परंतुक का पुरःस्थापन करके पूर्ण पेंशन के स्थान पर अनुपातिक बनाने की मांग की गई थी

(प्रभाव वर्धित)

37. ओपी स्वर्णकार और अन्य(उपरोक्त) के वाद में यह अभिनिर्धारित किया गया कि यह स्कीम कानूनी विनियमों का भाग नहीं थी यह अनुबंध के दायरे में था। ऐसा होने के कारण, केंद्र सरकार को संसद के समक्ष रखने की आवश्यकता नहीं थी; और दूसरी बात, यदि वही एक विनियमन था, तो

<u> उद्घोषणा</u>

निर्धारित नियम केवल निर्देशिका है और अनिवार्य नहीं है। इस न्यायालय ने जन मोहम्मद नूर मोहम्मद बागबन बनाम गुजरात राज्य ए.आई.आर 1966 (2) एससी 386 और एटलस साइकिल इण्डसट्रिज लिमि. बनाम हरियाणा राज्य के निर्णयों पर अवलम्ब लिया और यह अभिर्निधारित किया कि इस योजना को विधि में अनुचित नहीं कहा जा सकता है, इस प्रकार:

"124. सबसे पहले, योजना वैधानिक विनियमन का हिस्सा नहीं है। यह अनुबंध के दायरे में था। ऐसा होने के कारण, केंद्र सरकार के लिए संसद के समक्ष इसे रखना आवश्यक नहीं था।

125. दूसरे, भले ही वही एक विनियमन था, प्रतिपादन करने का नियम केवल एक निर्देशिका है और अनिवार्य नहीं है।

126. जन मोहम्मद वाद ए.आई.आर. 1966 एससी 385 में विधि निम्नलिखित शब्दों में वर्णित है: (ए. आई. आर. पी.पी. 39495, प्रस्तर 18)

"18. अंत में, 1939 के बॉम्बे अधिनियम 22 के तहत बनाए गए नियमों की वैधता को रद्द कर दिया गया। बॉम्बे अधिनियम की धारा 26 (1) द्वारा, राज्य सरकार अधिनियम के प्रावधानों को पूरा करने के उद्देश्य से नियम बनाने के लिए अधिकृत थी। यह उपधारा (5) द्वारा उपबंधित किया गया था कि धारा 26 के अधीन बनाए गए नियम संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जाएंगे इसके बाद के सत्र में विधायिका और उसके बाद एक प्रस्ताव द्वारा संशोधित या रद्द किया जा सकता है जिसमें दोनों सदनों सहमति व्यक्त करते हैं, और इस तरह के नियम, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना के बाद, तदनुसार संशोधित या रद्द किए गए माना जाएगा। याचिकाकर्ता द्वारा यह आग्रह किया गया था कि 1939 के बॉम्बे अधिनियम 22 के तहत बनाए गए नियमों को पहले सत्र में विधान सभा या विधान परिषद के समक्ष नहीं रखा गया था, और इसलिए उनकी कोई कानूनी वैधता नहीं थी। 1939 के अधिनियम 22 के तहत बंबई की प्रांतीय सरकार द्वारा 1941 में बनाए गए थे। उस समय, सत्र में कोई विधानमंडल नहीं था, द्वितीय विश्वयुद्ध से उत्पन्न आपातकाल के दौरान विधानमंडल को निलंबित

<u> उद्घोषणा</u>

कर दिया गया था। बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली का अधिवेशन 1941 के बाद पहली बार 20.5.1946 में आयोजित किया गया था और 24.5.1946 में इस सत्र का सत्रावसान हुआ। बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली का दूसरा अधिवेशन 15.7.1946 को आयोजित किया गया था और 3.9.1946 को बंबई लेजिस्लेटिव काउंसिल का और 291946 को विधान सभा के समक्ष तथा 13.9.1946 को विधान परिषद के समक्ष दूसरे सत्र में विधान सभा पटल पर नियम रखे गए थे। 1939 के बॉम्बे अधिनियम 22 की धारा 26 (5) में कहा गया है कि नियमों ने केवल उस तारीख से वैधता हासिल की है जिस दिन उन्हें विधानमंडल के सदनों के समक्ष रखा गया था। नियम उस तारीख से वैध हैं जिस दिन वे धारा 26 (1) के तहत बनाए गए हैं। यह सही है कि विधानमंडल ने यह विहित किया है कि नियम विधान-मंडल के सदनों के समक्ष रखे जाएंगे किंतू विधान-मंडल के सदनों के समक्ष नियम रखने में असफलता नियमों की विधिमान्यता को प्रभावित नहीं करती, केवल इसलिए कि उन्हें विधानमंडल के सदनों के समक्ष नहीं रखा गया है. यह मानते हुए कि विधानमंडल के सदनों के समक्ष नियमों को रखने में विफलता के कारण धारा 26 के उपधारा (5) के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया था, हमारा विचार है कि धारा 26 की उपधारा (5) उन उद्देश्यों के संबंध में है जिनके लिए यह किया गया है, और जिस संदर्भ में यह होता है, उसे अनिवार्य नहीं माना जा सकता है। नियम वर्ष 1941 से प्रवर्तन में रहे हैं और 1964 के गुजरात अधिनियम 20 की धारा 64 के आधार पर वे प्रवर्तन में बने रहे हैं

- 127. एटलस साइकिल इंडस्ट्रीज (1979) 2 एससीसी 196 के वाद में इसी मत को दोहराया गया है
- 128. इसलिए, हमारी राय है कि विचाराधीन योजना को विधि में अनुचित नहीं कहा जा सकता है। "
- 38. न्यायालय ने वापसी के प्रावधान के बारे मेंअभिर्निधारित किया कि योजना के प्रासंगिक खंड ने एक लागू करने योग्य अधिकार बनाया है यदि स्टेट बैंक अपनी नीति का पालन करने में विफल रहा है।

<u> उद्घोषणा</u>

39. हमारी राय में, एसबीआई वीआरएस में अनुज्ञेय लाभों के सन्दर्भ में, जैसे पेंशन, पेंशन नियमों के अनुसार होगा, जो पेंशन की संगणना के प्रयोजन के लिए था। यह स्कीम के पढ़ने से स्पष्ट है कि ओ. पी. स्वर्णकार और अन्य (उपरोक्त) के प्रस्तर 49 में उल्लिखित कर्मचारियों के लिए आनुपातिक पेंशन अनुज्ञेय थी। राष्ट्रीयकृत बैंकों की योजनाओं में भी इसी प्रकार की अभिव्यक्ति का प्रयोग किया गया था। इस न्यायालय ने स्कीम में यह उल्लेख किया है कि पेंशन की संगणना का अर्थ नियमों के अनुसार पेंशन है। एसबीआई पेंशन नियम के नियम 23 में किसी पेंशन की संगणना का सूत्र दिया गया है।

40. यह अत्यंत महत्व का विषय है कि केन्द्रीय बोर्ड ने अपनी बैठक में तारीख 27.12.2000 को "संयुक्त ज्ञापन में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के लिए" अनुमोदन प्रदान किया था ज्ञापन के स्पष्ट अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि 31.8.2000 दिनांकित आईबीए के पत्र को केन्द्रीय बोर्ड को प्रस्तुत ज्ञापन के भाग के रूप में संलग्न किया गया था। ज्ञापन में, यह उल्लेख किया गया था कि "भारत सरकार ने यह सूचित किया था कि उन्हें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को अपनाने और कार्यान्वित करने के लिए निदेशक के प्रस्तावों के अपने – अपने बोर्ड के समक्ष रखने पर बैंकों को कोई आपत्ति नहीं है। इसने सलाह दी कि बैंक अपने बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् और इसे "सत्यपूर्ण" में लागू कर सकते हैं। ज्ञापन में यह भी निहित है कि सेवा के 15 वर्ष पूरे करने वाले कर्मचारी भारत सरकार द्वारा अनुमोदित और आईबीए द्वारा प्रदत्त वीआरएस के हिताधिकारी थे। भारत सरकार द्वारा

<u> उद्घोषणा</u>

अनुमोदन और आईबीए द्वारा दी गई योजना, में 15 वर्ष की सेवा पूरी होने पर पेंशन के लाभ प्रदान करना था, यह योजना की एक अनिवार्य शर्त थी। परिशिष्ट, 'जो ज्ञापन का हिस्सा था' ने अन्य बातों के साथ पेंशन का लाभ प्रदान किया, जिसमें 20 वर्ष की सेवा की अवधि पूरी होने बाद पेंशन में संगणित मूल्य भी शामिल है। एक बार एसबीआई ने ज्ञापन में निहित प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया, जब हम बिना शर्त अनुमोदित किए गए थे, तो यह स्पष्ट हो गया और संदेह से परे हो गया कि वीआरएस (परिशिष्ट बी) में नियमों के अनुसार पेंशन का लाभ प्रदान करने की अभिव्यक्ति के रूप में केवल एक कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई योग्यता सेवा पर या 15 वर्ष से अधिक सेवा के लिए आनुपातिक पेंशन लाभ प्रदान करने के लिए था।

41. आईबीए ने बैंकों को नियमों में संशोधन करने की सलाह दी। भारत सरकार, वित्त मंत्रालय ने भी नियमों में संशोधन करने के लिए बैंक को दिनांक 5.9.2001 को एक पत्र जारी किया। नियमों में संशोधन का प्रस्ताव था। योजना 2000 में लागू होने के बाद, पंजाब नेशनल बैंक सिहत राष्ट्रीयकृत बैंकों ने 2002 में पूर्वव्यापी प्रभाव से अपने नियमों में संशोधन किया। हालाँकि, तथ्य यह है कि बैंकिंग कंपनी अधिनियम, 1970 द्वारा शासित बैंकों द्वारा वीआरएस योजनाओं को लागू किया गया था, पेंशन का भुगतान करके, हालांकि प्रासंगिक समय में 20 साल की अर्हकारी सेवा के लिए विनियमन 1995 के विनियमन 28 को प्रदान किया गया था। एक बार भारत सरकार द्वारा गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर वीआरएस

<u> उद्घोषणा</u>

की एक विशेष योजना, आईबीए द्वारा तैयार और जारी की गई थी। सभी निष्पक्ष रूप से, इसे उस रूप में सही तरीके से लागू करने की आवश्यकता थी जिसमें इसे 27.12.2000 को एसबीआई के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित और अपनाया गया था। यदि निदेशक मंडल की राय थी कि यह योजना उन्हें स्वीकार्य नहीं थी, तो वे इसे अस्वीकार कर सकते थे या कह सकते थे कि वे 15 साल की सेवा पूरी होने पर पेंशन का भुगतान करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकते थे जो एक योजना का सार था बैंक के कार्यबल को कम करने और अन्य उद्देश्यों को प्राप्त करना के लिए। बहरहाल, इसके विपरीत, संकल्प दिनांक 27.12.2000 इंगित करता है कि आईबीए/ सरकार के प्रस्तावों को बिना शर्त अनुमोदित किया गया था। इस प्रकार, यदि अन्य बैंकों द्वारा किए गए पेंशन नियमों में संशोधन करना आवश्यक था, भारतीय स्टेट बैंक का यह कर्तव्य है कि वह अपने नियमों में संसोधन या तो अन्य बैंकों के योजना के पूर्णतया लागू होने के बाद या वी.आर.एस को प्रभावी करने से पहले करे।

42. यह उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण है कि एसबीआई ने सरकार द्वारा अनुमोदित और आई. बी. ए. द्वारा जारी योजना को स्वीकार कर लिया था यदि एसबीआई ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया था या उसे परिवर्तित करना चाहा था तो उसके लिए यह आवश्यक था कि वह अपनी योजना के बारे में भारत सरकार की स्वीकृती ले। धारा 49 के अनुसार, केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति है। धारा 50 केंद्र सरकार की विनियम बनाने की शक्ति से संबंधित है।धारा 50 (1) में यह उपबंध है कि केन्द्रीय बोर्ड,

<u> उद्घोषणा</u>

भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् और केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से विनियम बना सकता है धारा 50 (2) (ओ) के तहत, राज्य बैंक के कर्मचारियों के लाभ के लिए सेवानिवृत्ति पेंशन और अन्य धन के संबंध में केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ विनियम बनाए जा सकते हैं। धारा 50 (2) (ओ) के अनुसार:

> "50 केंद्रीय बोर्ड की नियम बनाने की शक्ति-(1) केंद्रीय बोर्ड, रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् और केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ [राजपत्र में अधिसूचना द्वारा] उस अधिनियम के साथ असंगत नहीं होना चाहिए और उनके तहत ऐसे सभी मामलों के लिए बनाए गए नियम, जिनके लिए इस अधिनियम के उन उपबंधों को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए उपबंध समीचीन है,

- (2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर पूर्वगामी प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम निम्नलिखित के लिए उपबंध कर सकेंगे x x x
- (ओ) स्टेट बैंक या स्टेट बैंक के कर्मचारियों या ऐसे कर्मचारियों के आश्रितों के फायदे के लिए या स्टेट बैंक के प्रयोजनों के लिए और सेवानिवृत्ति भत्ते, वार्षिकियां और एसे किसी फंड का जिसके तहत पेशंन देय हो के लिए सेवानिवृत्ति पेंशन की स्थापना और रखरखाव करना;]

43. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि एसबीआई का केंद्रीय बोर्ड केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित योजना से अलग नहीं हो सकता था, न ही केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना इसे लागू कर सकता था। यदि वह इस योजना को संशोधित या परिवर्तित करना चाहता था, जैसा कि भारत सरकार द्वारा अनुमोदित है, तो अनुमोदन के लिए अपनी संशोधित योजना को केंद्र सरकार की स्वीकृति लेना था। भारत सरकार की मंजूरी के बिना वीआरएस की कोई योजना तैयार नहीं की जा सकती थी। वास्तव में, केंद्रीय बोर्ड ने भारत सरकार द्वारा अनुमोदित आईबीए के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। यदि एसबीआई का

<u> उद्घोषणा</u>

रुख स्वीकार कर लिया जाता है, तो इसकी योजना वैध होती क्योंकि भारत सरकार की मंजूरी के बिना कोई संशोधन नहीं किया जा सकता था। वास्तव में, ऐसा कोई संशोधन नहीं किया गया था, जैसा कि ऊपर आयोजित किया गया था।

44. एक बार यह स्कीम एसबीआई को अनुच्छेद 12 के अधीन राज्य का परिकरण होने के कारण अनुमोदित कर दि गयी तो यह न्यायसंगत और व्यपदेशन के सिद्धांत से आबद्ध होता है कि उसने आईबीए द्वारा जारी ज्ञापन और स्कीम की अंतर्वस्तुओं को स्वीकार कर लिया था और ऐसे ज्ञापन को, जिसमें स्थायी पेंशन संबंधी सेवा के 15 वर्ष देने पर पेंशन का प्रस्ताव अंतर्विष्ट था, अनुमोदित करने के आधार पर आवेदनों को आमंत्रित किया था, वह बाद में नियमों के आश्रय का दावा करके या नियमों में संशोधन न करके या ऐसा स्पष्टीकरण जारी करके, जो बोर्ड के संकल्प की भावना के प्रतिकूल था, इन सबका बहाना से अपने दायित्व से बचा नही जा सकता है यह केंद्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय के कारण पेंशन के लाभ से कर्मचारियों को वंचित करने के लिए एक अनुचित और अतार्किक कार्रवाई होगी।

45. एसबीआई केंद्रीय निदेशक मंडल के संकल्प द्वारा बाध्य है। यह योजना भारत सरकार की मंजूरी के साथ थी और एसबीआई को छोड़कर सभी बैंकों द्वारा सही अर्थों में स्वीकार और लागू की गयी थी। कर्मचारियों के आर्थिक हित की अवहेलना के लिए अस्पष्ट स्पष्टीकरण जारी करके बेहतर सौदेबाजी

<u> उद्घोषणा</u>

की शक्ति होने के आधार पर इसे गलत तरीके से कार्य करने की अनुमित नहीं दी जा सकती है। स्पष्टीकरण का केंद्रीय बोर्ड के संकल्प को फिर से लिखने या सुपरसीडिंग करने का प्रभाव नहीं था और न ही एसबीआई के केंद्रीय बोर्ड द्वारा पारित संकल्प में संशोधन करने का प्रभाव था।

46. वीआरएस योजना एसबीआई द्वारा अपनी मर्जी से नहीं चलायी गई थी। यह एक अभ्यास के अनुसार था जो आईबीए द्वारा बैंक में कर्मचारियों के आयु समूह को देखते हुए, एक नए कौशल की आवश्यकता, और जनशक्ति को युक्तिसंगत बनाने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी के हाल के घटनाक्रमों के मद्देनजर किया गया था; एक निर्णय लिया गया था। विशेष उपाय के रूप में 15 साल की सेवा पूरी करने के बाद पेंशन प्रदान करने के लिए सरकार के स्तर पर निर्णय लिया गया था, बैंक इसे उस तरीके से लागू करने के लिए बाध्य थे या नहीं थे। एसबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल ने वीआरएस योजना में अनिवार्य रूप से अन्य लाभों के साथ पेंशन प्रदान नहीं करने के किसी भी आरक्षण के बिना सरकार और आईबीए के वीआरएस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। राज्य के परिकरण की कार्रवाई अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण नहीं हो सकती है इसे मनमाने ढंग से कार्य करने की अनुमित नहीं दी जा सकती। अनुच्छेद 15 और 16 समानता प्रदान करते हैं और भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करते हैं।

47. हालांकि उप महाप्रबंधक को वीआरएस में संशोधन, परिवर्तन या रद्द करने के लिए केंद्रीय निदेशक मंडल द्वारा अधिकृत किया गया था। बाद में

<u> उद्घोषणा</u>

2002 में अन्य बैंकों द्वारा नियमों में संशोधन किया गया। इस प्रश्न के उत्तर में यह नहीं कहा गया था कि वीआरएस योजना के तहत , 15 साल की अर्हकारी सेवा प्रदान करने वाला व्यक्ति पेंशन का हकदार नहीं होगा। न ही यह एसबीआई के केंद्रीय बोर्ड के दिनांकित 27.12.2000 के संकल्प में कहा गया था। इसके अलावा, उप महाप्रबंधक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित बातों पर विचार किए बिना अलगाव में वीआरएस योजना की व्याख्या करने की कोशिश की। बोर्ड के संकल्प को समझने के लिए न केवल योजना बल्कि ज्ञापन को भी एक साथ पढ़ा जाना चाहिए। एक बार जब पेंशन प्रदान करने के आईबीए प्रस्ताव वाले ज्ञापन को पूर्ण रूप से अनुमोदित किया गया था, तो निदेशक मंडल के अन्यथा स्पष्ट और अस्पष्ट संकल्प को कम करने के लिए स्पष्टीकरण किसी भी मूल्य का नहीं हो सकता है। स्थायी सेवा के 15 साल पूरे होने पर पेंशन के लिए कर्मचारियों के दावे को जो उनका अधिकार था, को विफल करने के लिए उप महाप्रबंधक के पास ऐसी कोई व्यापक और मनमानी शक्ति नहीं थी। उप महाप्रबन्धक की कार्यवाही को संकल्प के अनुसार नहीं कहा जा सकता है। पेंशन योजना का सार था, इससे वंचित करने को अधिकृत नहीं कहा जा सकता है, इस तरह की कार्यवाही को केवल अनुचित और असम्यक् तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 21 के स्पष्टतया उल्लंघनकारी कहा जा सकता है।

48. फिर भी एक और पहलू जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है, वह यह है कि बैंक ने योजना में उल्लेख किया है कि लाभ नियम के अनुसार स्वीकार्य होगा जो नियुक्ति दिनांक अर्थात् 31.3.2001 को लागू होता है।

<u> उद्घोषणा</u>

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि जब वीआरएस योजना चलाई गई थी, तो यह नियमों के संशोधन के अवलोकन में था जो आईबीए और भारत सरकार द्वारा अपने संसूचना दिनांक 5.9.2001 में सुझाया गया था ताकि कर्मचारी पेंशन के लाभ से वंचित न हों।

49. सवाल यह उठता है कि यदि बैंक वीआरएस के प्रस्ताव को स्वीकार करता है, और अपने नियमों में बदलाव नहीं करता है, तो क्या कर्मचारियों को किसी ऐसी घटना पर पेंशन के लाभ से वंचित किया जा सकता है जिस पर उनका कोई नियंत्रण नहीं था। यह और कुछ नहीं, बल्कि अनुचित और मनमाने कार्य का परिणाम होगा यदि एसबीआई ने योजना पर कार्य करने का इरादा नहीं किया, जिस पर उसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था, और एक बार जब उसने वीआरएस को मंजूरी दे दी थी, तो इसे अपने नियमों का संशोधन करना आवश्यक था, जैसे कि वर्ष 2000 में योजना के कार्यान्वित होने के बाद वर्ष 2002 में अन्य बैंकों द्वारा किया गया था। अन्यथा भी, एक बार जब इसने भारत सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, तो यह अनुच्छेद 14 और 16 के प्रावधानों का उल्लंघन होगा, यदि इसे इस आड़ में अपने दायित्व से बाहर निकलने की अनुमति दी जाये कि बैंक ने अपने नियमों में संशोधन नहीं किया या पेंशन मौजूदा नियमों के अनुसार स्वीकार्य नहीं थी, मुख्य रूप से जब योजना ने 15 साल पूरे होने पर पेंशन के लिए पात्रता प्रदान किया, जिसने स्वतंत्र संविदा का गठन किया। यदि बैंक को नियम की स्थिति के कारण योजना से छुटकारा पाने की अनुमति दी जाती

<u> उद्घोषणा</u>

है, तो यह योजना स्वयं शून्य और अप्रवर्तनीय हो जाएगी। बैंक एक काल्पनिक तरीके से कार्य नहीं कर सकती है, विशेष रूप से वीआरएस के तहत सेवानिवृत्ति के संबंध में जो संविदात्मक था और पेंशन के लाभ से वंचित था, उस अधिकार से जो कर्मचारियों ने केंद्रीय निदेशक मंडल द्वारा पारित संकल्प और ज्ञापन के मद्देनजर ज्ञापन और एसबीआई–बीआरएस को अपनाते हुए पेंशन प्राप्त करने के लिए अर्जित किया गया था।

50. (ए). संविदा के अन्तर्गत अधिकारों को अलग नहीं किया जा सकता है, और वे न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं। बैंक को पहले व्यपदेशन करने और बाद में अपने दायित्व से बच निकलने की अनुमित नहीं दी जा सकती है। "दुर्व्यपदेशन" करना अनुमत नहीं है। संविदा अधिनियम की धारा 19 के अधीन जब सहमित प्रपीड़न, कपट या 'दुर्व्यपदेशन' द्वारा अभिप्राप्त की जाती है तब व्यथित पक्षकार के विकल्प पर करार शून्यकरणीय है। सेन्ट्रल इनलैण्ड वाटर ट्रान्सपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड और अन्य बनाम ब्रोजो नाथ गांगुली और अन्य, (1986) 3 एससीसी 156 में, इस न्यायालय ने सेन्ट्रल इनलैण्ड वाटर ट्रान्सपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड और उसके कर्मचारियों के बीच नियोजन की संविदा और नियमों पर भी विचार किया। इस संदर्भ में, इस प्रकार अवलोकन किया:

"75. भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 19 के अन्तर्गत, जब किसी करार में सहमति प्रपीड़न, कपट या दुर्व्यपदेशन द्वारा प्राप्त है, तो उस पक्षकार के जिसकी सहमति ऐसे प्राप्त की गयी थी, के विकल्प पर करार शून्यकरणीय संविदा है। यह विवादत उत्तरदाताओं में से किसी का भी मामला नहीं है कि उस पर कोई प्रपीड़न किया गया था या उस पर कोई कपट या

<u> उद्घोषणा</u>

दुर्व्यपदेशन किया गया था। धारा 19-ए के अन्तर्गत, जब किसी करार के लिए सहमति असम्यक असर द्वारा प्राप्त होती है, तो उस पक्षकार के जिसकी सहमति ऐसे प्राप्त की गयी थी, के विकल्प पर करार शून्यकरणीय संविदा होती है और न्यायालय इस तरह की किसी भी संविदा को या तो पूरी तरह से अपास्त कर सकता है या यदि पक्षकार जो इससे बचने का हकदार था, ने इसके अन्तर्गत कोई लाभ प्राप्त किया है, तो न्यायालय ऐसे नियमों व शर्तों पर जैसा उचित समझें, कर सकता है। धारा 16 की उपधारा (1) निम्नलिखित रूप में "असम्यक् असर" को परिभाषित करती है:

16. "असम्यक असर" परिभाषित – (1) किसी संविदा के बारे में यह कहा जाता है कि वह "असम्यक असर" से प्रेरित है जहां पक्षकारों के बीच चल रहे संबंध ऐसे हैं कि एक पक्षकार दूसरे की इच्छा पर हावी होने की स्थिति में है और दूसरे पर अनुचित लाभ अभिप्राप्त करने की उस स्थिति का उपयोग करता है।"

धारा 16 की उप-धारा (2) के तात्विक प्रावधान इस प्रकार हैं:

- " (2) विशिष्ट रूप से और पूर्वगामी सिद्धांत की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी व्यक्ति को किसी अन्य की इच्छा पर हावी होने की स्थिति में समझा जाता है—
- (a) जहां वह अन्य पर एक वास्तविक या स्पष्ट प्राधिकार रखता है.... "

हमें धारा 23 और 24 को छोड़कर भारतीय संविदा अधिनियम के अन्य धाराओं के साथ खुद को परेशान करने की आवश्यकता नहीं है। धारा 23 में कहा गया है कि किसी करार का प्रतिफल या उद्देश्य वैध है जब तक कि अन्य बातों के साथ-साथ न्यायालय इसे लोक नीति के विपरीत नहीं मानती है। यह धारा आगे प्रावधान करती है कि प्रत्येक करार जिसका उद्देश्य या प्रतिफल विधिविरूद्ध है, शून्य है। धारा 24 के तहत, यदि एक या एक से अधिक उद्देश्यों के लिए एक ही प्रतिफल का कोई भी हिस्सा, या कोई एक या किसी भी उद्देश्य के लिए कई

<u> उद्घोषणा</u>

प्रतिफल में से किसी एक का कोई भी हिस्सा विधिविरूद्ध है, तो करार शून्य है। हालाँकि, यह करार हमेशा अपनी संपूर्णता में शून्य नहीं होता है, इसके लिए यह सुस्थापित किया गया है कि यदि एक और समान वैध प्रतिफल के लिए कई अलग – अलग वचन दिए जाते हैं, और उनमें से एक या एक से अधिक ऐसे हैं जैसे कानून प्रवर्तित नहीं करेगा, यह ऐसा नहीं होगा जो बाकी को प्रवंतनीय होने से स्वंय रोकता हो। पिकरिंग बनाम इल्फ्रैकोम्बी रे कं. (1868) एलआर 3 सीपी 235 (पेज 250 पर) में न्यायाधीश विल्स द्वारा कथनीय सामान्य नियम जो इस प्रकार है:

"सामान्य नियम यह है कि, जहां आप किसी प्रसंविदा के कानूनी हिस्से से अवैध को अलग नहीं कर सकते हैं, संविदा पूरी तरह से शून्य है; लेकिन जहां आप उन्हें अलग कर सकते हैं, चाहे अवैधता संविधि द्वारा बनाई गई हो या सामान्य कानून द्वारा, आप बुरे हिस्से को अस्वीकार कर सकते हैं और अच्छे को बनाए रख सकते हैं।"

(प्रभाव वर्धित)

(b). ब्रोजो नाथ गांगुली (उपरोक्त) में, इस न्यायालय ने अर्नथक सौदेबाजी की अवधारणा और विवेक के लिए कोई संबंध नहीं दिखाने वाली कार्यों के रूप में; जो सही या तर्कसंगत के साथ असंगत है, पर विचार किया, इस प्रकार अवलोकन किया:

"76. एक अर्नथक सौदा किस शीर्ष के अधीन आएगा? यदि यह असम्यक असर के शीर्ष के अंतर्गत आता है, तो यह शून्यकरणीय हो जाएगा, लेकिन यदि यह लोक नीति के विरोध में होने के शीर्ष के नीचे आता है, तो यह शून्य होगा। भारत में किसी भी न्यायालय के समक्ष संविदा की विधि के तहत निर्णय के लिए हमारे सामने इस प्रकार का कोई मामला नहीं है और न ही किसी अन्य देश में न्यायालय के पूर्व दृष्टांतों में कोई मामला हमें इंगित किया गया है। शब्द 'अर्नथक' 'को शॉर्टर ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, थर्ड एडिशन, वॉल्यूम ॥, पेज 2288 में परिभाषित किया गया है, जब इसका उपयोग कार्यों के संदर्भ में किया जाता है, जैसे "विवेक के लिए कोई विचार नहीं दिखाते

<u> उद्घोषणा</u>

हुए; जो सही या उचित के साथ असंगत हो।" इसलिए, एक अर्नथक सौदेबाजी वह होगी जो सही या उचित के साथ असंगत है।"

(प्रभाव वर्धित)

(c). संविदा पर चिट्टी को आधुनिक समय में संविदा की स्वतंत्रता के पुराने विचारों के बारे में ब्रज नाथ गांगुली (उपरोक्त) में संदर्भित किया गया था, 25 वां संस्करण, वॉल्यूम 1, प्रस्तर 4, चिट्टी ने अवलोकन किया:

"79. इस संबंध में, यह नोट करना उपयोगी है कि आधुनिक समय में संविदा की स्वतंत्रता के पुराने विचारों के बारे में चिट्टी को क्या कहना है। संविदा पर चिट्टी, 25 वां संस्करण, वॉल्यूम 1, प्रस्तर 4, में प्रासंगिक उद्धरण पाए जाने हैं, और इस प्रकार हैं:

"इन विचारों को आज काफी हद तक अपनी अपील खोनी है। 'संविदा की स्वतंत्रता', यह कहा गया है, 'केवल इस हद तक एक उचित सामाजिक आदर्श है कि संविदा करने वाले पक्षकारों के बीच सौदेबाजी करने की शक्ति की समानता को माना जा सकता है, और बड़े पैमाने पर समुदाय के आर्थिक हितों को कोई हानि नहीं पहुंचाई जाती है।' संविदा की स्वतंत्रता बहुत कम महत्व की होती है जब किसी पक्ष के पास प्रस्तावित शर्तों को स्वीकार करने या प्रस्तावित सेवाओं या माल के बिना कार्य करने के मध्य कोई विकल्प नहीं होता। लोक उपयोगिता उपक्रमों द्वारा की गयी कई संविदायें और अन्य एक पक्षकार द्वारा पहले से निश्चित की गई शर्तों के एक सेट का रूप लेते हैं और दूसरे पक्षकार द्वारा उन पर चर्चा नहीं की जा सकती। इनको फ्रेंच अधिवक्ता द्वारा 'संविदा द' अडेसियन' कहा जाता है व्यापारी अक्सर न व्यक्तिगत शर्तों पर संविदा करते हैं, बल्कि उन पर करते हैं जो एक व्यापार संघ द्वारा तय किए गए एक मानक संविदा के रूप में होते हैं। और कर्मचारी के नियोजन के निबंधनों का निर्धारण उसके व्यापार संघ और उसके नियोजक के बीच करार करके या नियोजन की सांविधिक स्कीम द्वारा किया जा सकता है। तथापि इस तरह के संव्यवहार संविदा होते हैं इसके होते हुए भी कि इसमें संविदा की स्वतंत्रता की काफी हद तक कमी है।

<u> उद्घोषणा</u>

जहां संविदा की स्वतंत्रता अनुपस्थित है, उपभोक्ताओं या लोक के सदस्यों के लिए नुकसान, कुछ हद तक, परामर्श के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं और कानून द्वारा समायोजित किया गया है। कई संविधियाँ संविदा में उन शर्तों को बताती हैं, जिन्हें पक्षकारों को बाहर करने के लिए मना किया जाता है, या घोषित करते हैं कि संविदा में कुछ प्रावधान शून्य होंगे। और न्यायालयों ने कमजोरों पर आर्थिक रूप से मजबूत पक्षकार द्वारा लगाए गए अपवाद खंडों को लागू करने से इनकार करने के लिए कई उपकरण विकसित किए हैं, हालांकि उन्होंने अपने आप में किसी भी सामान्य शक्ति (संविधि को छोड़कर) को मोटे तौर पर घोषित करने के लिए मान्यता नहीं दी है कि अपवाद खंड प्रवर्तनीय नहीं होगा जब तक यह तर्कसंगत नहीं है। पुनः, हाल ही में, कुछ न्यायाधीशों ने 'सौदेबाजी की शक्ति की असमानता' के आधार पर संविदात्मक दायित्वों से राहत की संभावना को मान्यता दी है।"

फ्रांसीसी "द'अडेसियन संविदा कहते हैं, "अमेरिकन "अडेसियन संविदा" या "अडेसियन की संविदा" कहते हैं। "अडेसियन संविदा" को ब्लैक लॉ डिक्शनरी में 5 वें संस्करण, पृष्ठ 38 पर परिभाषित किया गया है, निम्नानुसार:

"अडेसियन संविदा — माल और सेवाओं के उपभोक्ताओं को प्रस्तावित मानकीकृत संविदा प्रारूप में सौदेबाजी करने के लिए उपभोक्ता को वास्तविक अवसर दिए बिना आवश्यक रूप से इसे 'स्वीकार करने या छोड़ देने' के आधार पर और ऐसी शर्तों के अधीन जो उपभोक्ता प्रारूप संविदा में मौनस्वीकृत करने के सिवाय वांछित उत्पाद या सेवाएं प्राप्त नहीं कर सकता है। अडेसियन संविदा की विशिष्ट विशेषता यह है कि कमजोर पक्ष के पास अपनी शर्तों के अनुसार कोई वास्तविक विकल्प नहीं होता है। ऐसी हर संविदा अनर्थक नहीं है। "

80. अमरीकी विधि के अधीन स्थिति विधि के पुनःस्थापन में बताई गई है-द्वितीय, जैसा कि अमेरिकन विधि संस्थान, खंड ॥ द्वारा अंगीकार किया गया है और प्रख्यापित किया गया है जो

<u> उद्घोषणा</u>

संविदाओं की विधि के बारे में धारा 208 में पृष्ठ 107 पर डील करता है, इस प्रकार है:

"§ 208. अप्रतिसध्य संविदा या शर्तें

यदि संविदा या शर्त उस समय अनर्थक है, जब संविदा की जाती है, तो न्यायालय संविदा को लागू करने से इनकार कर सकता है, या बिना अनर्थक शर्त के संविदा के शेष भाग को लागू कर सकता है, या किसी भी अनर्थक शर्त की प्रयोज्यता को किसी अनर्थक परिणाम को हटाने तक सीमित कर सकता है।"

इस धारा के अन्तर्गत दी गई टिप्पणियों में, पृष्ठ 107 पर यह बताया गया है:

"सद्भाव और निष्पक्ष व्यवहार के दायित्व की तरह (§ 205), अनर्थक संविदा या शर्तों के विरूद्ध नीति विभिन्न प्रकार के आचरण पर लागू होती है। इसका निर्धारण कि एक संविदा या शर्त अनर्थक है या नहीं है, इसकी परिस्थिति, उद्देश्य और प्रभाव के दृष्टिगत किया जाता है। सुसंगत कारकों में संविदा की प्रक्रिया में कमजोरियों शामिल हैं जैसे कि संविदात्मक क्षमता, कपट और अन्य अमान्य कारणों के रूप में अधिक विशिष्ट नियमों में शामिल हैं; नीति उन नियमों के साथ भी ओवरलैप होती है जो विशेष रूप से सौदेबाजी को प्रस्तृत करते हैं या लोक नीति के आधार पर शर्तें अप्रवर्तनीय हैं। अनर्थक संविदाओं या शर्तों के विरुद्ध नीति बनाना कभी –कभी भाषा के प्रतिकृल निर्माण द्वारा, प्रस्ताव और स्वीकृति के नियमों में हेरफेर करके या निर्धारण द्वारा किया जाता है कि खंड लोक नीति के विपरीत या संविदा के प्रमुख उद्देश्य के विपरीत है। एक समान वाणिज्यिक संहिता § 2-302 टिप्पणी 1.... एक सौदेबाजी केवल इसलिए अनर्थक नहीं है क्योंकि इसके पक्षकार सौदेबाजी की स्थिति में असमान हैं, और न ही इसलिए कि असमानता कमजोर पक्ष को जोखिमों के आवंटन का परिणाम देता है। बल्कि सौदेबाजी की शक्ति की घोर असमानता, एक साथ शर्तों के साथ अनुचित रूप से मजबूत पक्षकार के अनुकूल होने के संकेत की पृष्टि कर सकती है कि संव्यवहार में धोखे या मजबूरी के तत्व शामिल थे, या यह दिखा सकता है कि कमजोर पक्ष के पास कोई सार्थक विकल्प नहीं था, कोई वास्तविक

<u> उद्घोषणा</u>

विकल्प नहीं था, या वास्तव में सहमति नहीं थी या अनुचित शर्तों की सहमति के लिए प्रकट होता है।"

(प्रभाव वर्धित)

संयुक्त राज्य अमेरिका में एक क़ानून है जिसे सार्वभौमिक वाणिज्येक संहिता कहा जाता है, जो माल की बिक्री से संबंधित अनुबंधों पर लागू होता है। हालांकि यह क़ानून माल की बिक्री से जुड़े अनुबंधों के लिए अप्रयोज्य है, लेकिन यह संयुक्त राज्य अमेरिका में 'गैर-बिक्री' मामलों में बहुत प्रभावशाली साबित हुआ है। इसका उपयोग कई बार या तो सादृश्य द्वारा किया गया है या क्योंकि यह माल की बिक्री के लिए अपने सांविधिक प्रयोज्यता से परे जाने वाली निष्पक्षता के एक आम तौर पर स्वीकृत सामाजिक रवैये को मूर्त रूप देने के लिए महसूस किया गया था। रिपोर्टर के नोट में उक्त धारा 208 को पी 112 पर बताया गया है:

"यह जोर दिया जाना है कि अडेसियन (मानक) संविदा स्वयं में अनर्थक नहीं है, और यह कि सभी अनर्थक संविदायें अडेसियन की संविदायें नहीं हैं। फिर भी, जितना अधिक मानकीकृत करार और जितना कम पक्षकार सार्थक रूप से सौदेबाजी कर सकते है, उतना अधिक संवेदनशील संविदा या शर्त अनर्थकता का दावा करेगा।"

(प्रभाववर्धित)

इस प्रकार वर्ष 1982 में बटरवर्थस द्वारा प्रकाशित 'द लॉ ऑफ अनजस्ट कॉन्ट्रेक्ट' में जॉन आर. पेडेन द्वारा पृष्ठ 28–29 पर इस स्थिति का सारांश दिया गया है:

".......... अनर्थकता न्याय की अरस्तूवादी अवधारणा और रोमन विधि लाजियो एनोर्मिस के साथ प्रारंभ होने वाले चक्र के अंत को दर्शित करता है जो बदले में मध्यकालीन चर्च की न्यायोचित मूल्य और सूदखोरी के तिरस्कार की संकल्पना का आधार बना। इन दर्शनों ने सत्रहवीं और अठारहवीं शताब्दी के दौरान, चांसरी न्यायालय की विवेकाधीन शक्तियाँ जिसमें इसने सभी प्रकार के अनुचित संव्यवहार को रोक दिया, के

<u> उद्घोषणा</u>

प्रयोग तक पहुँच गयी। इसके बाद उन्नीसवीं शताब्दी में आर्थिक व्यक्तिवाद के प्रति आंदोलन ने अपनी संविदा बनाने के लिए पार्टियों की स्वतंत्रता पर जोर देकर इन शक्तियों के प्रयोग को कड़ा बना दिया। यद्यपि संविदा सर्वदा पालनीय के सिद्धांत का प्रभुत्व था, सहमति सिद्धांत ने अभी भी उन अपवादों को मान्यता दी जहां एक पक्षकार वैश्वासिक सम्बन्ध द्वारा प्रभुत्व रखता था, या दवाब के तहत संविदा में प्रवेश किया या धोखाधड़ी का परिणाम था। हालांकि, ये अपवाद सीमित थे और इनको सख्ती से साबित किया जाना था।

यह सुझाव दिया जाता है कि दीवानी और सामान्य विधि दोनों अधिकारिताओं में पिछले 30 वर्षों के दौरान न्यायिक और विधायी प्रवृत्ति लगभग वापस उसी स्थिति पर आ गई है। न्यायालय और संसद दोनो ने कमजोर पक्षों को कठोर संविदाओं से अधिक सुरक्षा प्रदान की है। कई अधिकारिताओं में इसमें अनर्थक संविदाओं से राहत देने की एक सामान्य शक्ति शामिल थी, जिससे एक लॉन्चिंग बिंदु प्राप्त होता है, जिससे न्यायालयों को अनर्थकता के एक आधुनिक सिद्धांत को विकसित करने का अवसर प्राप्त होता है। यूसीसी के अनुच्छेद 2. 302 पर अमेरिकी निर्णय इस नए क्षेत्र में कुछ दूरी तय कर चुके हैं.........."

उपर्युक्त उद्धरण में प्रयुक्त "लैसियो एनोर्मिस" अभिव्यक्ति "लैसियो अल्ट्रा डिमिडियम वेल एनोर्मिस" को निर्दिष्ट करता है जिसका रोमन विधि में अर्थ दुर्भर संविदा के लिए किसी एक पक्षकार द्वारा उठायी गयी क्षति जब वह अन्य द्वारा विषय – वस्तु के मूल्य के आधे से अधिक की सीमा तक क्षत किया गया था, उदाहरण के लिए, जब एक विक्रेता को बेची गई संपत्ति का आधा मूल्य नहीं मिला था, या क्रेता ने दुगनी कीमत से अधिक का भुगतान किया था। उपरोक्त प्रस्तर में निर्दिष्ट सूक्ति "पैक्टा सन्ट सर्वेन्डा" का अर्थ " संविदाओं को रखा जाना है"।

(प्रभाववर्धित)

इस न्यायालय ने अवधारित किया कि सौदेबाजी की शक्ति की असमानता के कारण, अनुचित शर्तें, मजबूत पक्ष के अनुचित पक्ष में धोखे या मजबूरी का एक तत्व शामिल हो सकता है, या यह दिखा सकता है कि

<u> उद्घोषणा</u>

कमजोर पक्ष के पास कोई सार्थक विकल्प नहीं था। ब्रोजो नाथ गांगुली (उपरोक्त) में न्यायालय ने यह भी अवलोकन किया कि संविदा की विधि के क्षेत्र में, तर्कशीलता या निष्पक्षता का परीक्षण उभरकर आया है।यहां तक कि एक अनुचित खंड भी लागू नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह अनर्थक होगा।"

यहां इस मामले में उचित अभिप्राय यह है कि एसबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल द्वारा पारित संकल्प के अनुसार पेंशन स्पष्ट रूप से स्वीकार्य है, जिसे अस्वीकार करने की मांग की गई है, यह एसबीआई के लिए नियमों में संशोधन करने के लिए था। इस तरह की कार्यवाही अनर्थक होगी, और पेंशन का भुगतान करने के दायित्व के साथ एसबीआई वीआरएस को लागू करने के लिए न्यायालयों को ऐसी स्थिति में शक्तिहीन नहीं कहा जा सकता है।

(d). इस न्यायालय ने ब्रोजो नाथ गांगुली (उपरोक्त) में निहित प्रवर्तनीयता और तर्कसंगत संविदाओं के प्रवर्तन पर इस प्रकार विचार किया:

"83 फिर भी एक और सिद्धांत जिसने हाल के वर्षों में संविदा के कानून के क्षेत्र में अपना उद्भव किया है, वह संविदा में एक खंड की न्यायसंगतता या निष्पक्षता का परीक्षण है जहां सौदेबाजी की शक्ति की असमानता है। लॉर्ड डेनिंग, एमआर, कम से कम इंग्लैण्ड में तो इस सिद्धांत के प्रस्तावक और शायद प्रणेता है। गिलेस्पी ब्रदर्स एंड कंपनी लिमिटेड बनाम राय बाउल्स ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, (1973) क्यूबी 400 में, जहां सवाल यह था कि क्या एक अनुबंध में क्षतिपूर्ति खंड, अपने वास्तविक निर्माण पर, क्षतिपूर्तिधारी की अपनी लापरवाही से उत्पन्न देयता से क्षतिपूरक को राहत देता है, लॉर्ड डेनिंग ने कहा (पृष्ठ 415–416 पर):

<u> उद्घोषणा</u>

"अब समय आ सकता है जब संविदा का अर्थ लगाने की इस प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है इसकी अनुमित देने के लिए शब्द बहुत स्पष्ट हैं। क्या अदालतें तब शिक्तहीन हैं? क्या वे पक्षकार को अपने अनुचित खंड को लागू करने की अनुमित देना चाहते हैं, भले ही यह अनर्थक होने तक इतना अनुचित हो, या अनुचित रूप से लागू हो। जब यह इस बिंदु पर आ जाता है, तो मैं कहूंगा, जैसा कि मैंने कई साल पहले कहा था:

'ऐसा सामान्य विधि की सतर्कता है जो संविदा की स्वतंत्रता की अनुज्ञा देते समय यह देखती है कि इसका दुरुपयोग नहीं किया गया है! जॉन ली एंड सन (ग्रान्थम) लिमिटेड बनाम रेलवे एक्सिक्यूटिव, (1949) 2 ऑल ईआर 581 यह किसी पक्षकार को सामान्य विधि में अपने दायित्व से स्वयं को मुक्त करने की अनुमति नहीं देगा, जब ऐसा करना उसके लिए बहुत अनर्थक होगा।"

(प्रभाववर्धित)

उपरोक्त मामले में, अपील के न्यायालय ने क्षतिपूरक की रक्षा को नकार दिया कि क्षतिपूर्ति खंड क्षतिपूर्तिधारी की लापरवाही को कवर नहीं कर "ती। लॉयड्स बैंक लिमिटेड बनाम बुंडी (1974) 3 ऑल ईआर 757 में लॉर्ड डेनिंग ने पहली बार 'सौदेबाजी की शक्ति की असमानता' के अपने सिद्धांत को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त किया था। उन्होंने मामले के इस हिस्से पर बताते हुए अपनी चर्चा शुरू की (पृष्ठ 763 पर):

"हमारी पुस्तकों में ऐसे कई मामले हैं जिनमें अदालतें एक अनुबंध, या संपत्ति के अन्तरण को अपास्त कर देंगी, जब पक्षकार समान शर्तों पर सहमत नहीं हुए हैं, जब एक सौदेबाजी की शक्ति में इतना मजबूत होता है और दूसरा इतना कमजोर होता है कि, सामान्य निष्पक्षता के रूप में, यह सही नहीं है कि मजबूत को कमजोर को निराशा में डालने की अनुमति दी जाए। अभी तक इन आपवादिक मामलों को प्रत्येक को अपने आप में एक अलग श्रेणी माना गया है। लेकिन मुझे लगता है कि समय आ गया है जब हमें उन्हें एक करने के लिए एक सिद्धांत खोजना चाहिए। मैं एक तरफ उन संविदाओं या संव्यवहारों को रखता हूँ जो कपट या दुर्व्यपदेशन या गलती के लिए शून्य हैं। वे सभी स्थापित सिद्धांतों द्वारा शासित हैं। मैं केवल वहां जाता हूं जहां

<u> उद्घोषणा</u>

सौदेबाजी की शक्ति की असमानता रही है, जैसे कि अदालत के हस्तक्षेप को गुणावगुण देना।"

(प्रभाव वर्धित)

इसके बाद उन्होंने विभिन्न वर्गों के मामलों का उल्लेख किया और अंततः इन शब्दों में एक सामान्य सिद्धांत (पृष्ठ 765 पर) निकाला:

"सब मिलाकर मैं सुझाव दूंगा कि इन सभी उदाहरणों से एक अकेला सूत्र निकलता है। वे 'सौदेबाजी की शक्ति की असमानता' पर निर्भर करते हैं। इसके आधार पर, आंग्ल विधि एक व्यक्ति को राहत देता है, जो स्वतंत्र सलाह के बिना, उन शर्तों पर एक संविदा में प्रवेश करता है जो बहुत अनुचित है या उस प्रतिफल पर सम्पत्ति हस्तांतरित करता है जो बहुत ही अपर्याप्त है, जब उसकी सौदेबाजी की शक्ति उसके अपनी आवश्यकताओं या इच्छाओं या अपने स्वयं के अज्ञान या दुर्बलता से, असम्यक् प्रभाव या अन्य द्वारा उस पर या दूसरे के लाभ के लिए दवाब के कारण गंभीर रूप से बिगड़ जाती हैं। जब में 'असम्यक्' शब्द का उपयोग करता हूं, तो मेरा मतलब यह नहीं है कि सिद्धांत किसी भी गलत काम के सबूत पर निर्भर करता है। वह व्यक्ति जो एक अनुचित लाभ चाहता है, स्वयं द्वारा दूसरों को होने वाली परेशानी से अनभिज्ञ मात्र अपने निजी हित से चालित हो सकता है, उस संकट के अनिच्छा से वह दूसरे के लिए ला रहा है। मैंने किसी की इच्छा को 'अधिशासित' होने या किसी के द्वारा 'हावी' होने के किसी संदर्भ से भी परहेज किया है। जो अत्यधिक आवश्यकता में है, वह जान-बूझकर एक सबसे अनुचित सौदेबाजी के लिए सहमति दे सकता है, केवल उस बाधा को दूर करने के लिए जिसमें वह खुद को पाता है। पुनः, मेरा यह मतलब नहीं है कि हर संव्यवहार को स्वतंत्र सलाह से बचाया जाता है। लेकिन इसकी अनुपस्थिति घातक हो सकती है। इन स्पष्टीकरणों के साथ, मुझे उम्मीद है कि इस सिद्धांत को मामलों को सुलझाने के लिए प्राप्त किया जाएगा। '

(प्रभाव वर्धित)

<u> उद्घोषणा</u>

(e). न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि संविदायें, जो दुर्व्यपदेशन का परिणाम हैं, को लागू नहीं किया जा सकता है, और सौदेबाजी की शक्ति की असमानता अदालत के हस्तक्षेप को अवसर प्रदान करती है। ए. स्क्रोडर म्यूज़िक पब्लिशिंग कंपनी लिमिटेड बनाम मैकाले (पूर्व में इंस्टोन) (1974) 1 डब्ल्यूएलआर 1308 में, लॉर्ड डिप्लॉक ने पृष्ठ 1315–16 पर इस प्रकार निम्नलिखित अवलोकन किए:

"84. "माय लॉर्ड्स, इस अपील में विचाराधीन संविदा यह है जिसके द्वारा प्रत्यर्थी ने उस रीति पर निर्बंधन स्वीकार किए. जिसमें वह अगले दस वर्षों के लिए एक गीत लेखक के रूप में उसकी अर्जन शक्ति का लाभ उठाएगा। क्योंकि इसे व्यापार के अवरोध में एक संविदा के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, अवरोध जो प्रतिवादी ने स्वीकार किए उन सीमित वर्गों के भीतर आ गये, जिसके संबंध में अदालतें अभी भी वचनदाता के अपने विधिक कर्तव्य को पूरा करने से राहत देने की शक्ति रखती हैं। यह निर्धारित करने के लिए कि क्या यह मामला उसी तरह का है जिसमें उस शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए, जो वास्तव में आपके लॉर्डशिप ने संविदा करने के समय गीत लेखक और प्रकाशक की सापेक्ष सौदेबाजी की शक्ति का आकलन करने के लिए किया है और यह तय करने के लिए किया है कि क्या प्रकाशक ने गीतकार वचन से सटीक रूप से अपनी बेहतर सौदेबाजी की शक्ति का उपयोग किया था जो उसके लिए गलत था। आपके लॉर्डशिप को यह पूछताछ करने के लिए सरोकार नहीं किया गया है कि क्या वास्तव में अवरोधों के कारण गीत लेखक की प्रतिभा के फल से जनता को वंचित किया गया है, और न ही इस संभावना का आकलन करने के लिए कि यदि संविदा को अपने पूर्ण रूप में चलाने की अनुमति दी गई तो वे भविष्य में वंचित होंगे।

मेरे विचार में, यह स्वीकार करना कि एक संविदा के प्रावधानों को लागू करने से इनकार करना हितकारी है, जिसके तहत एक पक्ष शोषण के लिए दूसरे पक्ष के लाभ के लिए सहमत

<u> उद्घोषणा</u>

होता है या वह अपनी अर्जन की शक्ति का शोषण करने से बचता है, लोक नीति जिसे अदालत लागू कर रही है व्यापार की स्वतंत्रता को सामान्य जनता को लाभ के बारे में कुछ 19 वीं सदी का आर्थिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि उन लोगों का संरक्षण है जिनकी सौदेबाजी की शक्ति उन लोगों द्वारा बाध्य किए जाने पर कमजोर है, जिनकी सौदेबाजी की शक्ति मजबूत है ऐसे सौदेबाजी में प्रवेश करते हैं जो अप्रतिसध्य है। बेंथम और लेजेज फेअर(करार की स्वतंत्रता) के प्रभाव में 19 वीं सदी में अदालतों ने आम तौर पर संविदा के लिए अप्रतिसध्य सौदेबाजी के विरुद्ध लोक नीति को लागू करने की प्रथा को छोड़ दिया, जैसा कि वे सूदखोरी समझे जाने वाले किसी संविदा के मामले में करते थे, लेकिन नीति दंड धाराओं के लिए और जब्ती के खिलाफ राहत और व्यापार के अवरोध में संविदा के विशेष वर्गों के लिए भी अपनी प्रयोज्यता में बच गई। यदि कोई व्यापार के अवरोधक संविदाओं के मामलों में 19 वीं सदी के न्यायाधीशों के तर्क को देखता है तो वर्तमान आर्थिक सिद्धांतों के लिए भुगतान किए गए दिखावटी प्रेम को पाता है, लेकिन यदि कोई यह देखता है कि उन्होंने जो किया उसके सम्बन्ध में उन्होंने क्या कहा, तो उन्हें पता चलता है कि उन्होंने सौदेबाजी को अभिखण्डित कर दिया यदि उन्होंने इसे पक्षकारों के बीच अप्रतिसध्य माना और इसे बरकरार रखा यदि उन्हें लगा कि यह ऐसा नहीं था।

इसलिए मैं यह अभिनिर्धारित करूंगा कि इस अपील का संबंध व्यापार के अवरोधक संविदा के प्रकार के संबंध में जिस प्रश्न का उत्तर दिया जाना चाहिए वह यह है कि: क्या सौदेबाजी उचित थी! ऋजुता का परीक्षण नि:संदेह यह है कि क्या संविदा के अन्तर्गत वचनदाता को प्राप्त लाभों के अनुरूप और वचनग्रहीता के विधिसम्मत हितों के संरक्षण दोनो के लिए अवरोध युक्तियुक्त रूप से आवश्यक हैं। इस परीक्षण के उद्देश्य के लिए, संविदा के सभी प्रावधानों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।"

(f). वह शर्त जो मजबूत पक्षकार को उसके सामान्य विधिक दायित्व से छूट देता है, को प्रभाव नहीं दिया जाना चाहिए सिवाय जब यह उचित हो, जैसा कि लेविसन बनाम पेटेंट स्टीम कार्पेट कंपनी लिमिटेड, (1949) 2 ऑल ईआर 581 में 584 पर ब्रजो नाथ गांगुली (उपरोक्त) में देखा गया है:

<u> उद्घोषणा</u>

"85. लेविसन बनाम पेटेंट स्टीम कार्पेट कंपनी लिमिटेड में लॉर्ड डेनिंग, एमआर की टिप्पणियां भी उपयोगी हैं और इन्हें उद्धृत किया जाना अपेक्षित है। ये अवलोकन इस प्रकार हैं (पृष्ठ 79 पर):

"ऐसी परिस्थितियों में, जैसी कि यहां विधि आयोग ने 1975 में सिफारिश की थी कि ऐसी शर्तें जो मजबूत पक्षकार को उसके साधारण विधिक दायित्व से छूट देती है, को तब के सिवाय प्रभावी नहीं किया जाना चाहिए जब वह युक्तियुक्त हो: विधि आयोग और स्काटिश विधि आयोग रिपोर्ट , अपवाद खण्ड, दूसरी रिपोर्ट (1975) (5 अगस्त, 1975), विधि आयोग सं. 69 (एच. सी. 605), पीपी 62, 174 देखे; और संसद के समक्ष अब एक विधेयक है, जो युक्तियुक्तता के परीक्षण को प्रभावी बनाता है। यह कानून सुधार का एक आभारी खण्ड़ है: लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें उस विधेयक को कानून में पारित करने के लिए इंतजार करने की आवश्यकता है। आप कभी नहीं जानते कि किसी विधेयक के साथ क्या हो सकता है। इस बीच, सामान्य कानून के अपने सिद्धांत हैं जो पहुँच के लिए तैयार हैं। गिलेस्पी ब्रदर्स एंड कंपनी लिमिटेड बनाम राय बौल्स ट्रांसपोर्ट लिमिटेड (1973) क्यूबी 400 में, मैंने सुझाव दिया तो अपवाद या सीमा खंड को प्रभाव नहीं दिया जाना चाहिए यदि यह अनुचित था, या यदि मामले की परिस्थितियों में इसे लागू करना अनुचित होगा। मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि आज मानक रूप संविदा में किसी भी दर पर इसे क्यों लागू नहीं किया जाना चाहिए, जहां सौदेबाजी की शक्ति की असमानता है।

(g). न्यायालयों को आशय के अनुसार संविदा का अर्थ लगाना होगा। इस संबंध में, ब्रोजो नाथ गांगुली (उपरोक्त) में, न्यायालय ने इस प्रकार प्रश्न पर विचार किया:

<u> उद्घोषणा</u>

"87. अनुचित संविदा शर्त अधिनियम, 1977 के अधिनियमन से पहले, फोटो प्रोडक्शन लिमिटेड बनाम सिकुरिकोर ट्रांसपोर्ट लिमिटेड (1980) एसी 827 के वाद में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने प्रतिवादियों के मानक शर्तों वाली मुद्रित रूप संविदा में अपवाद खंड को बरकरार रखा। यह निर्णय इस आधार पर आगे बढता प्रतीत होता है कि पक्षकार व्यवसायी थे और वे असमान सौदेबाजी की शिक्त नहीं रखते थे। हाउस ऑफ लॉर्ड ने इस वाद में संविदा में तर्कशीलता या उचितता का परीक्षण के खण्ड़ को अस्वीकार नहीं किया जहाँ पक्षकार सौदेबाजी की स्थिति में समान नहीं हैं। इसके विपरीत, लॉर्ड विल्वरफॉर्स, लॉर्ड डिप्लॉक और लॉर्ड स्केरमैन के कथन यह दर्शाते हैं कि हाउस ऑफ लॉर्ड उपयुक्त मामले में इस परीक्षण को स्वीकार करेगें। लगता है कि हाउस ऑफ लॉर्ड वपयुक्त मामले में उस परीक्षण को स्वीकार करेगा। लॉर्ड विल्बरफोर्स ने अपने भाषण में, अनुचित अनुबंध नियम अधिनियम, 1977 का उल्लेख करने के बाद, कहा (पृष्ठ 843 पर):

"यह अधिनियम उपभोक्ता संविदाओं और मानक निबंधनों के आधार पर लागू होता है और अपवाद खंडों को जो उसके संबंध में न्यायोचित और युक्तियुक्त है लागू किया जाना सुनिश्चित करेगा। यह महत्वपूर्ण है कि संसद संविदा के पूरे क्षेत्र पर कानून बनाने से परहेज की। इस अधिनियम के बाद, आमतौर पर वाणिज्यिक मामलों में, जब पक्षकार असमान सौदेबाजी की शिक्त के नहीं होते हैं, और जब जोखिम आमतौर पर बीमा द्वारा पैदा होती है तो न केवल न्यायिक हस्तक्षेप के लिए मामला होता है, बल्कि सब तरह से यह कहा जाएगा और ऐसा लगता है कि संसद का इरादा है कि वह पक्षकारों को अपने जोखिम का विभाजन करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दें और वे अपने निर्णयों के लिए जैसा उचित समझें। (प्रभाव विधित)

लॉर्ड डिप्लॉक ने कहा (पृष्ठ 850-51):

" चूंकि किसी वाणिज्यिक संविदा में विधि द्वारा अन्तर्निहित दायित्व वे हैं जो वर्षों से न्यायिक सहमति द्वारा या संसद द्वारा किसी कानून को पारित करते समय उन्हें दायित्व की तरह मानी गयी हैं जिन्हें बुद्धिसम्पन्न व्यवसायी यह महसूस करेगा कि वह किसी विशिष्ट प्रकार के संविदा में किए जाने पर स्वीकार कर रहा था, अन्तर्निहित दायित्व से, जो एक अर्थ में अपवर्जन खंड के अभिव्यक्त शब्दों का अर्थान्वयन करने में अंतर्विलत होंगे, किसी विशिष्ट किस्म के संविदा में आने पर न्यायालय का दृष्टिकोण यह विनिश्चय

<u> उद्घोषणा</u>

करने में सुसंगत विचार है कि पक्षकारों द्वारा शब्दों को सहन करने के आशय कार्य अर्थ है (प्रभाव वर्धित)

लार्ड स्कारमन लार्ड विलबरफोर्स (पृष्ठ 853 पर) से सहमति जताते हुए उन कार्यो का वर्णन किया जो सदन के समक्ष पक्षकारों के मध्य उत्पन्न एक वाणिज्यिक विवाद जिसको उन्हें स्वयं देखभाल करना हैं के रूप में अपील से उत्पन्न हुआ हैं और तब जोड़ा इन परिस्थितियों में कौन से पक्षकार अभिव्यक्त या विविधत रूप से सहमति व्यक्त करते हैं वह महत्व रखता है। और न्यायलय का कर्तव्य यह है कि वह अपने अभिप्राय के अनुसार उनके मध्य संविदा का अर्थान्वयन करे।

88. जैसा कि ऊपर दृष्टिगत है, न्यायिक निर्णयों के अलावा, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने वैधानिक रूप से मान्यता दी है, कम से कम संविदा संबंधी कानून के कितपय क्षेत्रों में, कि अनुचित व्यवहार हो सकता है (या निष्पक्षता की कमी, यदि कोई उस वाक्यांश को पसंद करता है) अनुबंध या एक अनुबंध में एक खंड जहां पार्टियों के बीच सौदेबाजी की शिक्त की असमानता है, हालांकि परिस्थितियों से उत्पन्न होती हैं जो उनके नियंत्रण में नहीं होती हैं या स्थितियों के परिणामस्वरूप उनकी रचना नहीं होती है। अन्य कानूनी प्रणालियां भी समान परिस्थितियों में दर्ज एक संविदात्मक संव्यवहार की न्यायिक समीक्षा की अनुमित देती हैं। उदाहरणार्थ, जर्मन दीवानी संहिता की धारा 138 (2) में यह उपबंध है कि कोई संव्यवहार शून्य है जब कोई व्यक्ति व्यथित स्थिति, अनुभवहीनता, निर्णय क्षमता की कमी या उसकी गंभीर कमजोरी का धनीय लाभ प्राप्त करने का वचन या प्राप्त करने के लिए दूसरे की इच्छाओं का 'शोषण' करता है जो स्पष्ट रूप से बदले में दिये गये पालन के आनुपातिक नहीं है। फ्रेंच विधि के अनुसार यह स्थिति काफी हद तक समान है।

(h). ब्रोजो नाथ गांगुली (उपरोक्त) के मामले में , यह इंगित किया गया कि न्यायालय को ऐसे मामले में क्या करना चाहिए जो इस प्रकार है:

"89. क्या तब हमारे न्यायलय को समय के साथ आगे बढ़ना चाहिए? क्या वे अभी भी अस्पष्ट अवधारणाओं और बाहरी विचारधाराओं से चिपके रहेंगे? क्या हमें आज के हिसाब से अपनी सोंच को नहीं बदलना चाहिए? क्या सभी न्यायशास्त्रीय विकास हमें पास कर देना चाहिए, जिससे हम 19 वीं शताब्दी के सिद्धांतों के ढेर में भद्दे हो जाते हैं? क्या बलवान को कमजोर को दबाने की अनुमति दी जानी चाहिए? क्या उन्हें कमजोरों के ऊपर शासन करने की अनुमति दी जानी चाहिए? क्या न्यायालयों को मौन धारण

<u> उद्घोषणा</u>

कर लेना चाहिए और कमजोर पर अत्याचार होते देना चाहिए। हमारे देश में एक संविधान है। हमारे न्यायाधीश संविधान और विधियों को बनाए रखने की शपथ से बंधे हैं इस देश के सभी नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलाने के लिए संविधान बनाया गया था। संविधान का अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण की गारंटी देता है। मामले के इस भाग पर उपर्युक्त विचार-विमर्श से संबंधित सिद्धांत सही और तर्क के अनुरूप है जिसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक न्याय को सुरक्षित करना और अनुच्छेद 14 में महान समानता खंड के अधिदेश के अनुरूप है। यह सिद्धांत यह है कि अदालतें इसे लागू नहीं करेंगी और जब ऐसा करने के लिए 15 कहा जाएगा तो अनुचित एवं अतार्किक संविदा या संविदा में कोई अनुचित एवं अतार्किक खण्ड जिसमें पक्षकार सौदेबाजी के शक्ति में समान न हों, को हटा देंगी। इस प्रकार के सभी सौदेबाजी की एक पूर्ण सूची देना मुश्किल है। कोई भी न्यायालय उन विभिन्न स्थितियों की कल्पना नहीं कर सकती है जो लोगों के मामलों में उत्पन्न हो सकती हैं। कोई केवल कुछ दृष्टांत देने का प्रयास कर सकता है। उदाहरण के लिए, उपरोक्त सिद्धांत वहां लागू होगा जहां सौदेबाजी की शक्ति की असमानता संविदा के पक्षकारों की आर्थिक शक्ति में महती असमानता का परिणाम है। यह उन परिस्थितियों में लागू होगा जहां असमानता परिस्थितियों का परिणाम हो और वे परिस्थितियां चाहे पक्षकारों द्वारा निर्मित हो या न हो। यह उन परिस्थितयों पर लागू होगा जिनमें कमजोर पक्षकार एक ऐसी स्थिति में हो जिसमें वह मजबूत पक्षकार द्वारा आरोपित शर्तों पर केवल वस्तुओं या सेवाओं या आजीविका के साधन प्राप्त कर सकता है या उनके बिना जा सकता है। यह भी लागू होगा जहां एक आदमी के पास 15 कोई विकल्प नहीं है, या कोई सार्थक विकल्प नहीं है, बजाय किसी संविदा पर अपनी सहमति देने या एक निर्धारित या मानक रूप में बिंदीदार रेखा पर हस्ताक्षर करने या संविदा के किसी भाग में नियमावली को स्वीकार करने के लिए चाहें उस संविदा के नियम अनुचित हों, युक्तियुक्त न हो या साम्यिक न हो। हालांकि यह सिद्धांत वहां लागू नहीं होगा जहां संविदा के पक्षकारों की सौदेबाजी की शक्ति समान या लगभग बराबर हो। यह सिद्धांत लागू नहीं हो सकता है जहां दोनों पक्ष व्यापारी हैं, और संविदा एक वाणिज्यिक संव्यवहार हो। आज के इस जटिल संसार में विशाल अवसंरचना वाली बडी बड़ी संस्थाएं राज्य के साथ जो सभी तरह के उद्योग एवं वाणिज्य के कार्य कर रही हैं ऐसे में वहां अनगितन परिस्थितियां हो सकती हैं जहां पक्षकारों, जो पूर्ण रूप से असंगत और असमान सौदेबाजी की शक्ति रखते हों, के मध्य अनुचित एवं अयुक्तियुक्त सौदेबाजी परिणत हो सकती हैं। ये वाद न तो गिने जा सकते हैं न पूर्ण रूप से दृष्टित किये जा सकते हैं। न्यायालय को

<u> उद्घोषणा</u>

प्रत्येक मामले को उसके खुद के तथ्य एवं परिस्थितियों के आधार पर न्यायनिर्णीत करना चाहिए।

(i). न्यायालय ने ब्रोजो नाथ गांगुली (उपरोक्त) के वाद में निर्णीत किया कि संविदा जो बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करे और यदि वह अनुचित दोषपूर्ण एवं अयुक्तियुक्त हो तो वह संविदा शून्यकरणीय होती है। अदालत प्रत्येक व्यक्ति को मजबूर नहीं करेगी, जिसके साथ बेहतर सौदेबाजी की शक्ति वाले पक्ष ने अनुबंध को शून्य घोषित करने के लिए अदालत में जाने का अनुबंध किया था और इसके परिणामस्वरूप मुकदमेबाजी की बहुलता होगी। यह अवलोकन:

"91.क्या उक्त वर्णित प्रकार की संविदा को शून्य या शून्यकरणीय न्यायनिर्णीत करना चाहिए? यदि संविदा अनुचित प्रभाव से प्रभावित थी, तो भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 19 –क के तहत, यह शून्यकरणीय होगी। हालाँकि, यह शायद ही कभी होता है कि भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 16 (1) द्वारा परिभाषित किए गए प्रकारों के संविदा, जिनके लिए ऊपर हमारे द्वारा निर्मित किया गया सिद्धांत लागू होता है, अनुचित प्रभाव से प्रेरित होते हैं, भले ही वे कई बार पक्षकारों में से एक हो दूसरे पर एक वास्तविक या स्पष्ट अधिकार रखता है। हालांकि, अधिकांश मामलों में. ऐसी संविदाएं परिस्थितियों के दबाव में कमजोर पक्षकार द्वारा की जाती हैं और सामान्यतः आर्थिक मामलों में सौदेबाजी शक्ति की असमानता परिणति होती है। ऐसे संविदा धारा 16 (1) में दिए गए "असम्यक प्रभाव" की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आएगें। इसके अलावा, ऐसे अनुबंधों का बहुमत एक मानक या निर्धारित रूप में है या एक सेट से मिलकर बना है। वे संविदाएं उन व्यक्तियों के मध्य नहीं हैं जिसमें केवल उन्हीं व्यक्ति विशेष के लिए शर्तें हों। निर्धारित या मानक रूपों में अनुबंध या जो अनुबंध के हिस्से के रूप में नियमों के एक सेट को मूर्त रूप देते हैं, पक्षकार द्वारा श्रेष्ठ सौदेबाजी की शक्ति के साथ बड़ी संख्या में ऐसे व्यक्तियों के साथ प्रवेश किया जाता है जिनके पास बहुत कम सौदेबाजी की शक्ति या कोई सौदेबाजी की शक्ति नहीं होती है। ऐसे संविदा जो बडी संख्या में व्यक्तियों या एक समूह या व्यक्तियों के समूह को प्रभावित करते हैं, यदि वे अचेतन, अनुचित और अनुचित हैं, तो सार्वजनिक हित के लिए

<u> उद्घोषणा</u>

हानिकारक हैं। यह कहने के लिए कि इस तरह का अनुबंध केवल शून्यकरणीय है, प्रत्येक व्यक्ति को मजबूर करना होगा जिसके साथ बेहतर सौदेबाजी की शक्ति वाले पक्ष ने अदालत में जाने के लिए अनुबंध को शून्य घोषित किया था। इससे केवल मुकदमेबाजी की बहुलता होगी, जिसे किसी भी अदालत को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए और यह भी सार्वजनिक हित में नहीं होगा। इस तरह के अनुबंध या एक अनुबंध में इस तरह के एक खंड को शून्य घोषित किया जाना चाहिए। जबिक इंग्लैंड में संविदा का कानून ज्यादातर न्यायाधीश द्वारा बनाया गया है, भारत में संविदा संविधि द्वारा अधिनियमित किया गया है, जिसका नाम भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 है। यह भारतीय संविदा अधिनियम के प्रासंगिक वर्गों में से एक के तहत आना चाहिए, जो इसे लागू करता है वह धारा 23 है। जब इसमें यह कहा गया है कि "किसी करार का प्रतिफल या उद्देश्य विधि सम्मत है, अन्यथा न्यायालय इसे लोकनीति के विरुद्ध मानता है।"

(j). न्यायालय ने "लोक नीति" पर भी विचार किया। लोकनीति किसी विशेष सरकार की नीति नहीं है। यह कुछ मामलों को दर्शाता है जो जनता की भलाई और सार्वजनिक हित से संबंधित है। कार्य लोकनीति के अधीनस्थ होनें चाहिए। न्यायालय ने संविदा अधिनियम और लोकनीति के इस संदर्भ में निम्नलिखित अवलोकन किए:

"92. भारतीय संविदा अधिनियम "लोकनीति" या "लोकनीति विरूद्ध अभिव्यक्ति "को परिभाषित नहीं करता है। अभिव्यक्ति "लोकनीति," लोकनिति के विरूद्ध "या" लोकनीति के विपरीत " की सटीक परिभाषा देने में असमर्थ हैं। हालांकि, सार्वजिनक नीति, किसी विशेष सरकार की नीति नहीं है। यह कुछ मामलों को दर्शाता है जो जनता की भलाई और सार्वजिनक हित के हैं। यह अवधारण कि लोकनीति क्या है, लोगों की भलाई या लोकहितके लिए क्या सही या गलत है समय समय पर बदलता रहा है। जैसा कि नई अवधारणाएं पुरानी जगह लेती हैं, संव्यवहार जिन्हें एक बार लोकनीति के विरूद्ध माना गया अब न्यायालय द्वारा अवधारित की जा रही हैं और उसी तरह, जहां लोकनीति के जाने माने मान्यताप्राप्त शीर्ष हैं वहां न्यायलय ने नये संव्यवहारों एवं परिवर्तित परिस्थितियां तक बढ़ाने से जी नहीं चुराया है और समय समय पर लोकनीति के नये शीर्ष को खोजने से जी नहीं चुराया है। इस संबंध में यहां पर दो विचार हैं – प्रथम

<u> उद्घोषणा</u>

संकीर्ण दृष्टिकोण द्वितीय विस्तृत दृष्टिकोण। प्रथम विचारधारा के अनुसार न्यायालय लोकनीति के नये शीर्ष सृजित करते हैं, जबकि द्वितीय विचार के अनुसार विधि निर्मात्री न्यायिक अनुसमर्थन है। "संकीर्ण दृष्टिकोण" के अनुयायियों को सार्वजनिक नीति के आधार पर संविदा को अमान्य नहीं किया जाएगा जब तक कि वे विशेष आधार अधिकारियों द्वारा अच्छी तरह से स्थापित नहीं किया गया था। कमजोर की आवाज जंसन बनाम डीक्डॉनइन समेकित गोल्ड माइंस लिमिटेड के मामले में लार्ड डेवी के शब्द ज्यादा स्पष्ट और तीव्र सुनाई दी होगी। विधिक निर्णय के लिए लोकिनीति हमेशा से असूरक्षित और जोखिमभरा आधार रहा है। यह वर्ष 1902 में था, सत्तर साल पहले, रिचर्डसन बनाम मेलिश में न्यायमूर्ति बुर्ज (182434) ऑल ईआर 258, ने सार्वजनिक नीति को एक बहुत ही अनियंत्रित घोड़ा कहा है, और जब एक बार आपका नियंत्रण हटता है तो आपको नहीं पता कि यह आपको कहां ले जाएगा. " हालांकि मास्टर ऑफ रोल्स लॉर्ड डेनिंग, ऐबदार घोडों से दूर रहने वाले व्यक्ति नहीं थे और यदि हम शब्दों में बयां करें तो जो हमारी आंखों के सामने संयमित थे, युवा अलेक्जेंडर ग्रेट टेमिंग बिकासालस की तस्वीर जो उन्होंने एंडबी टाउन फुटबॉल क्लब बनाम फूटबॉल असन लिमिटेड (1971) सीएच 591 लिमिटेड में कहा को हमारी आँखों के सामने ताजा कर देता है : "अगर काठी पर अच्छा आदमी बैठा हो, अनियंत्रित घोड़े को नियंत्रण में रखा जा सकता है। यह बाधाओं को पार कर सकता है।" अगर कमजोर जमीन छोड दिये होते, तो न केवल लोकनीति का सिद्धांत बल्कि कॉमन लॉ या साम्या के सिद्धांत भी कभी विकसित नहीं होते। सर विलियम होल्डसवर्थ ने अपने "इंग्लिश विधि के इतिहास, " खंड ॥।, पृष्ठ ५५ में कहा है:

"वास्तव में, सामान्य विधि जैसे कानून का एक निकाय, जो धीरे-धीरे राष्ट्र के विकास के साथ विकसित हुआ है, आवश्यक रूप से कुछ निश्चित सिद्धांतों को प्राप्त करता है, और यदि यह इन सिद्धांतों को बनाए रखना है, तो यह लोकनीति या उसी के जैसे किसी अन्य के आधार पर, उन प्रथाओं को दबाने के लिए सक्षम होना चाहिए, जो हमेशा नए प्रच्छन्नों के तहत, उन्हें कमजोर या नकारात्मक करना चाहते हैं।"

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि लोकनीति को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत विस्तार या संशोधन के उचित अवसर पर होने चाहिए और सक्षम हैं। वे प्रथायें एक समय में पूरी तरह से सामान्य मानी गयी थीं वे आज लोक चेतना के लिए अप्रिय और दमनकारी हो बन चुकी हैं। यदि लोकनीति, जो किसी मामले को आच्छादित करता है, का कोई शीर्ष न हो, तो अदालत को लोकचेता के अनुरूप होना चाहिए और लोकहित और लोकमंगल को ध्यान

<u> उद्घोषणा</u>

में रखते हुए इस तरह की प्रथा को लोकनीति के विरोध में घोषित करना चाहिए। खास करके, किसी भी मामले को तय करने में, जो प्राधिकरण द्वारा आच्छादित होता, हमारे न्यायालयों के पास संविधान की प्रस्तावना उनके मार्गदर्शन के रूप में होती है। मिसाल कायम करते हुए, न्यायालय हमेशा हमारे संविधान में सुरक्षित मूल अधिकार और नीति निर्देश सिद्धान्तों से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकती है।

93. कॉमन लॉ का सामान्य नियम यह है कि कोई पक्षकार जो किसी समझौते को लागू करना चाहता है, जो लोकनीति के विरुद्ध हो उसमें वाद नहीं दायर हो सकता है। हालांकि स्क्रोडर म्यूजिक पब्लिशिंग कंपनी लिमिटेड बनाम मैकाले (1974) 1 डब्ल्यूएलआर 1308 का मामला यह स्थापित करता है कि जहां किसी संविदा को लोक नीति के विरुद्ध माना जाता है, वहां इससे प्रभावित पक्षकार इसे शून्य घोषित करवाने के लिए वाद दायर कर सकती है। मामला अलग हो सकता है, जहां संविदा का उद्देश्य विधिविरुद्ध या अनैतिक है। केदार नाथ मोटनी बनाम प्रह्लाद राय, ए. आई. आर. 1960 एस. सी. 213 में, उच्च न्यायालय के निर्णय को उलटते हुए और विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की स्वत्व को वाद में घोषित करते हुए पारित डिक्री को प्रत्यावर्तित करते हुए उन प्रत्यर्थियों को, जो अपीलार्थी बेनामीदार के कब्जे को बहाल करने का निदेश दे, इस न्यायालय ने इस विषय पर अंग्रेजी और भारतीय विधि पर चर्चा करने के पश्चात् कहा: (पृष्ठ 873 पर)

"हमारी राय में, कानून में सही स्थिति यह है कि किसी को यह देखना है कि क्या अवैधता इस मामले की जड़ तक जाती है कि वादी अवैध लेनदेन पर भरोसा किए बिना अपनी कार्रवाई नहीं कर सकता है जिसमें उसने संविदा था। यदि अवैधता तुच्छ या परेशान करने वाला हो, जैसा कि विनिस्टन द्वारा कहा गया है और वादी को उस अवैधता पर अपना मामला नहीं छोडता है, तो लोकनीति यह मांग करती है कि प्रतिवादी को स्थिति का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। निश्चित रूप से सख्त दृष्टिकोण अपनाने पर वादी के आचरण को देखना चाहिए, और उसे कुछ उप–आश्रय का सहारा लेकर या तथ्यों को गलत तरीके से बताकर अवैधता को रोकने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। हालांकि यदि मामला स्पष्ट हो और अवैधता को कार्रवाई के कारण के रूप में साबित करने की आवश्यकता न हो, और वादी को अवैध उद्देश्य प्राप्त करने से पहले पुनर्विचारित किया गया था, तो जब तक कि यह इस तरह की घोर प्रकृति का न हो अदालत की अंतरात्मा ठेस पहुंचाए, प्रतिवादी की याचिका प्रबल नहीं होनी चाहिए। " जिन अनुबंधों के लिए हमारे द्वारा ऊपर तैयार किया गया सिद्धांत लागू होता है, वे संविदा नहीं हैं जो अवैधता के साथ दागी हैं,

<u> उद्घोषणा</u>

लेकिन ऐसी संविदा हैं जिनमें ऐसी शर्तें हैं जो इतनी अनुचित और अयुक्तियुक्त हैं कि वे अदालत की अंतरात्मा को झकझोर देते हैं। वे लोकनीति के विरोध में हैं और उन्हें शून्य घोषित करने की आवश्यकता है।

51. इस न्यायालय ने दिल्ली परिवहन निगम बनाम डीटीसी मजदूर कांग्रेस एवं अन्य (1991) 1 एस.सी.सी 600 में बदलते समय में संविदा विधि और इसके निर्वचन पर विचार किया जो इस प्रकार है:

"279. संविदाओं पर चिट्टी के पैरा 4 (25 वां संस्करण, खंड 1) में यह कहा गया है कि "संविदा की स्वतंत्रता केवल इस सीमा तक एक युक्तियुक्त सामाजिक आदर्श है कि संविदा के पक्षकारों के बीच सौदेबाजी करने की शक्ति की समानता ग्रहण की जा सकती है और समग्र रूप से किसी समुदाय के आर्थिक हित को आघात न पहुँचाए।"

280. अंसन संविदा विधि के पृष्ठ 6 और 7 पर कहा गया कि बदलती परिस्थितियों में संविदा की स्वतंत्रता का क्षेत्र इस प्रकार है:

"आज यह स्थिति बहुत अलग तरह से देखी गयी है। संविदा की स्वतंत्रता केवल इस हद तक एक उचित सामाजिक आदर्श है कि संविदा के पक्षकारों के बीच सौदेबाजी की शक्ति की समानता को माना जा सकता है, और बड़े पैमाने पर समूदाय के आर्थिक हितों को कोई चोट नहीं पहुंचाई जाती है। एक सामूहिक समाज के अधिक जटिल सामाजिक और औद्योगिक परिस्थितियों में, इसने बहुत अधिक आदर्शवादी आकर्षण को रोक दिया है। अब यह महसूस किया जाता है कि आर्थिक समानता अक्सर किसी भी वास्तविक अर्थ में मौजूद नहीं होती है और समुदाय की जनता का संरक्षण करने के लिए व्यक्तिगत हितों को बनाया जाना चाहिए, इसलिए हमारे सामाजिक दृष्टिकोण में और संविदा के लिए विधायिका की नीति में मौलिक परिवर्तन हुआ है और विधि आज पक्षकारों की स्वतंत्रता के साथ कई बिंदओं पर हस्तक्षेप करता है कि वे कैसी संविदा करना चाहता है। उदाहरण के लिए, नियोक्ताओं और नियोजित के बीच संबंध, यह सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए क़ानुनों द्वारा विनियमित किया गया है कि कर्मचारी की कार्य की स्थिति सुरक्षित है, कि वह अतिरेक के खिलाफ ठीक से संरक्षित है, और वह अपनी सेवा की शर्तों को जानता है। किराए के अधिनियमों, माल की आपूर्ति (लागू शर्तों) अधिनियम, उपभोक्ता क्रेडिट अधिनियम और इसी तरह के अन्य अधिनियमों द्वारा जनता को आर्थिक दबाव से संरक्षित किया गया है। ये विधायी प्रावधान किसी भी विपरीत शर्तों को अध्यारोही करेंगे जो पार्टियां अपने लिए कर सकती हैं। इसके अलावा, विधायिका ने उद्योग में प्रतिस्पर्धा को बढावा देने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम, 1956 और फेयर ट्रेडिंग एक्ट, 1973 में हस्तक्षेप किया है। यह हस्तक्षेप

<u> उद्घोषणा</u>

आज विशेष रूप से आवश्यक है जब सामान्य लोगों द्वारा किये गये संविदा व्यक्तिगत संवाद का परिणाम नहीं हैं। एक निजी व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं है कि वह अपने करार की शतों को ब्रिटिश रेलवे बोर्ड के साथ या किसी स्थानीय विद्युत प्राधिकरण के साथ निपटारा करे। संविदा का 'मानक रूप' वे नियम है। उसे या तो टोटो में इस संविदा की शतों को स्वीकार करना चाहिए या बिना स्वीकार किये चले जाना चाहिए। चूंकि, इस तरह की आवश्यक सेवाओं से खुद को वंचित करना संभव नहीं है, इसलिए व्यक्ति को उन शतों पर स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि संविदा की स्वतंत्रता अब काफी हद तक भ्रम है।"

52. (क). डी.टी.सी. (उपरोक्त) में इस बात पर जोर दिया गया है कि अनुबंध की अवधि उचित होनी चाहिए और कर्मचारी को यह जानने का अधिकार है और वह अतिरेकता से उचित रूप से सुरक्षित है। केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड एवं अन्य बनाम वी. ब्रोजो नाथ गांगुली एवं अन्य(1983) 3 एससीसी 156 के मामले में अनुमोदन करते हुए न्यायालय ने यह धारित किया जो इस प्रकार है:

"282. ब्रोजो नाथ (1986) 3 एससीसी 156 के मामले में मैडन जे. ने विस्तृत रूप से संविदा की अनुचित या अनुचित शर्तों से संबंधित कानून के विकास पर विचार किया और मेरे लिए उसी आधार को पार करना अनावश्यक है। विद्वत न्यायाधीश ने वितरणात्मक न्याय की निहाई पर मनमाना, अनुचित, और बेलगाम शक्ति पर भी विचार किया या उसमें परिकल्पित प्रक्रिया की निष्पक्षता या निष्पक्षता पर विचार किया। उसके संबंध में सुसंगत मामला विधि संयुक्त राज्य अमेरिका के उच्चतम न्यायालय और इंग्लैंड में हाउस आफ लार्डस और महाद्वीपीय देशों में विधि के विकास के आलोक में विस्तार से निपटा गया था। निर्णय पर अनावश्यक बोझ से बचने के लिए, मैं उसी तर्क को नहीं दोहराता हूं। मैं पूरी तरह से तर्क से सहमत हूं, और इसके सभी पहलुओं पर निष्कर्ष निकाला गया।"

<u> उद्घोषणा</u>

(ख). सरकारी संविदाओं के परिवर्तन और असंवैधानिक शर्तों को लागू करने के राज्य के अधिकार के संबंध में डी.टी.सी (उपरोक्त) में इस न्यायलय ने पाया:

"283. इस समस्या को इस दृष्टिकोण से भी खोला जा सकता था कि क्या राज्य संविदा , संविधि या नियम इत्यादि के भाग के रूप में असंवैधानिक शर्तें आरोपित कर सकता है। हावर्ड विधि समीक्षा 1959–60 73 के पेज संख्या में लगे नोट "असंवैविधानिक शर्ते" यह उपधारणा की जाती है कि राज्य संविदा में असंवैधानिक शर्तें अधिरोपित करने की शिंक से वंचित है कि राज्य द्वारा चार क्षेत्रों में उदारता दिखा सकता है अर्थात् (1) कतिपय क्रियाकलापों में लगे रहने के अधिकार को विनियमित करना; (2) सरकारी कल्याण कार्यक्रम का प्रशासन; (3) सरकारी नियोजन; और (4) संविदाओं का प्रापण करने की शिंक प्राख्यान की गई है यह आगे पेज 160–203 पर इस प्रकार से लगाया गया था:

"वस्तुओं और सेवाओं के लिए संविदा करने वाले लोगों को चुनने के लिए संप्रभु का संवैधानिक अधिकार, वास्तव में, सरकार के साथ आर्थिक व्यवहार से प्राप्त होने वाले लाभों को वापस लेने की शक्ति है। जैसा कि आर्थिक क्षेत्र में सरकारी गतिविधि बढ़ जाती है, अनुबंधित शक्ति सरकार को कई अब तक की अनियमित गतिविधियों को नियंत्रित करने में सक्षम बनाती है।

इस प्रकार, सरकार के संबंध में, एक निजी उद्यमी के रूप में, संवैधानिक अधिकारों को बिगाड़ने की धमकी देता है। सरकार, जो एक निजी व्यक्ति नहीं है, संविधान द्वारा संविदा करने की क्षमता में सीमित है। संघीय संविदा शक्ति इन कृत्यों के संविधान के प्राधिकरण 'आवश्यक और उचित' पर आधारित है, जो उन कार्यों को करने के लिए हैं जिन्हें यह राष्ट्रीय सरकार को आवंटित करता है। जब तक सरकारी संविदाओं में नियमों और शर्तों द्वारा मांगे गए उद्देश्यों को संवैधानिक रूप से अधिकृत नहीं किया जाता है, तब ये शर्तों को शक्ति के अधिकारातीत प्रयोग के अन्तर्गत आएंगी।" पुनः पृष्ठ 1603 पर , आगे इस बात पर जोर दिया गया जो इस प्रकार है: "जब परिस्थितियां सरकार के साथ व्यवहार से व्युत्पन्न होने वाले आर्थिक लाभों को उन लोगों तक सीमित करती हैं जो संवैधानिक अधिकारों के प्रयोग को रोकते हैं, तो इन लाभों के उपभोग में भागीदारी से अपने अधिकारों को बनाए रखने वालों का बहिष्कार निषेध का उल्लंघन हो सकता है, नियत प्रक्रिया में निहित है पांचवें संशोधन के खंड और चौदहवें संशोधन के समान संरक्षण खंड में स्पष्ट लाभ के सरकारी

<u> उद्घोषणा</u>

सर्वोत्कृष्ट में अनुचित भेदभाव के खिलाफ लाभ प्रदान करती है। अंत में, सरकार के साथ संविदात्मक संबंधों से प्राप्त होने वाले लाभों में भाग लेने से कुछ अधिकारों का प्रयोग करने वालों को अक्षम करना दण्ड़ के रूप में नियत प्रक्रिया में कमी हो सकता है। उपरोक्त कारणों में से किसी के अमान्य होने से बचने के लिए, यह दिखाया जाना चाहिए कि अनुबंध के वैध उद्देश्यों को सुरक्षित करने, इसके प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने, या संभावित नुकसान से समाज की रक्षा करने के लिए लागू शर्तें आवश्यक हैं, जिसके परिणामस्वरूप सरकार और व्यक्ति के बीच संविदात्मक संबंध हो सकते हैं।"

284. येल विश्वविद्यालय लॉ स्कूल के प्रोफेसर गिडो कैलाबेरी ने अपने " रिट्रोएक्टिविटी, पैरामाउंट पावर और संविदात्मक परिवर्तन (1961–62) 71 येल लॉ जर्नल 1191, ने कहा कि सरकार ऐसे अनुबंध कर सकती है जो संविधान के किसी भी विशिष्ट खंड या सामान्य कल्याण के लिए खर्च करने की शक्ति के लिए आवश्यक और उचित हैं। संघीय सरकार के पास संविधान द्वारा विशेष रूप से या स्पष्ट रूप से दिए गए लोगों के अलावा कोई शक्ति, निहित या संप्रभु नहीं है। पृष्ठ 1197 पर, यह इस प्रकार कहा गया है:

" सरकार सम्यक प्रक्रिया मानकों के अनुसार कार्य करती है क्योंकि सम्यक प्रक्रिया खंड नियम के बिना उस कार्य तक काफी है। सरकारी संविदाओं का परिवर्तन किसी स्वतंत्र देश में तब भी वांछनीय नहीं है जब वे संपत्ति का 'अपने कब्जे में ' गठित नहीं करते हैं या उस प्रकार की मूलभूत औचित्य के प्रश्नों पर प्रभाव डालते हैं जो सम्यक प्रक्रिया में समाविष्ट हैं सरकार परिवर्तन कर सकती है, लेकिन यदि युद्ध या वाणिज्य उनकी आवश्यकता है, न कि व्यापक और अधिक अल्पकालिक आधारों पर कि परिवर्तन द्वारा सामान्य कल्याण की सेवा की जाएगी। कोई भी अन्य नियम सरकार को केवल अपनी इच्छा पर ऋण न चुकाने की अनुमति देगा।

XXX

286. ब्रोजो नाथ (उपरोक्त) मामले में शतों के 'तर्कशीलता या निष्पक्षता' के सिद्धांत पर विस्तृत विचार करने के बाद और संविदा की शतों संविदा के पक्षकारों की सापेक्ष सौदेबाजी की शक्ति की तुलना के साथ न्यायालय ने यह धारित किया कि इन चर्चाओं से निष्कर्षित सिद्धान्त जो यहां पर बनाये गये हैं वे अधिकार या वे कारण जो अनुच्छेद 14 में समानता के आदेश और आर्थिक न्याय को प्राप्त करने या उन अधिकारों से संगत हैं। जो सिद्धांत निर्धारित किया गया वह यह था कि अदालतें उसे लागू नहीं करेंगी और जब ऐसा करने के लिए कहा जाता है, तो एक अनुचित और अनुचित

<u> उद्घोषणा</u>

संविदा या एक अनुबंध में एक अनुचित और अनुचित अनुचित खंड, उन दलों के बीच दर्ज किया जाता है जो सौदेबाजी की शक्ति में समान नहीं है, उसे रद्व कर देंगी। यह उन स्थितियों पर लागू होगा जिनमें कमजोर पक्ष एक ऐसी स्थिति में है जिसमें वह मजबूत पार्टी द्वारा लगाए गए शर्तों पर केवल वस्तुओं या सेवाओं या आजीविका के साधन प्राप्त कर सकता है या यदि शर्ते न माने तो उसे उपरोक्त न प्राप्त हो। यह भी लागू होगा जहां एक आदमी के पास कोई विकल्प नहीं है, या कोई सार्थक विकल्प नहीं है, लेकिन संविदा पर अपनी सहमति देने के लिए या निर्धारित या मानक रूप में जो शर्ते लगायी गयी हैं उस पर हस्ताक्षर करने या संविदा के भाग के रूप में नियमों के समूह स्वीकार करने के लिए चाहे उस संविदा या प्रारूप या नियम में कोई उपखण्ड अनुचित अयुक्तियुक्त साम्यिक, कैसा भी हो। हालांकि यह सिद्धांत वहां लागू नहीं होगा जहां पर संविदा करने वाले पक्षकारों की सौदेबाजी की शक्ति बराबर या लगभग बराबर है या जहां दोनों पक्ष व्यवसायी हैं, और अनुबंध एक वाणिज्यिक लेनदेन है।

287. आज की जटिल दुनिया में अपने विशाल अवसंरचनात्मक संगठनों के साथ विशालकाय निगमों, राज्य अपने उपकरणों और एजेंसियों के माध्यम से उद्योग और वाणिज्य और सेवा के क्षेत्र की लगभग हर शाखा में प्रवेश कर चुका है, यहां पर विभिन्न परिस्थितियां हो सकती हैं, जिसके परिणामस्वरूप पूर्ण रूप से अनुपातहीन और असमान सौदेबाजी की शिक रखने वाले पक्षकारों के बीच अनुचित और अनुचित सौदेबाजी होती है। इन मामलों की न तो गणना की जा सकती है और न ही पूरी तरह से दर्शित किया जा सकता है। अदालत को प्रत्येक मामले को उनके तथ्यों और परिस्थितियों अनुरूप देखना चाहिए।" (प्रभाव वर्धित)

न्यायालय ने निर्णीत किया कि यहां पर अनेक प्रकार की परिस्थितियां हो सकती हैं जिनके परिणामस्वरूप अनुचित और अयुक्तियुक्त सौदेबाजी हो सकती है, जो एक असमान सौदेबाजी शक्ति का परिणाम हैं। प्रत्येक मामले को उसके स्वयं के तथ्यों और परिस्थितियों पर देखना होगा।

<u> उद्घोषणा</u>

(ग). डी.सी. (उपरोक्त) मामले में, न्यायालय ने यह भी धारित किया कि अनुच्छेद 14 इस प्रकार मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए लोकनीति पर प्रकाश डालता है जो इस प्रकार :

"294. बासेश्वर नाथ बनाम सीआईटी, ए.आई.आर 1959 एससी 149, एसआर दास, मुख्य न्यायाधीश ने धारित किया कि अनुच्छेद 14 लोकि नीति पर आधारित है जिसको सभी राज्यों ने मान्यता किया है, और यह राज्य को फटकार लगाता है जब जब वह अपने ऊपर भारित दायित्व का निर्वहन नहीं करता है।

295. ईपी रायप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य (1974) 4 एससीसी 3 के मामले में न्यायमूर्ति भगवती (पूर्व कथित) यह अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 14 एक वंश है जबिक अनुच्छेद 16 एक जाति है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन से संबंधित सभी मामलों में समानता के सिद्धांत को प्रभावी बनाता है इसलिए मूल सिद्धांत जो अनुच्छेद 14 और 16 दोनों की जानकारी देता है वह भेदभाव के खिलाफ समानता और निषेध है। "समानता कई पहलुओं और आयामों वाली एक गतिशील अवधारणा है, और इसे पारंपरिक और सिद्धांत सीमाओं के भीतर "कूंचन, पक्का और सीमित" नहीं किया जा सकता है। प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण का मानना है कि समानता मनमानापन के विरोध में है। वास्तव में, समानता और मनमानापन पक्के शत्रु हैं; एक गणतंत्र में कानून के शासन से संबंधित है, जबकि दुसरा, एक पूर्ण राजा की सनक और अहंकार है। जहां कोई अधिनियम मनमाना है वहां उसमें यह अंतर्निहित है कि यह राजनीतिक तर्क और संवैधानिक विधि के अनुरूप नहीं है और इसलिए अनुच्छेद 14 के अतिक्रमण में है और यदि यह लोक नियोजन से संबंधित किसी मामले को प्रभावित करता है तो यह अनुच्छेद 16 का भी अतिक्रमण करता है। मेनका गांधी मामले (1978) 1 एससीसी 248 में, यह आगे कहा गया था कि युक्तियुक्तता का सिद्धांत, विधितः और साथ ही दार्शनिक रूप में, जो समानता या मनमानीपन का एक अनिवार्य तत्व है, गहराई से अनुच्छेद 14 में व्याप्त है। रमना मामले (1979) 3 एससीसी 489 में, यह निर्णीत किया गया था कि यह निर्धारित करने के लिए केवल एक न्यायिक सूत्र है कि क्या प्रश्न में विधायी या कार्यकारी कार्रवाई मनमाना है और इसलिए समानता से इनकार करती है। यदि वर्गीकरण युक्तियुक्त नहीं है और दो शर्तों अर्थात् तर्कसंगत संबंध और सांठगांठ को पूरा नहीं करता है तो अधिरोपित विधायी या कार्यपालक कार्रवाई स्पष्ट रूप से मनमाना होगी और अनुच्छेद 14 के अधीन समानता की गारंटी का उल्लंघन होगा। इसलिए जहां कहीं राज्य की कार्रवाई में

<u> उद्घोषणा</u>

मनमानी होती है, चाहे वह विधायिका का हो या कार्यपालिका का हो या अनुच्छेद 12 के अधीन "प्राधिकारी", अनुच्छेद 14 "तुरंत कार्रवाई में आता है और ऐसे राज्य कार्रवाई पर रोक लगाते है" वास्तव में, तर्कशीलता और गैर-मनमानी की अवधारणा पूरी संवैधानिक योजना में व्याप्त है और एक सुनहरा धागा है जो संविधान के पूरे ताने-बाने के माध्यम से चलता है।

302. अनुच्छेद 14 सामान्य सिद्धांत है जबिक अनुच्छेद 311 (2) राज्य के अधीन सभी दीवानी सेवाओं के लिए लागू विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 311 (2) में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को समाविष्ट किया गया है किंतु अनुच्छेद 311 के खंड (2) के परंतुक में अनुच्छेद 311 (2) में वर्णित प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के प्रवर्तन को तीन स्थितियों में वर्णित अपवाद के रूप में अपवर्जित किया गया है।

अनुच्छेद 14 सपिठत अनुच्छेद 16(1) एवं अनुच्छेद 311 का सामंजस्यपूर्ण रूप से निर्वचन किया जाए कि अनुच्छेद 311 (2) के परंतुक में अपवाद के रूप में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के लागू किए जाने को अपवर्जित करता है, इसिलए अनुच्छेद 311 (2) की उपयोज्यता को दीवानी सेवाओं तक सीमित रखा जाना चाहिए और तदनुसार अर्थ लगाया जाना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 12 के अधीन आने वाले सभी कर्मचारियों के संबंद में, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 जैसे अन्य प्रासंगिक लेखों की सिक्रय भूमिका को बिना किसी अवरोध के प्रयोग की अनुमित दी जानी चाहिए, जब तक कि वैधानिक नियम स्वयं, अनुच्छेद 14, 16, 19 और 21 के अधिदेश के अनुरूप, स्पष्ट रूप से ऐसा अपवाद प्रदान नहीं करते हैं. (प्रभाव विधित)

(घ). राज्य की मनमाना कार्रवाई फिर चाहे वह विधायिका, कार्यपालिका या अनुच्छेद 12, 14 और 21 के तहत एक प्राधिकरण इस तरह की कार्रवाई को रोकने के लिए प्रभाव में आती है। न्यायलय ने इसे डीपीसी (उपरोक्त) में इस प्रकार धारित किया:

"303. अनुच्छेद 19 (1) (छ) प्रत्येक नागरिक को उड्डयन या पेशे आदि के अधिकार का देता है, जिसमें राज्य के तहत रोजगार में जारी रखने का अधिकार शामिल है जब तक कि कार्यकाल को संविधान के मौलिक अधिकारों में निहित योजना के अनुरूप वैध रूप से समाप्त नहीं किया जाता है। इसलिए, यदि किसी भी प्रक्रिया को रोजगार के अधिकार से

<u> उद्घोषणा</u>

वंचित करने या निरंतर रोजगार के अधिकार से वंचित करने के लिए प्रदान किया जाता है, जब तक कि सेवानिवृत्ति की आयू तक आजीविका के अधिकार का स्रोत नहीं है, तो ऐसी प्रक्रिया न्यायोचि, उचित और युक्तियुक्त होनी चाहिए। उर्वरक निगम कामगार सिन्ध्री (पंजीकृत) बनाम भारत संघ (1981) 1 एस. सी. सी. 568 के मामले में न्यायलय ने निर्णीत किया कि अनुच्छेद 19 (1) (छ) एक व्यापक और सामान्य अधिकार प्रदान करता है जो सभी व्यक्तियों को अपनी पसंद के किसी विशिष्ट प्रकार के कार्य करने लिए उपलब्ध है। इसलिए जब भी राज्य की कार्रवाई मनमानीपूर्ण होती है – चाहे वह विधायिका का हो या कार्यपालिका का हो या अनुच्छेद 12 के , अनुच्छेद 14 और 21 अधीन किसी प्राधिकारी कार्य करने दे या ऐसी कार्रवाई को रद्व कर दे। तर्कशीलता और गैर-मनमानी की अवधारणा पूरे संवैधानिक आयाम में व्याप्त हैं और एक सुनहरा धागा है जिससे पूरा संविधान कपड़े की भांति बुना है। इसलिए, क़ानून का प्रावधान, विनियमन या नियम जो एक नियोक्ता को किसी कर्मचारी की सेवाओं को समाप्त करने का अधिकार देता है, जिसकी सेवा अनिश्चित काल तक है, जब तक कि वह किसी नोटिस के या उसके बदले में वेतन के, तब तक वह सेवानिवृत्ति की आयू प्राप्त नहीं कर लेता है, संविधान के अनुच्छेद 14, 19 (1) (जी) और 21 के आदेश के अनुरूप अनुरूप होना चाहिए। अन्यथा यह अपने आप में शून्य होगा। मोती राम डेका , ए.आई.आर. 1964 SC 600, के मामले में न्यायमूर्ति गजेन्द्रगढ़कर,(पूर्वकथित वक्तव्य) अनुच्छेद 311 (2) के अधीन नियम 149 (3) और 148 (3) जो विनियमों के विनियम 9 (ख) के साथ पैरी मटेरिया में हैं, को अविधिमान्य बनाने के पश्चात्, अनुच्छेद 14 के आलोक में उनकी विधिमान्यता पर भी विचार किया और इस प्रकार अभिनिर्धारित किया: (एस.सी.आर. पृष्ठ 731)

अतः हम इस बात से संतुष्ट हैं कि इस आधार पर कि इस आधार पर आक्षेपित नियमों की विधिमान्यता को चुनौती कि वे अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हैं को भी सफल होनी चाहिए।

यह उचित वर्गीकरण के परीक्षण पर था क्योंकि यह सिद्धांत तब लागू किया गया था। न्यायमूर्ति सुब्बाराव (पूर्वोक्त कथित) अनुच्छेद 311 (2) के अधीन नियम को अविधिमान्य करने के अलावा एक पृथक किंतु निर्णायक निर्णय में यह भी अभिनिर्धारित किया गया था कि नियम ने अनुच्छेद 14 का भी अतिक्रमण किया है, यद्यपि उस संबंध में कोई विस्तृत चर्चा नहीं की गई है लेकिन न्यायमूर्ति दास गुप्ता ने इस पहलू पर विस्तृत रूप से विचार किया और धारित किया किया (एस.सी.आर. पृष्ठ 770)

<u> उद्घोषणा</u>

"उपरोक्त मामले में निर्धारित सिद्धांत को वर्तमान नियम में लागू करते हुए नियम की जांच करने पर मुझे ज्ञात हुआ कि यह प्राधिकारी द्वारा स्वविवेक के प्रयोग के मार्गदर्शन करने के लिए कोई सिद्धान्त या नीति नहीं प्रतिपादित करता है कि चयन या वर्गीकरण के मामले में कौन सेवा से मुक्ति प्रदान करेगा। मनमानी और अनियंत्रित शिक्त को प्राधिकरण में छोड़ दिया जाता है तािक वह किसी भी व्यक्ति को चुन सके जिसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार यह नियम संबंधित प्राधिकारी को दो रेलवे सेवकों के बीच भेदभाव करने में सक्षम बनाता है, जिनमें से दोनों नियम 148 (3) समान रूप से एक मामले में कार्रवाई करके लागू होते हैं और इसे दूसरे में नहीं लेते हैं। प्राधिकरण द्वारा विवेकाधिकार के प्रयोग में किसी मार्गदर्शक सिद्धांत के अभाव में अतः नियमों को अभिखण्डित कर दिया जाना चाहिए क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 14 की अपेक्षाओं का उल्लंघन करता है।

"308. रमना (1979) 3 एससीसी 489 (एससीसी पृष्ठ 504, पैरा 10)के मामले में , यह धारित किया गया है कि:

"यह वास्तव में अकल्पनीय है कि कानून के शासन द्वारा शासित लोकतंत्र में, कार्यपालिका सरकार या उसके किसी भी अधिकारी को व्यक्ति के हितों पर मनमाना अधिकार होना चाहिए।"

"अपनाई गई प्रक्रिया न्याय की मांग के अनुरूप होनी चाहिए। इतिहास से पता चलता है कि यह हमेशा सूक्ष्म और प्रच्छन्न अतिक्रमण होता है, जो एक ऐसे अच्छे कारण के लिए स्पष्ट रूप से किया जाता है जो निस्संदेह स्वतंत्रता की नींव को मिटा देता है।" (प्रभाव वर्धित)

(ड़). एक नियोक्ता इस तरीके से कार्य नहीं कर सकता है जो न्याय औचित्य और युक्तियुक्त न हो। न्यायालय ने धारित किया –

"329. इसलिए मैं मानता हूं कि यद्यपि अदालतों के पास निर्वचन प्रक्रिया द्ववारा विधि के संशोधन की शक्ति नहीं है लेकिन फिर भी इसमें संशोधन करने की शक्ति होनी चाहिए ताकि यह विधायिका के मंशा के अनुरूप हो।

नीचे पढ़ने का सिद्धांत संविधि के निर्वचन का एक सिद्धान्त है। लेकिन जब विधायिका द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अपमानजनक भाषा स्पष्ट, सटीक, और अस्पष्ट है, तो संविधान में प्रासंगिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए, रिसॉर्ट को जीवन को उज़ाने के लिए शून्य कानून में पढ़ने के सिद्धांत के लिए नहीं किया जा सकता है ताकि इसे असंवैधानिकता से बचाया जा सके या प्रदान किया जा सके विधायिका पर अधिकार क्षेत्र। इसी प्रकार, सटीक, स्पष्ट और असंदिग्ध भाषा का प्रयोग नियोक्ता को मनमाना, बेलगाम और अधोषित शक्ति प्रदान करने के लिए नहीं की जा

<u> उद्घोषणा</u>

सकती जो कि जोकि संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत परिकल्पित उचित, न्यायपूर्ण और तर्कसंगत प्रक्रिया को और अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा कहे गये तरीकों से प्राधिकारियों को अज्ञात या अनिचित प्रक्रिया, कारण अंकित करने से नकारता है।' (प्रभाव वर्धित)

(च). डीटीसी (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय ने भी एस जी जयसिंहानी बनाम भारत संघ, ए.आई.आर. 1967 एस. सी. 1427 मामले का अवलम्ब लिया:

"331. "इस संदर्भ में इस बात पर जोर देना महत्वपूर्ण है कि मनमानापूर्ण शक्ति का अभाव विधि के शासन की पहली अनिवार्य शर्त है जिस पर हमारी संपूर्ण संवैधानिक प्रणाली आधारित है। कानून के शासन द्वारा शासित एक प्रणाली में, स्वविवेक, जब कार्यकारी अधिकारियों द्वारा प्रदान किया जाता है, तो उसे परिभाषित सीमाओं के भीतर सीमित किया जाना चाहिए। इस दृष्टिकोण से कानून के शासन का अर्थ है कि निर्णय ज्ञात सिद्धांतों और नियमों के आवेदन द्वारा किए जाने चाहिए और, सामान्य रूप से, ऐसे निर्णयों की भविष्यवाणी की जानी चाहिए, और नागरिक को पता होना चाहिए कि वह कहां पर है। यदि कोई निर्णय बिना किसी सिद्धांत के या नियम के लिया जाता है, तो यह अप्रत्याशित है, और ऐसा निर्णय कानून के शासन के अनुसार लिए गए निर्णय का विरोध करता है (देंखें डाइसी: संवैधानिक विधि प्रस्तावना, 10 वां संस्करण)। न्यायमूर्ति डगलस ने संयुक्त राष्ट्र बनाम वंडरलिच 342 यू. एस. 98 में कहा गया है कि विधि अपने उच्चतम शिखर पर पहुंच चुकी है, जब इसने किसी शासक के असीमित विवेकाधिकार से मनुष्य को मुक्त कर दिया है, जहाँ स्वविवेक निरपेक्ष है, वहां व्यक्ति को हमेशा परेशानी उठानी पड़ती

इसे इस भाव में स्वार्न एनिमी ऑफ कैप्रिास कहा जा सकता है। स्विववेक, जैसा कि लॉर्ड मैन्सफील्ड ने जॉन विल्क्स (1770) 4 बर्र 2528 के मामले में पुरातन पद में कहा है, 'इसका अर्थ है विधि द्वारा मार्गदर्शित युक्तियुक्त स्विववेक से है। यह नियम द्वारा शासित होना चाहिए न कि मिजाजा द्वारा। : यह मनमानापूर्ण, अस्पष्ट और काल्पिनक नहीं होना चाहिए। " (प्रभाव विधित)

(छ). न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि निर्णय का अनुमेय होना चाहिए, यह अनिश्चित नहीं हो सकता है। निर्णय

<u> उद्घोषणा</u>

ज्ञात सिद्धांतों और नियमों का प्रयोग कर लिया जाना है। शक्ति का प्रयोग मनमाना या स्वेच्छाचारी नहीं हो सकता है। इस न्यायालय ने D.T.C (उपरोक्त) के मामले में यह अवधारित किया है:

"332. उपयुक्त मामले में जहां अनुशासनात्मक उपाय , बर्खास्तगी का जुर्माना या सेवा से हटाने और ऐसी स्थिति को पूरा करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि प्राधिकरण के पास नियम या नियम बनाने, आधार या अभिलेखों पर सामग्री के साथ अवसर की सूचना देने , जिस पर उसने कार्यवाही करने का प्रस्ताव किया था, आपत्तियों और रिकॉर्ड कारणों पर विचार करने जिसके आधार पर उसने कार्यवाही की थी और उसी को सूचित करने की कोई शक्ति नहीं है। सामग्री चाहे जितनी भी कम हो, इसे आधार प्रस्तुत करना चाहिए। इस न्यूनतम प्रक्रिया को प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जाना चाहिए, क्योंकि शक्ति का प्रयोग अच्छे और प्राधिकारी को ज्ञात कारणों से प्रदत्त प्रासंगिक उद्देश्यों से परे स्वेच्छाचारी या द्वेषपूर्ण उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग की जा सकती है। संसूचना के बिना कारणों को दर्ज किया जाना सदैव संदेह के साथ देखा जाएगा। इसलिए, मैं मानता हूं कि बिना किसी दिशा– निर्देश के व्यापक विवेक के साथ शक्ति प्रदान करना, बिना किसी उचित, न्यायपूर्ण या तर्कसंगत प्रक्रिया के संवैधानिक रूप से अनुच्छेद 14, 16 (1), 19 (1) (जी) और 21 की दृष्टि से अस्वीकार्य है। पठन के सिद्धांत को ऐसी स्थिति तक नहीं बढाया जा सकता है।" (प्रभाव वर्धित)

53. उपरोक्त सिद्धांतों के आधार पर, यह स्पष्ट है कि एक बार केंद्रीय निदेशक मंडल ने पेंशन का भुगतान करने के लिए ज्ञापन स्वीकार कर लिया था, यदि इसने ज्ञापन में प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर किया था तो यह स्पष्ट रूप से कहा जाना चाहिए कि वह सरकार और आईबीए के प्रस्तावों को स्वीकार करने को तैयार नहीं था और उसी को अस्वीकार करता है। एक बार जब इसने ज्ञापन में निर्दिष्ट प्रस्तावों को मंजूरी दे दी, जो आईबीए के पत्र और भारत सरकार के फैसले के आधार पर थे, तो यह इसे पूरी तरह लागू

<u> उद्घोषणा</u>

करने के लिए बाध्य था। उसी को स्वीकार करते हुए, एसबीआई पर 15 साल की सेवा पूरी होने पर पेंशन का भुगतान करने के लिए बाध्यकारी दायित्व बनाया गया था। यह इस तथ्य पर भरोसा करके अपने स्वयं के निर्णय को अमान्य नहीं कर सकता है कि वह नियम में संशोधन करने में विफल रहा, जबिक अन्य बैंकों ने बाद में इसे पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ किया। वे नियम में संशोधन करने या न करने के लिए विशेष श्रेष्ठ शक्ति के आधार पर अन्यथा वैध निर्णय को अमान्य नहीं कर सकते हैं और गलत तरीके से कार्य कर सकते हैं और गलत बयानी के आधार पर पूरे अनुबंध को अनुचित बना सकते हैं। इस प्रस्ताव को अस्वीकार करना निदेशक मंडल पर था। एक बार जब इसने ज्ञापन में प्रस्तावित 15 साल की सेवा पूरी करने पर पेंशन का भुगतान करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, हालांकि इस योजना की एसबीआई द्वारा व्याख्या करने की कोशिश की जाती है कि पेंशन को स्वीकार्य होना चाहिए जैसा कि नियम में उपबंधित है जो आनुपातिक पेंशन को संदर्भित करता है। ओ.पी स्वर्णकार एंव अन्य (उपरोक्त) में इस न्यायालय द्वारा उल्लेख किया गया है, और भारत सरकार/आईबीए द्वारा जो निर्णय लिया गया था, उसे केंद्रीय निदेशक मंडल द्वारा अपनाया गया था न कि छीना गया था। संविदात्मक प्रकृति की योजना को संदर्भ में और तथ्यों की पृष्ठभूमि में पढ़ा जाना चाहिए और निदेशक मंडल द्वारा क्या हल किया गया है। जब ज्ञापन और योजना को एक साथ पढ़ा जाता है, तो पेंशन की स्वीकार्यता के संबंध में कोई अस्पष्टता नहीं है। अस्पष्टता के मामले में और भले ही मामले के तथ्यों की पृष्ठभूमि में दो व्याख्याएं संभव हों, कर्मचारी के

<u> उद्घोषणा</u>

[&]quot;क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

पक्ष वाली अपनायी जानी चाहिए और तथाकथित 11. 1. 2000 दिनांकित स्पष्टीकरण चाहे पेंशन को अस्वीकार करती प्रतीत हो अप्राप्य, अवैध और विधि विरुद्ध मानी जानी चाहिए।

54. वीआरएस योजना की पात्रता उपखंड से यह स्पष्ट है कि 15 साल की पेंशन योग्य सेवा वाले कर्मचारियों के लिए पात्रता प्रदान की जाती है और वे योजना में प्रदान किए गए लाभों के हकदार होंगे। पात्रता खंड, जब लाभ प्रदान करने वाले खंडों के साथ पढ़ा जाता है, अर्थात, योजना के उपखंड 5 और 6, के साथ, तब किसी भी संदेह के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता है और यह स्पष्ट करता है कि एसबीआई द्वारा प्रदत्त 15 साल की सेवा वाले कर्मचारियों को योजना के लाभ का दावा करने के लिए पात्र माना गया था। यह वीआरएस योजना में प्रावधान नहीं था कि 20 साल की सेवा पूरी करने वाले वृत्ति—भोगी पेंशन लाभ के हकदार होंगे। पूर्व उपदान, ग्रेच्युटी, पेंशन और अवकाश नकदीकरण जैसे पात्र व्यक्तियों को पेंशन और अन्य लाभ प्रदान करके कर्मचारियों को आकर्षित करने के लिए इस योजना को विशेष रूप से बनाया गया था। पेंशन से वंचित होना उन्हें लाभ के लिए अयोग्य बना देगा और पात्रता उपखंड को रद्ध कर देगा।

55. एसबीआई की ओर से कहा गया है कि मसौदा योजना ने कहीं भी यह निर्धारित नहीं किया है कि 15 साल की सेवा पात्रता होगी या 15 साल की सेवा पूरी होने पर, अवलंबी पेंशन के लिए पात्र होगा, तथ्यात्मक रूप से

<u> उद्घोषणा</u>

गलत है। यह भौतिक परिस्थितियों, दस्तावेजों, और पत्राचार से स्पष्ट है कि निर्णय एसबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल सहित सभी स्तरों पर लिया गया था, कि 15 साल की सेवा पूरे होने पर कर्मचारियों को पेंशन का लाभ दिया जाना था। उस परिप्रेक्ष्य में, एसबीआई की योजना की अस्पष्टता, यदि कोई हो, का कोई फायदा नहीं हो सकता है क्योंकि यह संदेह की स्थिति से परे स्पष्ट है कि 15 साल की सेवा पूरी होने पर अनुग्रह राशि के साथ पेंशन दिया जाना योजना का मुख्य भाग था। यह इस कारण से है कि 15 साल की सेवा पूरी करने वाले वृत्ति-भोगी को लाभ दिया जाना था, अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए लागू विनियमन 28 को संशोधित करने का प्रस्ताव किया गया था जैसा कि 29.12.2000 दिनांकित आईबीए और 5. 9. 2000 दिनांकित सरकार के पत्र में परिलक्षित होता है। बाद में, योजना को पहले ही सही तरीके से लागू करने के बाद 2002 में विनियमन में संशोधन किया गया था। इसमें कोई संदेह नहीं था कि वीआरएस 15 साल की सेवा पूरी करने वाले सभी पात्र कर्मचारियों को लाभ देना था। एसबीआई के दिनांक 29. 12. 2000 के पत्र से यह स्पष्ट था कि आईबीए के दिशानिर्देशों को केंद्रीय निदेशक मंडल ने अपनी बैठक में दिनांक 27. 12. 2000 को अनुमोदित किया था। एसबीआई उप प्रबंध निदेशक-सह-एसडीओ के दिनांक 29. 12. 2000 के पत्र का पैरा 2 निम्नवत उद्धृत है:

"2. तदनुसार, केंद्रीय निदेशक मंडल ने 27. 12. 2000 को आयोजित अपनी बैठक में, बैंक के कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना, अर्थात् एसबीआई स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना (एसबीआईवीआरएस) को अपनाने और लागू करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया है। आईबीए द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए

<u> उद्घोषणा</u>

एसबीआईवीआरएस " योजना बनाई गई है। इस योजना की एक प्रति अनुलग्नक 'बी' में रखी गई है।

(प्रभाव वर्धित)

56. जैसा कि ओ.पी. स्वर्णकार एंव अन्य (उपरोक्त), मामले में उल्लेख किया गया है, बैंक का कथन यह था कि यह एक संविदात्मक योजना थी। नियमों के अनुसार, "पेंशन" पद केवल आनुपातिक पेंशन को तय करने के प्रयोजन के लिये ही था। यह स्पष्ट रूप से उन कर्मचारियों के लिए योजना खोलने के लिए था जिन्होंने 15 साल की सेवा दी है। इस योजना में यह उपबंध नहीं किया गया था कि पेंशन के लिए पात्रता प्राप्त करने के लिए नियमानुसार 20 वर्ष की पेंशन योग्य सेवा प्रदान करने के लिए अवलंबी की आवश्यकता थी। एसबीआई की ओर से प्रस्तुत तर्क स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है। यह ओ.पी. स्वर्णकार एंव अन्य (उपरोक्त) मामले के पैरा 89 में ऊपर उद्धृत किया गया था कि कर्मचारी को 15 साल की सेवा के आधार पर पेंशन लाभ के लिए आगे बढ़ना था।

न्यायालय ने *ओ.पी. स्वर्णकार एंव अन्य* (उपरोक्त) मामले में आगे कहा कि यह योजना इस प्रकार प्रवर्तनीय है:

"92. हालांकि, भारतीय स्टेट बैंक का मामला थोड़ा भिन्न है। सबसे पहले, भारतीय स्टेट बैंक ने योजना में संशोधन नहीं किया था। यह, जैसा कि यहां देखा गया है, यहां तक कि 15 फरवरी के बाद (sic द्वारा) आवेदनों को वापस लेने की अनुमित है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी की गई योजना में एक उपखंड (उपखंड 7) था जिसमें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन पर विचार करने के तरीके और माध्यम को रखा गया था। प्रासंगिक खंड, जैसा कि यहां बताया गया है, एक प्रवर्तनीय अधिकार बनाता है। यदि स्टेट बैंक अपनी पसंदीदा नीति का पालन करने में विफल रहा, तो इसे विशेष रूप से

<u> उद्घोषणा</u>

विधि न्यायालय द्वारा लागू करवाया जा सकता था। जो कि कुछ विचारण के बराबर होगा। "

57. एक अनुबंध का गठन करते समय, समग्र योजना, ज्ञापन और पत्रों की भाषा और तत्संबंधी परिस्थितियों को यह पता लगाने के लिए पढ़ा जाना चाहिए कि क्या निदेशक मंडल द्वारा अपने संकल्प दिनांक 27. 12. 2000 में किए गए किसी भी विचलन का महत्वपूर्ण महत्व है। इस मामले में, आईबीए योजना के अनुमोदन के अनुसार निर्णय लिया गया था। इसके बाध्यकारी प्रभाव को इस आधार पर नहीं बदला जा सकता है कि कौन से पक्ष आगे कहने के लिए चुनते हैं, और न ही उन्हें बाहर निकलने की अनुमति दी जा सकती है। अनुबंध को समग्र रूप से पढ़ा जाना आवश्यक है। यह पढ़ने पर स्पष्ट है कि चयनकर्ता बैंक के पेंशन विनियमों के तहत आनुपातिक पेंशन के लिए पात्र होंगे और इसलिए, बैंक को स्पष्टता की कमी का जोखिम है, यदि कोई हो।

58. बैंक ऑफ इंडिया एंव अन्य वी.के. मोहनदास एंव अन्य, (2009) 5 एससीसी 313 के मामले में, जिसमें कई अन्य बैंक भी पक्षकार थे, यह प्रश्न वीआरएस, 2000 की प्रकृति के रूप में उत्पन्न हुआ। 2002 में विनियमन 28 में किए गए संशोधन, 15 साल की सेवा प्रदान करते हुए न्यायालय ने उद्देश्यों को नोट किया। यह योजना आधार नवम्बर – दिसंबर, 2000 और जनवरी 2001 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में खुली थी। कर्मचारियों ने दावा किया कि जिन्होंने 20 वर्ष की सेवा पूरी की थी, वे उक्त बैंकों को लागू कर्मचारी पेंशन विनियम, 1995 के विनियमन 29 (5) में निहित प्रावधानों

<u> उद्घोषणा</u>

के लाभ के हकदार थे। उन्होंने दावा किया कि विनियमन 29 के तहत 20 साल की अर्हकारी सेवा पूरी करने के बाद, अधिकतम 33 वर्षों के अधीन सेवा कार्यकाल में 5 साल की वृद्धि के हकदार थे, जो उन्हें इस आधार पर नहीं दिया गया था कि वीआरएस का लाभ 15 साल की सेवा पूरी करने के लिए उपलब्ध था जैसा कि संशोधित विनियमन 28 में प्रदान किया गया है, और विनियमन 29 लागू नहीं था। इस न्यायालय अवधारित किया कि वीआरएस का लाभ 15 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों के लिए उपलब्ध था, लेकिन 20 साल की सेवा पूरी करने पर उपलब्ध अतिरिक्त लाभ भी स्वीकार्य था जैसा कि विनियमन 29 (5) में प्रदान किया गया था।

59. वीआरएस की उपरोक्त समान योजना पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने शब्दों के महत्व के आधार पर अनुबंध के निर्माण के संबंध में धारित किया। पक्षकारों के आशय का पता उस भाषा से लगाया जाना चाहिए जिसका उन्होंने उपयोग किया है और आसपास की परिस्थितियों के मद्देनजर विचार किया है, और इसके तहत कार्य करने में पार्टियों द्वारा अपनाए गए आचरण के अध्ययन द्वारा अर्थ को नहीं बदला जा सकता है। के. मोहनदास (उपरोक्त) में यह न्यायालय इस प्रकार अवधारित किया गया:

"28. एक अनुबंध का सही निर्माण उपयोग किए गए शब्दों के महत्व पर निर्भर होना चाहिए, न कि पक्षकारों के बाद क्या कहना है। न ही अनुबंध के क्रियांवयन में पक्षकारों का बाद का आचरण अनुबंध में प्रयुक्त स्पष्ट और अस्पष्ट शब्दों के सही प्रभाव को प्रभावित करता है। पक्षकारों के आशय का इस्तेमाल उस भाषा से किया जाना चाहिए जो उन्होंने इस्तेमाल की है,

<u> उद्घोषणा</u>

आसपास की परिस्थितियों और अनुबंध की वस्तु के प्रकाश में माना जाता है। अनुबंध की प्रकृति और उद्देश्य पार्टियों के आशय का पता लगाने में एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक है।

- 29. ओटोमन बैंक ऑफ निकोसिया बनाम ओनस चक्रियन में, लॉर्ड राइट ने ये गंभीरता से अवलोकन किया: (एआईआर पी. 29)
- ".... कि यदि संविदा स्पष्ट और असंदिग्ध है, तो उसका सही प्रभाव केवल पक्षकारों द्वारा उसके अधीन कार्य करने में अपनाए गए आचरण के अनुक्रम द्वारा नहीं बदला जा सकता।"
- 30. गंगा सरन बनाम फर्म राम चरण राम गोपाल एआईआर 1952 एससी 9 के मामले में, इस न्यायलय की चार-न्यायाधीश पीठ ने कहा: (एआईआर पी. 11, पैरा 6)
- "6. चूंकि एक समझौते का वास्तविक निर्माण उपयोग किए गए शब्दों के महत्व पर निर्भर होना चाहिए और इस बात पर नहीं कि बाद में पक्षकार क्या कहना चाहते हैं, यह संदर्भित करना अनावश्यक है कि पार्टियों ने इसके बारे में क्या कहा है।
- 31. यह एक अनुबंध के निर्माण का एक अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त सिद्धांत भी है कि इसे अपने कई उपखंडों के सही अर्थ का पता लगाने के लिए एक पूरे के रूप में पढ़ा जाना चाहिए और प्रत्येक उपखंड के शब्दों की व्याख्या की जानी चाहिए तािक उन्हें सामंजस्य में लाया जा सके। अन्य प्रावधान यदि उस व्याख्या के अर्थ में कोई हिंसा नहीं होती है जिसके लिए वे स्वाभाविक रूप से अतिसंवेदनशील होते हैं। (पूर्वोत्तर रेलवे कंपनी बनाम लॉर्ड हेस्टिंग्स, 1900 एसी 260)
- 60. इस योजना में स्पष्टता की कमी के संबंध में, के. मोहनदास (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय ने विधिक मानदण्ड maxim verba chartarum fortius accipiuntur contra proferentem (विलेख के शब्दों का निर्वचन उसके विरुद्ध अधिक कड़ाई से करना चाहिए जो उसका प्रयोग करता है।) के आधार पर धारित किया कि जो संविदात्मक योजना में

<u> उद्घोषणा</u>

शर्तों के निर्माण के लिए जिम्मेदार थे, वही स्पष्टता की कमी का जोखिम वहन करते है। न्यायालय ने अवधारित किया:

"32. मौलिक स्थिति यह है कि संविदात्मक योजना में शतों के निर्माण के लिए बैंक ही जिम्मेदार थे कि उस योजना के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के विकल्प पेंशन विनियम, 1995 के तहत पेंशन के लिए पात्र होंगे, और इसलिए, वे जोखिम को सहन करते हैं स्पष्टता की कमी, यदि कोई हो। यह एक अनुबंध के निर्माण का एक प्रसिद्ध सिद्धांत है कि यदि एक पक्ष द्वारा लागू की गई शतें अस्पष्ट हैं, तो उस पक्षकार के खिलाफ एक व्याख्या को प्राथमिकता दी जाती है (विलेख के शब्दों का निर्वचन उसके विरुद्ध अधिक कडाई से करना चाहिए जो उसका प्रयोग करता है।)

33. पेंशन के संबंध में वीआरएस 2000 लाने के समय बैंकों का आशय क्या था? क्या इसमें प्रकट रूप से स्पष्ट नहीं किया गया था कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पाने वाले कर्मचारी पेंशन विनियमों के अनुसार पेंशन के लिए पात्र होंगे। यदि आशय विनियमन 29 और विशेष रूप से उप-विनियमन (5) में प्रदान की गई पेंशन देने का नहीं था, तो वे योजना में ही ऐसा कह सकते थे। आखिरकार, वीआरएस 2000 के निर्माण में बहुत विचार किया गया था, और यह अत्यधिक विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया था। पेंशन विनियमों के अनुसार पेंशन प्रदान करते समय जो एकमात्र प्रावधान ध्यान में रह सकता था, वह विनियमन 29 था। जाहिर है, कर्मचारियों को भी, विनियमन 29 (5) का लाभ था, जब उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए भर्ती विनियमन 28 के रूप में पेश किया था, जैसा कि उस समय मौजूद था, बिल्कुल भी लागू नहीं था। 30 से 34 तक कोई भी विनियम आकृष्ट नहीं हुआ।"

(प्रभाव वर्धित)

61. के. मोहनदास (उपर्युक्त) के मामले में न्यायालय ने यह तर्क दिया कि विनियम 28 केवल 15 वर्ष की पात्रता प्रदान करने के लिए लागू होगा जैसा

<u> उद्घोषणा</u>

कि अधिनियम 1995 के संशोधन के माध्यम से उपबंधित है और यह अभिनिर्धारित किया कि जैसे बैंक अनुच्छेद 12 के अर्थ में "राज्य" हैं, यह धारा 29 (5) के फायदे को नकारने के लिए उनकी ओर से एक मनमानी कार्यवाही होगी और स्कीम और पेंशन विनियमों के लिए सामंजस्यपूर्ण निर्माण होना होगा, इस प्रकार:

"35. हम चिंतित हैं; यदि संशोधित विनियमन 28 को लागू किया जाता है, तो यह अनुचित होगा, जो प्रकाश में नहीं आया था और जब योजना बनाई गई थी तो बैंकों का आशय नहीं था। अपील के वर्तमान बैच के बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं और संविधान के अनुच्छेद 12 के अन्तर्गत "राज्य" हैं और संविदा संबंधी मामलों में भी उनकी कार्यवाही युक्तियुक्त होनी चाहिए, ऐसा न हो जैसा कि ओ. पी. स्वर्णकार (2003) 2 एस. सी. सी. 721 में देखा गया है, उसे संविधान के अनुच्छेद 14 के रोष को आकृष्ट करना चाहिए।

36. वीआरएस 2000 की शर्तों की कोई भी व्याख्या, चाहे प्रकृति में संविदात्मक हो, निष्पक्षता की परीक्षा को पूरा करना चाहिए। यह इस तरह से माना जाना चाहिए कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की ओर से मनमानी और अतर्कसंगत होने से बचा जाता है, जिन्होंने अपनी जनशक्ति के अधिकारों के अधिकार के उद्देश्य से वीआरएस 2000 लाया था। बैंकों ने अधिशेष जनशक्ति छोड़ने का निर्णय लिया। विशेष योजना (वीआरएस 2000) के निर्माण से, बैंकों का उद्देश्य अपनी शक्ति को युक्तिसंगत बनाने के अपने उद्देश्य को प्राप्त करना था क्योंकि वे आवश्यकता से अधिक कर्मचारियों से युक्त थे। इस प्रकार, विशेष योजना स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए कर्मचारियों को लुभाने के लिए उन्मुख थी। इस पृष्ठभूमि में, पार्टियों के बीच जो विचार करना था, वह महत्व और योजना के लिए सामंजस्यपूर्ण निर्माण को मानता है, और पेंशन विनियम, इसलिए, देना होगा।

37. विनियमन 28 में संशोधन, सबसे अच्छे रूप में कहा जा सकता है कि कर्मचारियों को 15 साल की सेवा या अधिक लेकिन 20 साल से कम सेवा के साथ शामिल करने का आशय

<u> उद्घोषणा</u>

है। यह आशय भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामलों के विभाग (बैंकिंग प्रभाग) द्वारा कार्मिक सलाहकार, भारतीय बैंक संघ को भेजे गए 5-9-2000 दिनांकित के संचार से परिलक्षित होता है। "

(प्रभाव वर्धित)

इसका मत था कि 1995 के विनियमन 28 में संशोधन 15 साल की सेवा को शामिल करने का आशय है, अर्थात, 15 साल की सेवा वाले कर्मचारी जिन्होंने 20 साल की सेवा पूरी नहीं की है। नियम में संशोधन करने के लिए इसी तरह की कार्यवाही एसबीआई द्वारा की जानी थी, लेकिन यह एक समान योजना शुरू करने के बाद इसे लेने में विफल रहा। इसने यह अनिश्चित बना दिया कि नियत तिथि के अनुसार नियम की स्थिति अर्थात, 31. 3. 2001. वह हो सकता है। लेकिन यह स्पष्ट था कि 15 साल की सेवा के साथ अवलंबी लाभ के लिए पात्र था जैसा कि योजना में ही प्रदान किया गया था। लाभ उपखंड को पात्रता मानदंड के साथ पढ़ा जाना चाहिए। एक बार जब एसबीआई द्वारा पूरी तरह वीआरएस तैयार किया गया और अपनाया गया, तो उसने अपने आप में एक पूर्ण संविदात्मक पैकेज का गठन किया।

62. जैसा कि एसबीआई की ओर से आग्रह किया जाता है यदि अनुबंध अधिनियम की धारा 23 को लागू किया जाता है, तो यह बैंक के लिए कैसे उपयोगी है, यह समझ में नहीं आता है। यदि यह माना जाता है कि मूल योजना विधि/नियमों के विरूद्ध थी, तो पूरी योजना गिर जाएगी। एक बार जब इसने योजना को अपनाया, तो आवेदन आमंत्रित किए और कर्मचारियों

<u> उद्घोषणा</u>

ने उस पर कार्यवाही की और योजना के आधार पर सेवानिवृत्ति हुए, उन्हें एक झटकें में नहीं छोड़ा जा सकता है। यदि इसकी तर्क स्वीकार कर ली जाती है, तो योजना संपर्क अधिनियम की धारा 23 का उल्लंघन हो जाती है, बैंक को बहुत ही योजना के उल्लंघन के परिणाम भुगतने होंगे और कर्मचारियों को बहाल करने और उन्हें वेतन और अन्य लाभों का भुगतान करने की आवश्यकता होगी। हालांकि, एसबीआई ने इस योजना को स्वीकार कर लिया, यह उसी तरह की वीआरएस योजना के अनुरूप नियमों को लाने के लिए अवलंबित था जैसा कि अन्य बैंकों द्वारा किया गया था। एसबीआई ने दिनांक 27. 12. 2000 को बिना किसी शर्त योजना को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार, विसंगति प्रस्तावित करने और नियमों में संशोधन करने के लिए बैंक की निष्क्रियता का परिणाम था। ऐसे परिदृश्य में, एसबीआई की कार्यवाही संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 21 का उल्लंघन है। स्वयं द्वारा बनाई गई स्थिति बैंक को मनमानी कार्यवाही का समर्थन देने के लिए लाभ आधारित नहीं होने वाली है। यदि आवश्यक हो, तो अपने लिए स्थिति को उबारने के लिए बैंक नियमों में संशोधन करके लाभ का विस्तार करने के लिए बाध्य था। एसबीआई द्वारा ही कानून का उल्लंघन किया गया है, इसकी कार्यवाही मनमानी है और इसे अपने स्वयं के गलत लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

63. पेंशन को मनमाने ढंग से निपटाया नहीं जा सकता है और अनुचित तरीके से नकारा नहीं जा सकता है। पेंशन की अवधारणा को डी.एस. नाकरा

<u> उद्घोषणा</u>

एंव अन्य बनाम भारत संघ, (1983) 1 एससीसी 305 के मामले में माना गया था। पेंशन का अधिकार अदालत के माध्यम से लागू किया जा सकता है, यह देखा गया:

> "20. पेंशन की पूर्व निर्धारित धारणा एक इनाम होने के नाते, नियोक्ता की इच्छा या अनुग्रह के आधार पर एक उचित भूगतान एक अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है और इसलिए, न्यायालय के माध्यम से पेंशन का कोई अधिकार लागू नहीं किया जा सकता है। देवकीनंदन प्रसाद बनाम बिहार राज्य (1971) 2 एससीसी 330 में संविधान पीठ, जिसमें इस न्यायालय ने आधिकारिक रूप से फैसला सुनाया कि पेंशन एक अधिकार है और इसका भुगतान सरकार के विवेक पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन नियमों द्वारा शासित है और उन नियमों के भीतर आने वाला एक सरकारी कर्मचारी पेंशन का दावा करने का हकदार है। आगे यह अभिनिर्धारित किया गया कि पेंशन का अनुदान किसी के विवेकाधिकार पर निर्भर नहीं करता है यह केवल सेवा और अन्य संबद्ध मामलों के संबंध में राशि को निर्धारित करने के उद्देश्य से है जो प्राधिकरण के लिए उस प्रभाव के लिए एक आदेश पारित करना आवश्यक हो सकता है, लेकिन अधिकारी को पेंशन प्रवाह प्राप्त करने का अधिकार ऐसे किसी भी आदेश के कारण नहीं बल्कि नियमों के आधार पर हो सकता है। पंजाब राज्य बनाम इकबाल सिंह, (1976) 2 एससीसी 1 में इस दृष्टिकोण की फिर से पृष्टि की गई। 22. सामंती से कल्याण में परिवर्तन के दौरान और समाजवादी सोच के रूप में सम्मान हासिल किया। वृद्धावस्था में सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्य की बाध्यता, अवांछनीय इच्छा से एक पलायन को मान्यता दी गई थी और पहले चरण की पेंशन के रूप में न केवल पिछली सेवा के लिए एक इनाम के रूप में माना गया था, बल्कि बुढ़ापे में विनाश से बचने के लिए कर्मचारी की मदद करने के लिए माना गया था। पारस्परिक लेनदेन यह था कि जब कर्मचारी शारीरिक और मानसिक रूप से सतर्क था, तो उसने सर्वश्रेष्ठ गुरु का प्रतिपादन किया, जिससे उसे जीवन के पतन में उसकी देखभाल करने की उम्मीद थी। इसलिए, एक सेवानिवृत्ति प्रणाली केवल लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से

<u> उद्घोषणा</u>

मौजूद है। सेवानिवृत्ति लाभों की अधिकांश योजनाओं में, सामान्य सेवानिवृत्ति के लिए योग्य सभी को समान राशि प्राप्त होती है। (ब्लेकनी, पी. 33 द्वारा सार्वजनिक कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति प्रणाली देखें)

इस न्यायालय ने देखा कि प्रस्तावना में परिकल्पित समाजवादी राज्य का प्रमुख उद्देश्य असमानता को समाप्त करना है। समाजवाद का मूल ढांचा कामकाजी लोगों को जीवन के अन्तिम समय में सुरक्षा प्रदान करना है और विशेष रूप से शुरू से अन्त तक सुरक्षा प्रदान करता है जब कर्मचारियों ने जीवन भर में सेवा प्रदान की है, तो उन्हें बुढ़ापे में निराश्रित, एक अनियंत्रित तरीके से कार्यवाही करके और पूरी बाध्यता के लिए चूक के लिए एक सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। हालांकि कानून के खिलाफ विवंध नहीं हो सकता है, लेकिन जब किसी बैंक को इसमें संशोधन करने की शक्ति थी, तो वह अपनी निष्क्रियता का आश्रय नहीं ले सकता है और एसबीआई को अन्य बैंकों की खोज का पालन करना चाहिए था और इसे स्वीकृत योजना किए जाने के समान निष्पक्ष तरीके से कार्य करने की आवश्यकता थी।

64. परिणामस्वरूप, हमारा विचार है कि जिन कर्मचारियों ने 15 साल या अधिक की सेवा कट-ऑफ की तारीख पर पूरी कर ली है, वे एसबीआई पेंशन फंड नियमों के अनुसार एसबीआई वीआरएस के तहत आनुपातिक पेंशन के हकदार थे। इस तरह के सभी समान कर्मचारियों को 15 साल की सेवा पूरी होने पर वीआरएस के तहत सेवानिवृत्त होने वाले लाभों को न्यायालय में भाग लेने की आवश्यकता के बिना बढ़ाया जाए। हालांकि, तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, बैंक को ब्याज का भार डालना

<u> उद्घोषणा</u>

उचित नहीं होगा। आदेश का अनुपालन किया जाए और तीन महीने के भीतर बकाया का भुगतान किया जाए, जिसमें विफल रहने पर राशि का भुगतान इस आदेश की तारीख से 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ दिया जाए। तदनुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। कोई लागत नहीं।

(न्यायमूर्ति, अरुण मिश्रा)
(न्यायमूर्ति, एम.आर. शाह)
(न्यायमूर्ति, बी.आर. गवई)

नई दिल्ली; 2 मार्च, 2020

तदघोषणा